सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार (राजस्व विभाग–अप्रत्यक्ष कर–सीमा शुल्क)

2020 की संख्या 5

भारत के

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार (राजस्व विभाग - अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क)

2020 की संख्या 5

(दिनांक............. को लोकसभा/राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत की गई)

विषय सूची

क्र.सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ
1	प्रस्तावना	i
2	कार्यकारी सार	iii-xiii
3	शब्दावली	xv-xvii
4	अध्याय 1: एमईआईएस और एसईआईएस का विहगांवलोकन	1-10
5	अध्याय 2 : एमईआईएस और एसईआईएस के कार्यान्वयन में प्रणालीगत मुद्दे	11-30
6	अध्याय 3 : मैन्यूल प्रोसैसिंग के मद्देनजर सैंपलिंग पर आधारित नमूना जांच के परिणाम	31-63
7	परिशिष्ट	65-71
8	विवरण	73-94

प्रस्तावना

यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस रिपोर्ट में 'मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एमईआईएस) और 'सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एसईआईएस) पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2018-19 की अवधि के दौरान की गई जांच लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए और अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2018 की अवधि के संव्यवहारों को कवर करते हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निष्पादन लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राजस्व विभाग (डीओआर), वाणिज्य विभाग और इसके क्षेत्र संरचनाओं से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा धन्यवाद करता है।

कार्यकारी सार

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में

स्क्रिप्स जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आरंभ किये गये सुविधा उपायों की सफलता पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए और विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) की इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (इडीआई) प्रणाली में योजनाओं के नियमों और प्रक्रियाओं के प्रभावी लिंकेज की जांच करने के लिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी।

इस लेखापरीक्षा में अप्रैल 2015 से अक्तूबर 2018 की अवधि हेतु डीजीएफटी से प्राप्त संपूर्ण भारत के डेटा के विश्लेषण को कवर किया गया है। यह देखा गया कि 38 प्रादेशिक प्राधिकरण (आरए) और एसईजेड के 9 विकास आयुक्तो (डीसी) द्वारा ₹76,416 करोड़ राशि के 5,94,653 (5,84,650 एमईआईएस और 10,003 एसईआईएस) स्क्रिप्स जारी किये गऐ थे। प्रचलित मैन्यूअल प्रक्रियाओं के मद्देनजर, 25 आरए (कुल आरए का 66 प्रतिशत) और 7 डीसी कार्यालयों (कुल डीसी कार्यालयों का 77 प्रतिशत) का नमूना इस लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया था। इन 32 इकाईयों में ₹72,743 करोड़ (95.19 प्रतिशत) राशि के 5,53,726 (5,43,803 एमईआईएस और 9,923 एसईआईएस) स्क्रिप्स (93.12 प्रतिशत) कवर किये गये।

इसके अतिरिक्त, इन चयनित इकाईयों में, कुल स्क्रिप्स का 1.7 प्रतिशत दर्शाते हुए 6,205 स्क्रिप्स (5747 एमईआईएस स्क्रिप्स और 458 एसईआईएस स्क्रिप्स) का विस्तृत जांच के लिए चयन किया गया। लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों का चयन किया जहां पर इन नमूना स्क्रिप्स से संबंधित निर्यात भी प्रभावित हुये थे। रिपोर्ट में संपूर्ण भारत के डेटा पर किये गये डेटा विश्लेषण के परिणामों के साथ में विस्तृत जांच हेतु चयनित स्क्रिप्स की जांच के आधार पर लेखापरीक्षा परिणाम उचित ढंग से शामिल किये गये थे।

रिपोर्ट की संरचना

यह रिपोर्ट तीन अध्यायों में विभाजित की गई है। अध्याय 1 में इस निष्पादन लेखापरीक्षा को करने के लिए लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, नमूना, लेखापरीक्षा मानदंड और लेखापरीक्षा कार्यपद्धति के साथ दोनों योजनाओं का विहगांवलोकन

प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 2 में संपूर्ण भारत के डेटा और स्वचालन की मुख्य विशेषताओं के विश्लेषण के दौरान, स्वचालित मोड्यूल के साथ योजनाओं की नीति और प्रक्रियाओं के एकीकरण में अंतराल से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम, निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत की गई है। तथ्य यह है कि बहुत सी मध्यवर्ती प्रक्रियाएं मैन्यूल रूप से हैंडल की जा रही थी, जिससे आरए और डीसी कार्यालयों द्वारा मैन्यूल नियंत्रणों की जांच करने के लिए चयनित इकाईयों में नमूना जांच करने की आवश्यकता थी। अध्याय 3 में चयनित इकाईयों में याद्रेच्छिक रूप से चयनित नमूनों में मैन्यूल संवीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम, निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। जैसा कि ऑडिट के कुछ निष्कर्ष परीक्षण जांच पर आधारित हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि चूक और भूल की ऐसी त्रुटियां अन्य मामलों में भी मौजूद हो सकती हैं। इसलिए विभाग, शेष सभी लेन-देन की जाँच सूचित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की तर्ज पर करें और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करें।

इस रिपोर्ट में ₹364.32 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले 48 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। इनमें से ₹233.02 करोड़ के धन मूल्य वाली 44 आपत्तियां विभाग द्वारा स्वीकार की गई हैं तथा 7 आपत्तियों के संबंध में ₹7.82 करोड़ की वसूली अब तक सूचित की जा चुकी है। ₹131.30 करोड़ के 4 पैरा विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये हैं। इसी प्रकार, इस रिपोर्ट में की गई कुल 14 सिफारिशों में से 8 सिफारिशों को स्वीकार किया गया है।

वाणिज्य विभाग (सितंबर 2019/मार्च 2020) तथा राजस्व विभाग (अक्तूबर 2019/मार्च 2020) से प्राप्त प्रतिक्रियाएं रिपोर्ट में शामिल की गई हैं।

अध्याय-वार सार नीचे दिया गया है:

अध्याय 1: 'मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) और 'सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एसईआईएस) का विहंगावलोकन

1 अप्रैल 2015 से लागू विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 में पूर्ववर्ती पांच योजनाओं[1] को मिलाकर एमईआईएस योजना और सेर्वेड फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) को प्रतिस्थापित करते हुए सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) आरंभ की गई थी।

[1] (1) फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस), (2) फोकस प्रॉडक्ट स्कीम (एफपीएस), (3) विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), (4) मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एमएलएफपीएस) और (5) एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्क्रिप्स

एमईआईएस और एसईआईएस के अंतर्गत जारी किये गये स्क्रिप्स के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2016-17 (23.51%,) वि.व. 2017-18 (20.42%) और वि.व. 2018-19 (32.12%) के दौरान स्क्रिप्स की संख्या में सतत् वृद्धि हुई थी, यद्यपि वि.व. 2015-16 में योजनाओं के आरंभ होने के प्रथम वर्ष में स्क्रिप्स की संख्या में कमी आई थी।

(पैरा 1.2)

वि.व. 2015-16 से वि.व. 2017-18 अवधि के दौरान सीमा शुल्क दर के विभिन्न भागों के अंतर्गत सामान के निर्यात के लिए एमईआईएस दावे के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सीमा शुल्क दर के सभी भागों के अंतर्गत एमईआईएस के दावे में वृद्धि दर्ज की गई। एमईआईएस के अंतर्गत दावा किये गये निर्यात की औसत प्रतिशतता में वि.व. 2015-16 में 11.83 प्रतिशत से वि.व. 2017-18 में 52.93 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वि.व. 2016-17 और वि.व. 2017-18 के दौरान अध्याय 15 (पशु या वनस्पति वसा और तेल) और अध्याय 71 (मोती, महंगे पत्थर/धातु, जैम्स और आभूषण) के अंतर्गत इनकी संबंधित निर्यात मात्रा की तुलना में एमईआईएस दावे नगण्य थे।

(पैरा 1.3.2)

ग्रामीण और लघु स्तर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की एमईआईएस दरों में वृद्धि की (नवंबर 2017)। अब भी इस क्षेत्र में लागू उच्चतर एमईआईएस दरों के बावजूद , निर्यात किये जा रहे हस्तशिल्प मदों के 70 प्रतिशत का बड़ा भाग एमईआईएस के दायरे से बाहर है। हथकरघा श्रेणी के तहत इसी तरह के विश्लेषण से पता चला है कि एमईआईएस रिवार्ड के लिए हथकरघा निर्यात के तहत निर्यात का मूल्य वि.व. 2015-16 में 15.52 प्रतिशत से बढ़कर वि.व. 2017-18 में 60 प्रतिशत हो गया है, जिसमें लगभग 40 प्रतिशत निर्यात एमईआईएस रिवार्ड से बाहर है।

(पैरा 1.3.3)

लेखापरीक्षा परिणाम का सार

अध्याय 2: एमईआईएस और एसईआईएस के कार्यान्वयन में प्रणालीगत मुद्दे

एमईआईएस और एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने में काफी अधिक विलंब ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण और व्यापार करने की सरलता के उद्देश्य प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता को दर्शाया।

(पैरा 2.1 और 2.8)

एमईआईएस के लिए विकसित प्रणाली एक इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली थी जिसे मैन्यूअल हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। यदि प्रणाली को उचित ढंग से प्रोग्राम किया गया है तो सूचान प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली द्वारा आकलित अंकगणितीय सटीकता का मैन्यूअल सत्यापन आवश्यक नहीं होना चाहिए। श्रमबल की क्षति होने के साथ-साथ, स्वचालित प्रणाली में भी त्रुटियां होने के परिणामस्वरूप पूरी प्रक्रिया में विलंब हुआ और अधिकृत अधिकारियों के द्वारा परिहार्य भौतिक इंटरफेस तथा अभ्यास किए जाने वाले चेक में विवेक का उपयोग किये जाने से, जैसा कि अध्याय 3 में चर्चा की गई है, योजना के उद्देश्य समाप्त हो गये।

स्क्रिप्स मूल्य और "लेट कट" आंकलन में एमईआईएस मोड्यूल में कमियां थी जोकि डीजीएफटी द्वारा प्रोगरैमिंग बग के कारण बताई गई थी। प्रणाली के अद्यतन में विलंब के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय दरों की गलत स्वीकृति हुई। एमईआईएस मॉड्यूल ने INR में प्राप्त अयोग्य निर्यात आय पर लाभ के अनुदान को भी प्रतिबंधित नहीं किया। इसके अलावा, सिस्टम ने एक से अधिक लाइसेंस और क्षेत्राधिकार प्रावधानों में शिपिंग बिल (एसबी) के उपयोग के संबंध में योजना में निर्धारित शर्तों और जांचों को लागू नहीं किया।

(पैरा 2.2 से 2.5 और 2.7)

ई-कॉमर्स निर्यात से ₹5.52 करोड़ राशि का एमईआईएस लाभ लगभग चार वर्षों तक विलंबित रहा था क्यूंकि ई-कॉमर्स मोड्यूल की संचालनात्मकता और अधिनियमों में सुधार में विलंब हुआ।

(पैरा 2.6)

स्वचालित प्रणाली में जोखिम को कम करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) को डिजाईन किया गया था ताकि रिवार्ड के बाद नमूना फाईल की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जा सके कि केवल योग्य निर्यातक रिवार्ड का दावा करते हैं। हालांकि, आरएमएस में अग्रलिखित कमियां पाई गई थीं:

- अप्रैल 2015 से दिसंबर 2017 की अवधि हेतु एमईआईएस और एसईआईएस के लिए आरएमएस का गैर-कार्यान्वयन नीति प्रावधानों का उल्लंघन था और दो वर्षों से अधिक के लिए मुख्य जोखिम नियंत्रण उपाय को बिना शामिल किये छोड़ दिया। **(पैरा 2.9)**
- अस्वीकृत कारकों जैसे कमीशन, बीमा और माल भाड़ा (सीआईएफ) प्रभारों को न छोड़ते हुए वसूली गई सारी निर्यात प्राप्तियों पर प्रणाली ने रिवार्ड अनुमत किया। **(पैरा 2.10.1)**
- प्रणाली उत्पादों के गलत वर्गीकरण के कारण रिवार्ड की अधिक अनुमति रोकने में विफल रही और हैंडलूम उत्पादों के लिए लागू उच्चतर दरें अनुमत की। **(पैरा 2.10.2)**
- एमईआईएस मॉड्यूल में मान्यता नियंत्रण ने न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) शासन के तहत निर्यात के लिए प्रोत्साहन के अनुदान को प्रतिबंधित नहीं किया और निर्यातकों ने अपने एसबी में भारतीय व्यापार स्पष्टीकरण / हार्मोनाइज्ड सिस्टम (आईटीसी-एचएस) को गलत तरीके से उद्धृत करके लाभ का दावा किया। ऐसे अयोग्य/प्रतिबंधित मदों को भेजने के लिए डिजाईन किए आरएमएस का गैर-कार्यान्वयन होने के कारण अधिक क्रेडिट के दावों की जाचं नहीं की जा सकी। **(पैरा 2.10.3)**

अध्याय 3: मैन्यूल प्रोसैसिंग के मद्देनजर सैंपलिंग पर आधारित नमूना जांच के परिणाम

अपूर्ण प्रणाली चालित नियंत्रण के कारण एमईआईएस स्क्रिप्स के जारी करने में काफी विलंब से मैन्यूल इंटरवेशन की आवश्यकता हुई। एमईआईएस स्क्रिप्स के जारी करने के लिए अपेक्षित नियंत्रणों की सीमा के बारे में क्षेत्र स्तर आरए को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिये गये थे। आरए ने विभिन्न मामलों की जांच की। प्रणाली चालित अनुमोदन तंत्र के बावजूद, आरए "लेट कट" की सटीकता जैसे

मामलों की जांच कर रहे थे। आईटी प्रणाली द्वारा अंकगणितीय रूप से सटीक गणना का मैन्यूल सत्यापन आवश्यक था क्योंकि प्रणाली को उचित ढंग से प्रोग्राम नहीं किया गया था जैसा कि अध्याय 2 में बताया गया है। ऐसी त्रुटिपूर्ण इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली के मद्देनजर, यह समझना कठिन नहीं था कि आरए वो जाँच कर रहा था, जोकि प्रणाली चालित होने चाहिये थे।

(पैरा 3.1)

नमूना जांच से एमईआईएस में प्रणालीगत नियंत्रण की विफलता का भी पता चला, जिसके कारण रिवार्ड के गलत अनुदान का दावा किया गया, भले ही दावा करने के इरादे की घोषणा एसबी में नहीं दी गई / अनुपलब्ध थी, हथकरघा उत्पादों पर लागू उच्च दर का अनुदान और स्क्रिप्स का गलत उपयोग।

(पैरा 3.2.1 से 3.2.5)

निर्यातकों को ऐसे मामलों में पुरस्कार मिला, जहां सेवाओं को गलत वर्गीकृत किया गया था, हालांकि प्रदान की गई वास्तविक सेवाओं को परिशिष्ट 3 डी में निर्दिष्ट नहीं किया गया था और चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) प्रमाण-पत्रों पर निर्भरता रखते हुए 37 मामलों में 7 आरए द्वारा इन सेवाओं के संबंध में ₹172.72 करोड़ राशि के लाभ अनुमत किये थे।

(पैरा 3.3)

स्वयं-उद्घोषणा और सीए प्रमाणपत्र एसईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड की अनुमति के लिए सेवाओं और प्रेषण की योग्यता के बारे में विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अपर्याप्त थे। हालांकि, विभाग रिवार्ड अनुमत करने के लिए इन स्वयं-उद्घोषणाओं और सीए प्रमाण-पत्रों पर अत्यधिक निर्भर रहा। आरए योग्य (मोड 1 और 2) तथा अयोग्य (मोड 3 और 4) सेवाओं के बीच अंतर करने तथा रिवार्ड विभाजित करने तथा अयोग्य सेवाओं के रिवार्ड मना करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में 13 सेवा प्रदाताओं को ₹57.52 करोड़ का अधिक रिवार्ड दिया गया। गलत स्वयं उद्घोषणा तथा सीए प्रमाण-पत्रों के कारण 62 मामलों में ₹40.47 करोड़ राशि के दावों में त्रुटियां देखी गई थीं। आरए और सिस्टम द्वारा अपूर्ण नियंत्रण के कारण 34 मामलों में ₹13.02 करोड़ राशि के अधिक रिवार्ड जारी किये गये।

पोर्ट सेवाओं के लिए एसईआईएस प्रावधानों में स्पष्टता की कमी थी जैसे वास्तविक सेवा प्रदाता लाभ कैसे प्राप्त करेगें जबकि वे प्रत्यक्ष रूप से विदेशी उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान नहीं कर रहे थे।

(पैरा 3.4 से 3.6)

एसईआईएस स्क्रिप्स के प्रति आयातित माल के लिए आयात ड्यूटी की छूट अनुमत करने के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना (2015 की 16, दिनांक 1 अप्रैल 2015) में विनिर्दिष्ट पोर्ट द्वारा निर्यात प्रभावित करने वाली शर्त एसईआईएस प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

(पैरा 3.7)

निर्यातकों ने समान निर्यात के लिए सॉफ्टैक्स रिटर्न और एसईआईएस दावों में सेवाओं की अलग-अलग प्रकृति की घोषणा की थी। स्क्रिप्स के जारी करने से पहले डीसी कार्यालयों द्वारा इनकी जांच की जा सकती थी, परंतु ऐसा नहीं किया गया।

(पैरा 3.8)

एसईआईएस संस्वीकृति से पूर्व संवीक्षा के रूप में की जाने वाली जांच के संबंध में आरए को डीजीएफटी द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये थे और आरए या डीसी कार्यालयों में एसईआईएस दावों के प्रसंस्करण के लिए अपनाये जाने वाली प्रक्रिया में कोई समानता नहीं थी।

(पैरा 3.9)

लेखापरीक्षा डीजीएफटी द्वारा आरए के प्रदर्शन पर प्रणालीबद्ध निगरानी के प्रमाण प्राप्त नहीं कर सकी। डीजीएफटी ने कहा कि एमईआईएस/एसईआईएस आवेदनों के प्रसंस्करण में विलंब की निगरानी जैस्पर रिपोर्टिंग मोड्यूल द्वारा की गई थी। हालाँकि, योजना कार्यान्वयन और आरए के समग्र प्रदर्शन की कोई निगरानी नहीं थी। योजना के आवधिक मूल्यांकन से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती थी कि योजना के उद्देश्य प्राप्त कर लिये गये थे और किन्हीं खामियों के मामले में मध्य-अवधि सुधार भी किये गये थे। वाणिज्य विभाग द्वारा की गई एफटीपी की मध्यावधि समीक्षा सेवा क्षेत्र निर्यात पर एसईआईएस के प्रभाव पर

मौन थी। लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में योजनाओं के प्रदर्शन का आकलन डीजीएफटी द्वारा नहीं किया गया था।

(पैरा 3.10 और 3.11)

यह प्रमाणित करने का कोई रिकार्ड नहीं मिला कि एमईआईएस /एसईआईएस के ऑनलाईन मोड्यूल में मौजूद शिकायत निवारण तंत्र था और कि एमईआईएस/एसईआईएस शिकायतों का कोई विलंबन विश्लेषण अभी तक डीजीएफटी द्वारा किया गया था।

(पैरा 3.12)

सिफारिशें

1. *सरकार के ई-प्रशासन पर शिफ्ट होने के प्रयत्न और स्वचालन में डीजीएफटी द्वारा प्राप्त विशाल अनुभव के मद्देनजर, यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विदेश व्यापार प्रोत्साहन योजनाओं के प्रशासन की पूरी प्रणाली को फुल प्रूफ सिस्टम रोल आउट करके स्वचालित रूप से योजना प्रावधानों के लिए मैप किया गया है और आईसीएस, एसईजेड ऑनलाइन इत्यादि जैसे लिंक / बेस सिस्टम में पहले से उपलब्ध जानकारी का भी लाभ उठाया गया है, ताकि यह सत्य का एकल स्रोत बन जाए।*
2. *डीजीएफटी को एमईआईएस/एसईआईएस स्क्रिप्स की अनुमति की प्रक्रिया की समीक्षा और स्क्रिप्स को इलैक्ट्रॉनिक और मैन्यूल वातावरण दोनों में अनुमत करने के लिए उपयुक्त जांच सूची तैयार की जानी चाहिए।*
3. *रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) को स्क्रिप्स जारी करने पर स्वचालित प्रणाली में कमी और खामियों को दूर करके सुदृढ़ किया जाना चाहिए। निर्यातकों द्वारा आयोग, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ) की घोषणा करने और डीजीएफटी के लिए निर्यातक / आवेदक की स्व-घोषणा की शुद्धता की जांच करने के लिए उचित नीति ढांचे और सिस्टम अलर्ट को लागू करने की आवश्यकता है ताकि सिस्टम द्वारा चुने गए चुनिंदा मामलों में निर्यातक / आवेदक की स्व-घोषणा की जांच हो सके।*

4. *अध्याय 3 में रिपोर्ट किये गये प्रोत्साहनों के अधिक अनुदान पर लेखापरीक्षा परिणाम वर्तमान मैन्यूल सत्यापन के मद्देनजर यादरेच्छिक सैंपलिंग का उपयोग करते हुए नमूनाकृत मामलों पर की गई नमूना जांच पर आधारित थे। इस बात की पूरी संभावना है कि भूल और चूक की ऐसी त्रुटियां कई और मामलों में मौजूद हो सकती हैं। विभाग बचे हुए सभी संव्यवहारों को अध्याय 3 में रिपोर्ट किये गये लेखापरीक्षा परिणामों की तर्ज पर जाँच कर सकता है।*
5. *हैंडलूम श्रेणी के अंतर्गत पॉवरलूम उत्पादों के गलत-वर्गीकरण की आशंका से बचने के लिए, पावरलूम और हैंडलूम प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्टतः निर्दिष्ट किया जा सकता है।*
6. *अस्पष्टता से बचने के लिए और पात्र सेवाओं पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए, बजाय केवल पात्र सेवा की सूची के सीरियल नंबर को बताते हुए, डीजीएफटी, केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण (सीपीसी) कोड और वह मोड जिसके अंतर्गत यह आते हैं; के साथ सेवा के सटीक वर्गीकरण पर सीए प्रमाण पत्र के लिए अधिक दबाव बना सकते हैं। योजना लाभ के लिए उपलब्ध कोड और मोड के बारे में और आवेदक की घोषणाओं और सीए प्रमाणपत्रों में पाई गई कमियों पर दंड प्रावधानों के संबंध में उपयुक्त स्पष्टता प्रणाली में लाई जा सकती है। सीए का उत्तरदायित्व भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और उनके द्वारा विफल होने पर उपयुक्त प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए।*
7. *डीजीएफटी एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने से पहले अपेक्षित आधारभूत नियंत्रण के बारे में आरए को स्पष्ट निर्देश जारी कर सकता है। आवेदक की उद्घोषणाओं और सीए प्रमाण-पत्रों में पाई गई कमियों पर पैनल प्रावधान लागू करना अति आवश्यक किया जा सकता है।*
8. *डीजीएफटी को चार प्रकार की सेवाओं के विभाजन पर नीति तथा प्रकियाओं में स्पष्टता लानी चाहिए। सेवाओं के वर्गीकरण पर आवेदकों के घोषणापत्र और सीए प्रमाण-पत्रों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि सेवाओं के भेद का पता लगाया जा सके ।*
9. *डीजीएफटी पोर्ट सेवाओं के संबंध में तंत्र विकसित कर सकता है ताकि वास्तविक सेवा प्रदाताओं को पुरस्कार देने का इरादा सेवाओं के एग्रीगेटर के दावों के खिलाफ सुरक्षित रहे और सीमा शुल्क अधिसूचना में छूट की शर्तों को एसईआईएस स्कीम के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।*

10. *प्रोत्साहन, जो कि सीपीसी कोड पर आधारित है; के किसी दुरूपयोग से बचने के लिए, विभिन्न एजेंसियों (डीजीएफटी, आरबीआई, सीमा शुल्क आदि) द्वारा सेवाओं का वर्गीकरण यूएनएसडी के केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण (सीपीसी) कोड के अनुसार किये जाने की आवश्यकता है ।*
11. *एक तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया जाना चाहिए कि समान निर्यात हेतु विभिन्न प्राधिकरण (डीजीएफटी, आरबीआई, सीमा शुल्क आदि) को सेवा प्रदाताओं द्वारा रिपोर्ट करते हुए सेवा के वर्गीकरण की वैधता क्षेत्राधिकार विकास आयुक्त सत्यापित करता है।*
12. *आरए को उन मामलों में जहां सेवाओं को मोड-1 श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत/उद्घोषित किया गया था, सॉफ्टैक्स फॉर्म हेतु दबाव बनाना चाहिए जो डेटा लिंक के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (माल और सेवाओं के निर्यात) विनियम 2000 के तहत एक अनिवार्य घोषणा थी ।*
13. *व्यापार आसान करने के लिए, हमने सिफारिश की कि डीजीएफटी शिकायत निवारण के लिए एक अंतर्निर्हित प्रणाली पर विचार कर सकती है। योजना को सुधारने के लिए उक्त के विश्लेषण को फीडबैक तंत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह के मापदंडों पर योजनाओं की निगरानी जैसे की दावों को कार्यान्वित करने में लगने वाला समय, आरएमएस जांच आदि योजना को लागू करने में आरए के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जा सकता है।*
14. *हम अनुशंसा करते हैं कि डीजीएफटी योजना के मुख्य उद्देश्यों के लिए शुरू की गई ऐसी किसी भी योजना की उपलब्धियों का एक मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन शुरू करने पर विचार कर सकता है।*

डीजीएफटी ने चार (2, 9, 11 और 14) को छोड़कर सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और दो (1और 4) सिफारिशों के संबंध में प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

एसईआईएस स्क्रिप्स और चेकलिस्ट जारी करने के लिए प्रक्रिया की समीक्षा करने पर (**सिफारिश 2**), यह कहा गया था कि नीति और प्रक्रियात्मक प्रावधान पहले से ही मौजूद थे और पहले से मौजूद प्रावधानों के लिए चेकलिस्ट जारी करना हालांकि उपयोगी था, लेकिन लाइसेंसिंग अधिकारियों को एक अवांछनीय मार्ग भी देगा जो दावे की शुद्धता के लिए चेकलिस्ट की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। ऑडिट दोहराता है

कि एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) या आरए के लिए एक विस्तृत चेकलिस्ट, यह सुनिश्चित करेगी कि सभी बुनियादी चेक आरए द्वारा समान रूप से पालन किए जा रहे हैं, इसके अलावा दावों की समग्र पेंडेंसी को भी व्यवस्थित करेगी ।

''पोर्ट सेवाओं'' **(सिफारिश 9)** पर डीजीएफटी ने कहा कि पोर्ट पर सेवा प्राप्त की गई थी परंतु क्योंकि यह विदेशी लाईनर के लिए थी, यह श्रेणी मोड 2 में आएगी और ऐसी सेवाओं हेतु रूपये भुगतान रिवार्ड के लिए योग्य थे। जवाब में सिफारिश में ऑडिट द्वारा उठाए गए मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया था, जो सेवा प्रदाताओं और एग्रीगेटर्स के कारण रिवॉर्ड के बीच अंतर करने के लिए तंत्र के बारे में था।

विभिन्न प्राधिकरणों को सेवा प्रदाताओं द्वारा रिपोर्ट की गई सेवा के वर्गीकरण का सत्यापन करते हुए क्षेत्राधिकार विकास आयुक्त पर **(सिफारिश 11)** डीजीएफटी ने कहा कि बहुल संगठन जोकि सेवा की समान प्रकार हेतु अलग-अलग रिपोर्टिंग प्रारूप का उपयोग करते हैं, से सेवाओं की रिपोर्टिंग का सत्यापन योजना को गैर-कार्यान्वयन योग्य बना देगा। लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग प्रारूप के संदर्भ में नहीं थी परन्तु विभिन्न एजेसियों को रिपोर्ट किये गये वर्गीकरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र से संबंधित थी। विभिन्न एजेंसियों को समान सेवाओं की रिपोर्टिंग हेतु प्रयुक्त वर्गीकरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए आसान तंत्र विभाग द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

ऐसी योजनाओं के मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन आरंभ करने पर **(सिफारिश 14)** यह कहा गया था कि एफटीपी 2015-20 का 31 मार्च 2020 से बंद होना अपेक्षित था, इसका मध्यावधि मूल्यांकन शायद संभव नहीं हो सकता। लेखापरीक्षा की सिफारिश सामान्य थी क्योंकि योजनाओं का आवधिक मूल्यांकन यह सुनिश्चित करेगा कि किसी खामी के मामले में मध्यावधि सुधारों के अतिरिक्त अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त किये गये थे।

शब्दावली

शब्दावली	
एएआई	भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण
एआईआईएस	एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्क्रिप
एसीयू	एशियाई समाशोधन संघ
एएनएफ	आयात निर्यात फॉर्म
बीई	बिल ऑफ एंट्री
बीआरसी	बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र
सीए	चार्टर्ड अकाउंटेंट
सीएजी	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
सीपीसी	केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण
सीपीजीआरएएमएस	केंद्रीकृत लोकशिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
सीएसईजेड	कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र
सीटीएच	सीमाशुल्क प्रशुल्क शीर्षक
डीसी	विकास आयुक्त
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशक
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीटीए	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज
ईपी	निर्यात प्रोत्साहन
ईपीसी	निर्यात संवर्धन परिषद
ईपीसीएच	हस्त शिल्प निर्यात संवर्धन परिषद
फ़ेमा	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफआईआरसी	विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र
एफएमएस	फोकस मार्केट स्कीम

एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफपीओ	विदेशी डाकघर
एफपीएस	फोकस उत्पाद योजना
एफ़टीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटीडब्ल्यूज़ेड	मुक्त व्यापार और भण्डारण क्षेत्र
एफवाई	वितीय वर्ष
जीएसटी	माल और सेवाकर
एचबीपी	प्रक्रियाओं की पुस्तिका
एचएस	समन्वित प्रणाली
आईसीईएस	भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आइ्रएनआर	भारतीय रुपया
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीईएस	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं
आईटीसी	भारतीय व्यापार स्पष्टीकरण
जेएनसीएएच	जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस
केएएसईज़ेड	कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र
एलईओ	लैट एक्सपोर्ट ऑर्डर
एमईआईएस	मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम
एमएलएफपीएस	मार्केट लिंक्ड फोकस उत्पाद योजना
एमईपी	न्यूनतम निर्यात मूल्य
एनसीटी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनएफई	निवल विदेशी विनिमय
पीएन	सार्वजनिक सूचना
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकरण
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरएलए	क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण

आरसीएमसी	पंजीकरण सहसदस्यता प्रमाण-पत्र
आरएमएस	रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम
एसएसी	सेवा लेखा कोड
एसईआईएस	सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम
एसईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसईईपीज़ेड	सांताक्रुज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
एसएफआईएस	सेर्वेड फ्रॉम इंडिया स्कीम
एस.बी.	शिपिंग बिल
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
सॉफ्टेक्स	सॉफ्टवेयर निर्यात
एसटीपीआई	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया
टीएचसी	टर्मिनल हैंडलिंग प्रभार
वीकेजीयूवाई	विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना
वाईओवाई	साल दर साल
यूएवी	अनमैंड एरियल व्हीकल

अध्याय I

'मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एमईआईएस) और 'सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एसईआईएस) का विहंगावलोकन

1 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20, 'मेक इन इंडिया' विजन के साथ देश में निर्यात बढ़ाने,रोजगार पैदा करने और मूल्य वृद्धि में बढ़ोतरी के लिए एक प्रारूप प्रदान करती है। नई नीति का मुख्य उद्देश्य 'व्यापार करने में आसानी' में सुधार करने पर विशेष बल देते हुए निर्माण और सेवा क्षेत्रों दोनों को सहायता प्रदान करना है।

1 अप्रैल 2015 से लागू एफटीपी के तहत सरलीकरण की दिशा में एक प्रमुख पहल दो नई योजनाओं की, नामत: 'मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम**'** (एमईआईएस) को पहली पांच योजनाओं[2] को विलय करके और 'सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एसईआईएस) को सेर्वेड फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) से प्रतिस्थापित कर शुरुआत की गई

1.1 योजनाएं

(i) 'मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एमईआईएस)

एमईआईएस को भारत में निर्मित/उत्पादित अधिसूचित माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। यह योजना अपने दायरे में अधिक से अधिक उत्पादों को लाकर प्रोत्साहनों को पुनर्गठित करने का लक्ष्य रखती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मात्रा में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। एमईआईएस, जो 4914 टैरिफ लाइनों के साथ शुरू हुआ, वर्तमान में 8315 टैरिफ लाइनों को कवर करता है।

एमईआईएस योजना के तहत अलग-अलग देशों के लिए निर्धारित फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) निर्यात के मूल्य का 2 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक दरों पर स्क्रिप्स जारी किये गये हैं। शुल्क स्क्रिप्स के रूप में जारी किये गये प्रोत्साहनों को सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/सेवा कर/जीएसटी सहित कई शुल्क/कर के भुगतान के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

---

[2] 1) फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस), (2) फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस), (3) विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), (4) मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एमएलएफपीएस) और (5) कृषि बुनियादी ढांचा प्रोत्साहन स्क्रिप्स

एमईआईएस के अंतर्गत कवर किये गये मुख्य उत्पाद समूह हैं: कृषि और ग्रामीण उद्योग उत्पाद, औषधीय उत्पाद, कपड़ा और वस्त्र, विद्यत और विद्युत उत्पाद और ऑटो मोबाईल्स।

(ii) 'सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एसईआईएस)

एसईआईएस , अर्जित निवल विदेशी विनिमय (एनएफई) के 3 प्रतिशत या 5 प्रतिशत पर प्रतिफल का प्रस्ताव देते हुए योग्य सेवा निर्यात के लिए एक प्रोत्साहन योजना है। एसईआईएस के अंतर्गत दो प्रकार की गई सेवाएं योग्य हैं यानी भारत से बाहर निर्यात की गई सेवाएं और भारत में विदेशी उपभोक्ता को प्रदत्त सेवाएं। यह योजना 'भारतीय सेवा प्रदाताओं', जो पहले की नीति में रही है, के बजाय भारत में स्थित 'सेवा प्रदाताओं' को शामिल करती है। इस योजना के अंतर्गत जारी किये गये प्रोत्साहन स्क्रिप्स पूर्णत: हस्तांतरण योग्य है। एसईआईएस लाभ विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) यूनिट को भी दिये गये हैं।

1.2 सांख्यिकीय विहंगावलोकन

वित्तीय वर्ष 2014-15 (वि.व.15) से वि.व.19 की पिछली पांच वर्षों की अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए प्रदान किए गए रिवार्ड्स के विश्लेषण से पता चला कि प्रोत्साहन राशि के रूप में माफ की गई राशि 19,031 करोड़ से बढ़कर 44,305 करोड़ हो गई। एमईआईएस और पूर्ववर्ती योजनाओं के अंतर्गत विदेशी विनिमय के अर्जन के लिए यथानुपात कर व्यय वि.व. 15 में 3.15 प्रतिशत से 2018-19 में 3.14 प्रतिशत तक कम हो गया। एसईआईएस योजना के लिए यथानुपात कर व्यय की गणना नहीं की जा सकी चूंकि वि.व. 16 और पूर्ववर्ती योजना (एसएफआईएस) के लिए एसईआईएस योजना (स्क्रिप्स, शुल्क क्रेडिट और निर्यात के एफओबी मूल्य) के विवरण विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट में नहीं दिये गये थे। जारी किये गये स्क्रिप्स की संख्या भी विव 15 में 1.82 लाख से वि.व 19 में 3.09 लाख तक बढ़ा, जैसा कि नीचे **तालिका 1** में दर्शाया गया है:

तालिका 1: वि.व. 15 से वि.व. 19 के दौरान प्रदत्त रिवॉर्ड का विवरण

विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत स्क्रिप्स , ड्यूटी क्रेडिट, निर्यात के एफओबी मूल्य की संख्या						
वर्ष	**मापदंड**	**वि.व. 15**	**वि.व. 16**	**वि.व. 17**	**वि.व. 18**	**वि.व. 19**
पहले से मौजूद पांच योजनाएं	स्क्रिप्स की सं.	180002	123858	32053	9250	4159
	ड्यूटी क्रेडिट	17731	11028	2337	702	550
	एफओबी (₹ करोड़ में)	562589	334247	64687	21268	20775
एमईआईएस	स्क्रिप्स की सं.		31375	159446	218402	298350
	स्क्रिप्स का मूल्य (₹ करोड़ में)		4104	18117	25994	39298
	एफओबी (₹ करोड़ में)		138014	688473	978286	1246772
एमईआईएस और पूर्ववर्ती योजनाओं का कुल	स्क्रिप्स की संख्या	180002	155233	191499	227652	302509
	स्क्रिप्स का मूल्य (₹ करोड़ में)	17731	15132	20454	26696	39848
	एफओबी (₹ करोड़ में)	562589	472261	753160	999554	1267547
एफओबी से स्क्रिप मूल्य का अनुपात		***3.15***	***3.2***	***2.72***	***2.67***	***3.14***
साल दर साल एफओबी से स्क्रिप मूल्य के अनुपात		***(-) 12.25***	***(+) 1.58***	***(-) 15.00***	***(-) 1.83***	***(+) 17.60***
एसएफआईएस	स्क्रिप्स की संख्या	1984	2072	1423	751	259
	ड्यूटी क्रेडिट (₹ करोड़ में)	1300	1126	1252	309	194
	एफओबी (₹ करोड़ में)	***डीजीएफटी रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं***				
एसईआईसी	स्क्रिप्स की संख्या		0	1368	5569	6376
	ड्यूटी क्रेडिट (₹ करोड़ में)		0	561	3475	4263
	एफओबी (₹ करोड़ में)		0	167172	1587379	1372212
एसएफआईएस और एसईआईएस का कुल	स्क्रिप्स *की संख्या*	1984	2072	*2791*	*6320*	*6635*
	स्क्रिप्स *का मूल्य (₹ करोड़ में)*	1300	1126	*1813*	*3784*	*4457*
	एफओबी (₹ करोड़ में)	***डीजीएफटी रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं***				
कुल योग	स्क्रिप्स की संख्या	**181986**	**157305**	**194290**	**233972**	**309144**
	स्क्रिप्स का मूल्य (₹ करोड़ में)	**19031**	**16258**	**22267**	**30480**	**44305**
	एफओबी (₹ करोड़ में)	**562589**	**472261**	**920332**	**2586933**	**2639759**

स्त्रोत: एक्सपोर्ट प्रोमोशम स्कीम 2019 पर डीजीएफटी एमआईएस रिपोर्ट

जैसा कि उपर्युक्त तालिका 1 से देखा जा सकता है, वि.व. 17 (23.51 प्रतिशत), वि.व. 18 (20.42 प्रतिशत) और वि.व. 19 (32.12 प्रतिशत) के दौरान स्क्रिप्स की संख्या में सतत् वृद्धि हुई थी यद्यपि वि.व. 16 में योजनाओं के आरंभ होने के प्रथम

वर्ष में स्क्रिप्स की संख्या में कमी आई थी। वि.व. 17 में जारी किये गये स्क्रिप्स की तुलना के साथ वि.व. 18 में एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत जारी किये गये स्क्रिप्स के रूप में उच्च 8 प्रादेशिक प्राधिकरणों (आरए) को नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है।

चित्र 1: वि.व. 17 और वि.व. 18 के दौरान मुख्य आरए द्वारा जारी किये गये एमईआईएस/ एसईआईएस स्क्रिप्स

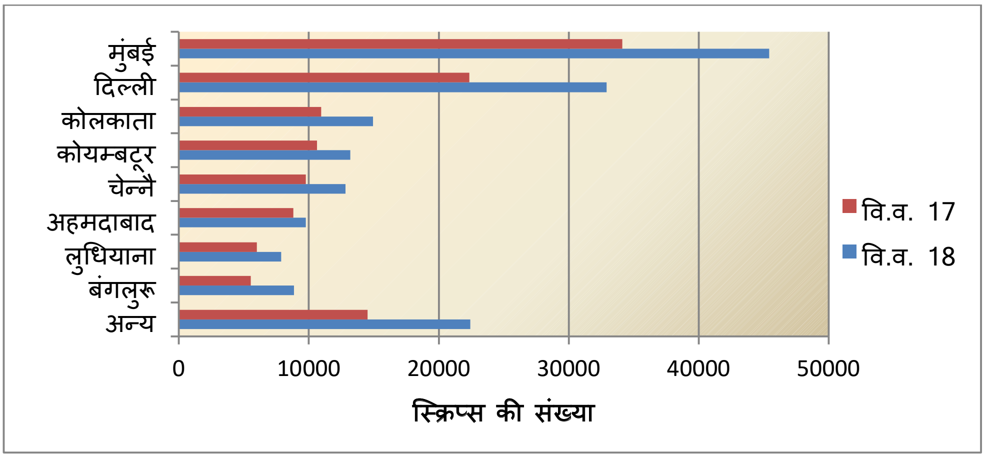

आरए मुंबई ने वि.व. 18 और वि.व. 19 के दौरान सबसे अधिक एमईआईएस/एसईआईएस स्क्रिप्स जारी किए हैं, जिसका लेखांकन कुल स्क्रिप्स का 20.8 प्रतिशत है तथा इसके बाद दिल्ली (15.07 प्रतिशत), कोलकाता (6.85 प्रतिशत), कोयम्बटूर (6.03 प्रतिशत) और चेन्नई (5.87 प्रतिशत) पर हैं ।

1.3 एमईआईएस और एसईआईएस के अंतर्गत निर्यात प्रदर्शन

1.3.1 निर्यात प्रदर्शन और स्क्रिप्स द्वारा छोड़ा गया शुल्क

वि.व.15 से वि.व.18 तक विगत चार वर्षों में यूएस बिलीयन डॉलर्स में व्यापार और सेवा का निर्यात प्रदर्शन नीचे चार्ट में दर्शाया गया है।

चित्र 2. व्यापारिक सामान और सेवाओं का अखिल भारतीय निर्यात

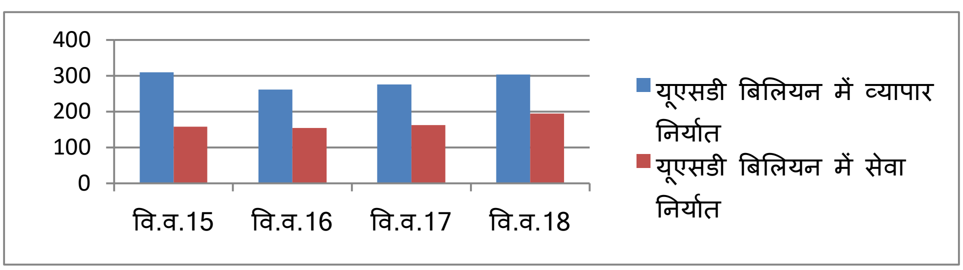

स्त्रोत: dashboard.commerce.gov.in

चित्र 3: निर्यात की वृद्धि दर

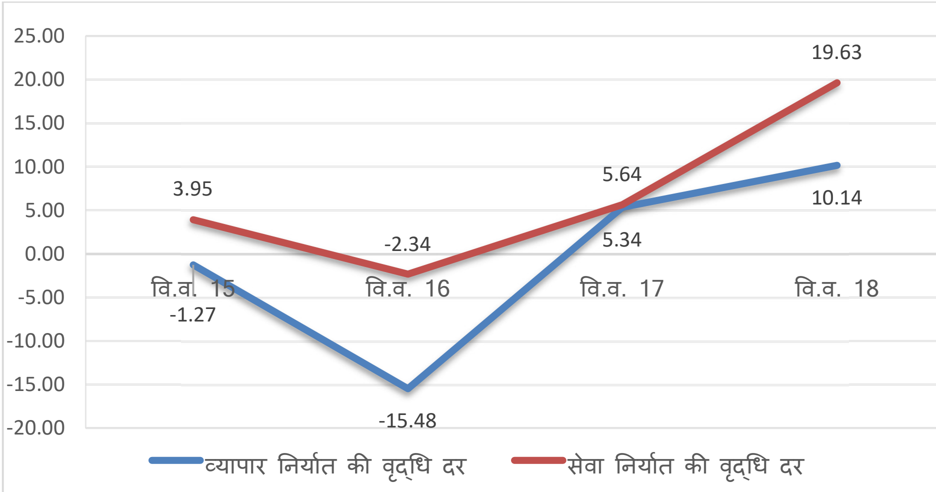

वि.व. 16 में कमी आने के बाद, वि.व. 17 और वि.व. 18 के दौरान व्यापार और सेवा के निर्यात में सुधार हुआ।

चित्र 4: व्यापार के निर्यात के सापेक्ष क्षमा किया गया शुल्क

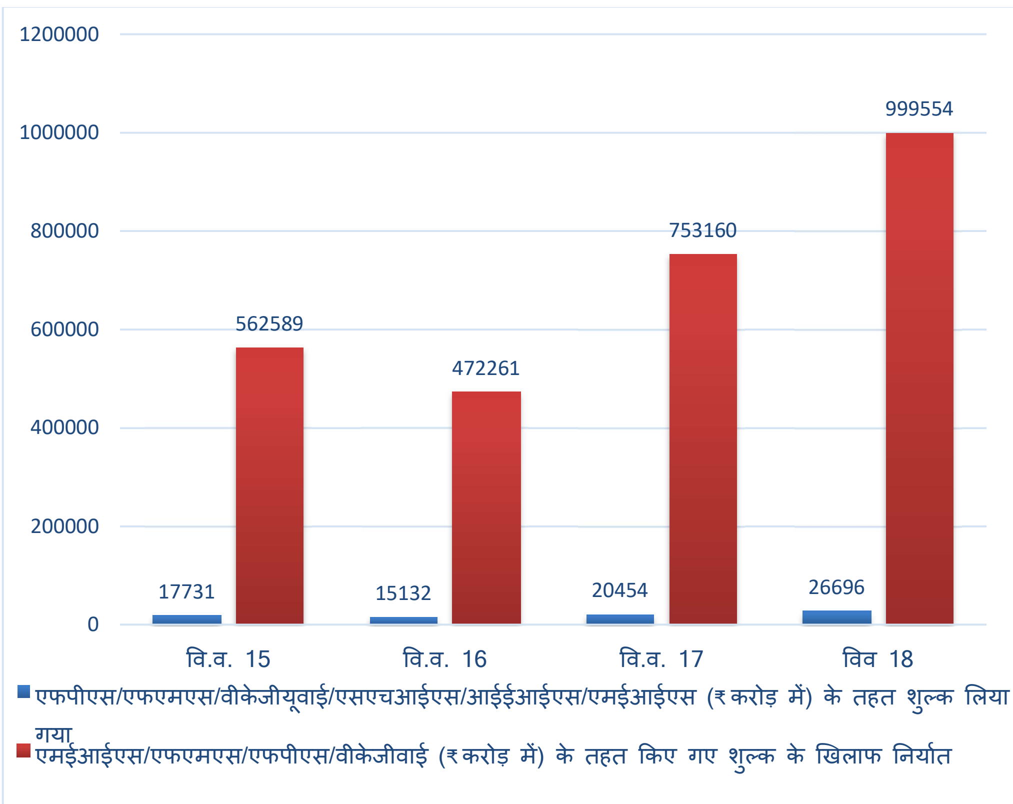

स्त्रोत: एक्सपोर्ट प्रोमोशम स्कीम 2017 पर एमआईएस रिपोर्ट

व्यापार के निर्यात में वृद्धि की प्रतिशतता वि.व. 17 में 59.47 प्रतिशत और वि.व. 18 में 32.71 प्रतिशत थी। वर्ष दर वर्ष वृद्धि में कमी केवल वि.व. 16 अर्थात एमईआईएस प्रारंभ करने के वर्ष में हुई थी।

चित्र 5: एफटीपी के अध्याय 3 के अंतर्गत सीमा शुल्क पावती की तुलना में छोड़ा गया शुल्क

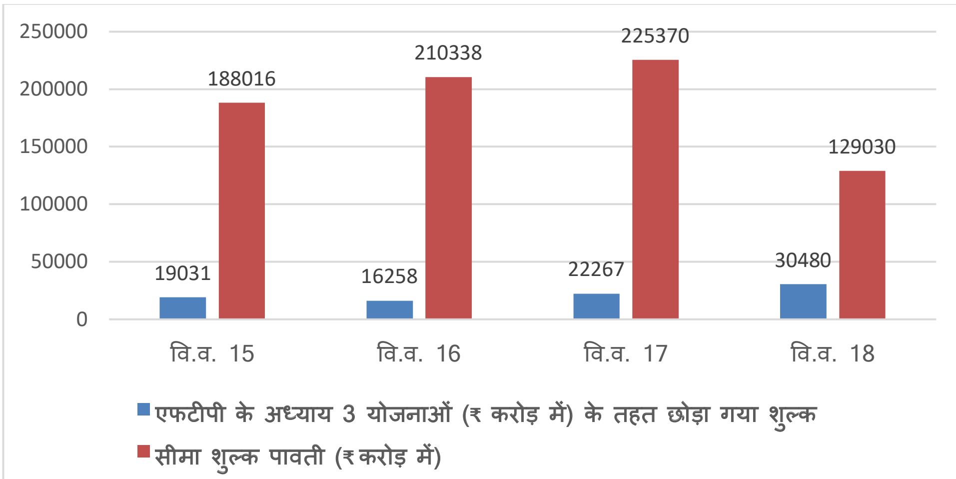

स्त्रोत: एक्सपोर्ट प्रोमोशम स्कीम 2017 पर एमआईएस रिपोर्ट और पावती बजट

चित्र 6: अध्याय 3 के अंतर्गत सीमा शुल्क पावती की तुलना में दिये गये शुल्क की वृद्धि दर

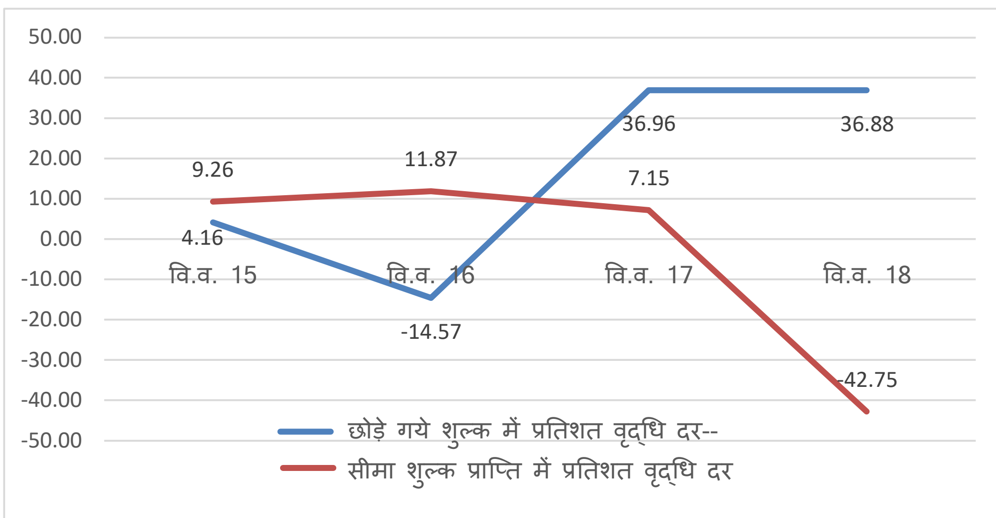

एफ़टीपी के अध्याय 3 के तहत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के प्रत्येक एक बिलियन यूएसडी के निर्यात पर सेवाओं और व्यापार के लिए ड्यूटी छूट क्रमश : ₹ 11.82 करोड़ और ₹ 61.18 करोड़ आंका गया ।

1.3.2 कुल निर्यात में एमईआईएस का भाग

वि.व. 16 से वि.व. 18 अवधि के दौरान सीमा शुल्क दर के विभिन्न भागों के अंतर्गत सामान के निर्यात के लिए एमईआईएस दावों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सीमा शुल्क दर के सभी भागों के अंतर्गत एमईआईएस के दावे में वृद्धि दर्ज की गई। कुल निर्यात के एमईआईएस के अंतर्गत किये गये औसतन निर्यात प्रतिशत में वि.व. 16 में 11.83 प्रतिशत से वि.व. 18 में 52.93 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वि.व. 17 और वि.व. 18 के दौरान अध्याय 15 (पशु या वनस्पति वसा और तेल) और अध्याय 71 (मोती, महंगे पत्थर/धातु, जैम्स और आभुषण) के अंतर्गत एमईआईएस दावे इनकी संबंधित निर्यात मात्रा की तुलना में नगण्य थे **(परिशिष्ट 1)**।

1.3.3 हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को एमईआईएस लाभ का विश्लेषण

ग्रामीण और लघु स्तर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की एमईआईएस दरों में वृद्धि की (नवंबर 2017)। विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कुल हस्तशिल्प निर्यात की तुलना में एमईआईएस के अंतर्गत कवर किये गये हस्तशिल्प निर्यात के प्रतिशत में 5.55 प्रतिशत से 29.34 प्रतिशत की पांच गुणा वृद्धि हुई थी जैसा कि नीचे **तालिका** 2 में दर्शाया गया है। अब भी इस क्षेत्र में उपलब्ध कराये गये उच्चतर एमईआईएस दरों के बावजूद, निर्यात किये जा रहे हस्तशिल्प मदों का 70 प्रतिशत जितना बड़ा भाग एमईआईएस के दायरे से बाहर है।

तालिका 2: हस्तशिल्प निर्यात

वर्ष	हस्तशिल्प निर्यात का मूल्य (हाथ से बनाये गये गलीचे के अतिरिक्त) (₹ करोड़ में)	एमईआईएस के अंतर्गत दावा किये गये हस्तशिल्प के निर्यात का मूल्य (₹ करोड़ में)[3]	एमईआईएस के अंतर्गत रिवॉर्ड के लिए दावा किये गये निर्यात की प्रतिशतता
वि.व. 16	21557.12[4]	1197.88	5.55
वि.व. 17	24392.39	6243.28	25.60
वि.व.18	23029.36	6732.96	29.34

[3] डीजीएफटी नईदिल्ली द्वारा उपलब्ध कराया गया एमईआईएस डेटा।

[4] स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के डेटा से निर्यात डेटा और विदेश व्यापार महानिदेशक, नई दिल्ली से प्राप्त एमईआईएस के तहत निर्यात के दावे का आकड़ा।

तालिका 3 में दर्शाए गए हथकरघा श्रेणी के तहत इसी तरह के विश्लेषण से पता चला है कि एमईआईएस इनाम के लिए हथकरघा निर्यात के तहत किए गए निर्यात का मूल्य वि.व.18 में 15.52 प्रतिशत से बढ़कर 60.08 प्रतिशत हो गया है, जिसमें लगभग 40 प्रतिशत निर्यात एमईआईएस इनाम[5] से बाहर है।

तालिका 3: हथकरघा निर्यात

वर्ष	हथकरघा निर्यात का मूल्य[6] (₹ करोड़ में)	एमईआईएस के अंतर्गत दावा किये गये हथकरघा निर्यात का मूल्य (₹ करोड़ में)[7]	दावा किये गये निर्यात का प्रतिशत
वि.व. 16	2353.33	365.23	15.52
वि.व. 17	2392.21	1106.04	46.24
वि.व. 18	2280.19	1370.03	60.08

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य अग्रलिखित थे:

(i) एमईआईएस और एसईआईएस स्क्रिप्स के जारी करने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए आरंभ किये गये सुविधा उपायों की सफलता की जांच करना,

(ii) डीजीएफटी की इलेक्ट्रॉनिक सुचना का आदान प्रदान (इडीआई) प्रणाली में योजनाओं के नियम और प्रक्रियाओं के प्रभावी लिंकेज की जांच करना,

(iii) यह जांच करना कि क्या आंतरिक नियंत्रण उपाय सरलीकरण और स्वचालन के वातावरण में राजस्व घाटे के जोखिम,दुरूपयोग और धोखाघड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त थे।

1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा कवरेज, लेखापरीक्षा मानदंड और लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में अप्रैल 2015 से अक्तूबर 2018 की अवधि हेतु रिकॉर्ड और संव्यवहारों को कवर किया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा डीजीएफटी और इसके

---

[5] हथकरघा वस्तुओं के अंतर्गत कुल 32 सीटीएच कवर किये (परिशिष्ट 3B)

[6] वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद का निर्यात आंकड़ा।

[7] डीजीएफटी नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराए गए एमईआईएस डेटा।

प्रादेशिक प्राधिकरण (आरए), संबंधित सीमा शुल्क आयुक्तालयों के अंतर्गत सीमा शुल्क विन्यास क्षेत्र कवर किये गये हैं।

लेखापरीक्षा कवरेज

अप्रैल 2015 से अक्तूबर 2018 की अवधि के लिए डीजीएफटी से प्राप्त संपूर्ण भारत के डेटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 36 प्रादेशिक प्राधिकरण (आरए) और एसईजेड के 9 विकास आयुक्तों (डीसी) द्वारा ₹ 76,416 करोड़ राशि के 5,94,653 (5,84,650 एमईआईएस और 10,003 एसईआईएस) स्क्रिप्स जारी किये गऐ थे।

संपूर्ण भारत के डेटा के विश्लेषण के अतिरिक्त,वर्तमान मैन्यूअल प्रक्रियाओं के मद्देनजर, डीसी कार्यालयों और आरए द्वारा संयुक्त किये मैन्यूल नियंत्रण की जांच के लिए, 25 आरए (कुल आरए का 66 प्रतिशत) और 7 डीसी कार्यालयों (कुल डीसी कार्यालयों का 77 प्रतिशत) का नमूना इस लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया था। इन 32 इकाईओं में ₹ 72,743 करोड़ की राशि वाले 5,53,726 (5,43,803 एमईआईएस और 9,923 एसईआईएस) स्क्रिप्स कवर किये गये थे। मूल्य और संख्या के रूप में 32 चयनित इकाईयों द्वारा हैंडल किये गये स्क्रिप्स की प्रतिशतता क्रमश: 95.19 और 93.12 **(परिशिष्ट 2)** आंकी गई थी।

इसके अतिरिक्त,इन चयनित इकाईयों में कुल स्क्रिप्स का 1.7 प्रतिशत दर्शाते हुए 6,205 स्क्रिप्स (5747 एमईआईएस स्क्रिप्स और 458 एसईआईएस स्क्रिप्स) का विस्तृत जांच के लिए चयन किया गया। लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों का भी चयन किया था जहां पर इन नमूना स्क्रिप्स से संबंधित निर्यात भी प्रभावित हुये थे **(परिशिष्ट 3)** ।

संपूर्ण भारत के डेटा पर किये गये डेटा विश्लेषण के परिणाम और चयनित इकाईयों में की गई नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष और नमूना प्राप्त स्क्रिप्स रिपोर्ट में उचित ढंग से शामिल किये गये थे।

लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष के बैंचमार्क के लिए मानदंड के रूप में लागू अधिनियम, मैन्यूल, नियम, सरकारी अधिसूचनाओं के प्रासंगिक प्रावधान प्रयोग किये। महत्वपूर्ण प्रावधानों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

- विदेश व्यापारी नीति (एफटीपी) 2015-20,
- प्रक्रियाओं की हैंडबुक (एचबीपी) और इसके परिशिष्ट और फार्म,
- डीजीएफटी द्वारा जारी किये गये सार्वजनिक सूचना/परिपत्र,

- एमईआईएस और एसईआईएस पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड **(**सीबीआईसी**)** की अधिसूचनाएं और परिपत्र, जिन्हें समय-समय पर जारी किया गया था और लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान प्रभावी थी।

लेखापरीक्षा कार्य पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के दिशानिर्देशों का प्रयोग करते हुए और सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 में निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र के अंतर्गत यह निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में फाईलों की डैस्क समीक्षा, डेटा का संग्रहण और डेटा विश्लेषण**,** स्क्रिप्स फाइलों की नमूना जांच, एमईआईएस और एसईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के लाभ प्राप्त करते हुए आयात पत्र (आयात) शामिल होते हैं।

अध्याय 2

एमईआईएस और एसईअआईएस के कार्यान्वयन में प्रणालीगत मुद्दे

एमईआईएस और एसईआईएस योजनाओं को मुख्यत: व्यापार करने की सुविधा में सुधार, प्रक्रियाओं को सरल करने, पेपर रहित प्रक्रिया के लिए मुहिम और बेहतर व्यापार सुविधा के उद्देश्य के साथ आरंभ किया गया था। डीजीएफटी ने आवेदनों की सिस्टम द्वारा प्राप्ति शुरू करने के लिए और आरए और निर्यातकों के बीच न्यूनतम भौतिक इंटरफेस के साथ स्क्रिप्स को जारी करने के लिए इन योजनाओं के लिए संवर्द्धित इलैक्ट्रॉनिक प्रशासन को आरंभ किया।

लेखापरीक्षा ने 2015-16 से 2018-19 (अक्तूबर 2018) की अवधि हेतु संपूर्ण भारत के डेटा का विश्लेषण करते हुए एमईआईएस और एसईआईएस स्क्रिप्स के जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आरंभ किये गये सुविधाजनक उपायों के कार्यान्वयन और स्वत: चालित प्रणाली में मुख्य विशेषताओं की जांच की। विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि यद्यपि एसईआईएस का स्वचालन आंशिक था, एमईआईएस के मामले में जहां की स्वचालन वृहद था, स्वचालन प्रक्रियाओं में कई कमी और खामियां थीं। एमईआईएस / एसईआईएस के लिए विकसित स्वचालित प्रणाली में मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिससे प्राधिकृत अधिकारियों के हाथों में परिहार्य भौतिक इंटरफ़ेस और विवेक होता है जिसके परिणामस्वरूप विलंब होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में मैनुअल हस्तक्षेप के मद्देनजर, पैन-इंडिया डेटा के विश्लेषण को पूरा करने के अलावा, 32 चयनित इकाइयों में स्क्रिप्स का एक नमूना लेकर सीमित क्षेत्र के ऑडिट भी किए गए थे। **चूंकि ऑडिट निष्कर्ष परीक्षण जांच पर आधारित होते हैं, इसलिए संभावना है कि भूल और चूक की ऐसी त्रुटियां अन्य मामलों में भी मौजूद हो सकती हैं। इसलिए विभाग शेष सभी लेन-देन की भी जांच कर सकता है और उचित सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।**

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण और व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य को प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता को इंगित किया, जैसा कि नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- एमईआईएस से संबंधित निष्कर्ष
    - एमईआईएस स्क्रिप्स के जारी करने में अधिक विलंब;
    - स्क्रिप्स मूल्य और वास्तविक पात्रता के बीच त्रुटियां;

  - विदेशी विनिमय दरों का गलत अपनाया जाना;
  - "लेट कट" का गलत उद्ग्रहण;
  - भारतीय रूपये में वसूली गई निर्यात प्राप्ति पर लाभ का अनुदान और
  - एमईआईएस हेतु ई-कॉमर्स मोड्यूल के संचालन में विलंब
- एसईआईएस से संबंधित निष्कर्ष
  - स्क्रिप्स के जारी करने में विलंब
- रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) से संबंधित निष्कर्ष
  - आरएमएस की कार्यशीलता में विलंब और त्रुटियां तथा
  - प्रभावहीन आरएमएस के परिणाम

एमईआईएस से संबंधित निष्कर्ष

2.1 एमईआईएस स्क्रिप्स जारी करने में विलंब

एफटीपी के पैरा 1.09 के अंतर्गत डीजीएफटी अपने सीटीजन चार्टर में एफटीपी के अध्याय 3 के अंतर्गत आवेदनों के निपटान के लिए तीन दिन निर्दिष्ट[8] करता है। आवेदन में गलत श्रेणीबद्धता या गलत घोषणा की शंका के मामले में, संबंधित आरए भौतिक दस्तावेज प्राप्त कर सकता है और ऐसे दस्तावेज की संवीक्षा के बाद सात दिनों[9] में दावे का निर्णय अवश्य किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने इन समयसीमा के अनुसार सुविधा उपायों की सफलता को मापा और पाये गये विलंब की भी जांच की थी, जैसा कि नीचे विवरण किया गया है:

2.1.1 एमईआईएस स्क्रिप्स जारी करने में विलंब

हमने वि.व.16 से वि.व.19 (अक्तूबर 2018) की अवधि हेतु एमईआईएस के पूर्ण डेटा का विश्लेषण किया और चयनित 32 इकाईयों (25 आरए और 7 एसईजेड) में स्क्रिप्स जारी करने में वि.व.16 के दौरान 12,002 फाईलों (42.33 प्रतिशत), वि.व.17 के दौरान 73,320 फाइलों (49.87 प्रतिशत), वि.व.18 के दौरान 78,771 फाईलों (38.93 प्रतिशत) और वि.व. 19 (अक्तूबर 2018 तक) के दौरान 32,886 फाईलों (20.13 प्रतिशत) में 10 दिनों से अधिक विलंब पाया गया। प्रतिशत के रूप में विलंब में वि.व.16

---

[8] सार्वजनिक सूचना संख्या 16/2015-20 दिनांक 4 जून 2015 द्वारा

[9] जैसा कि एचबीपीवी1 के पैरा 3.01 में निर्दिष्ट 5 दिसंबर 2017 से प्रभावी बनाया गया

में 49 प्रतिशत से वि.व. 18 में 39 प्रतिशत तक और इसके बाद वि.व. 19 के पहली छः माही में 20 प्रतिशत तक थोड़ी सी कमी हुई। हालांकि, संख्या वार विलंबित स्क्रिप्स काफी अधिक शेष बचे हुए थे। एसईजेड के प्रभारी आरए में 50 प्रतिशत से अधिक फाइलों में देरी देखी गई क्योंकि वे गैर-ईडीआई बंदरगाह थे और इसलिए भौतिक रिकॉर्डों के सत्यापन की आवश्यकता थी **(विवरण 1)**।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि एमईआईएस के अनुमोदन हेतु 99 प्रतिशत से अधिक समन्वित प्रणाली **(एचएस)** कोड प्रणाली से संचालित किये गए हैं।

2.1.2 एसईजेड इकाई के अंतर्गत एमईआईएस स्क्रिप्स जारी करने में विलंब

एसईजेड इकाईयों द्वारा निर्यात को सीमा शुल्क आईसीइएस नेटवर्क के साथ एसईजेड निर्यात मोड्यूल के गैर-एकीकरण और डीजीएफटी शिपिंग बिल (एस.बी.) रिपोजटरी में एसईजेड के एसबी डेटा की गैर प्राप्ति के कारण, गैर-ईडीआई मोड द्वारा निर्यात माना जाता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि एसईजेड से संबंधित 50 प्रतिशत मामलों में स्क्रिप्स के जारी करने में विलंब बताया गया है। सीटीजन चार्टर में निर्दिष्ट ईडीआई और गैर-ईडीआई बंदरगाहों के लिए स्क्रिप्स को जारी करने की समयसीमा एक सामान थी जिसकी समीक्षा की जाने की आवश्यकता है।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि अप्रैल 2019 से, डीजीएफटी और एनएसडीएल द्वारा संचालित एसईजेड ऑन लाईन मोड्यूल के डेटा विनिमय तंत्र के एकीकरण के बाद, शिपिंग बिलों का डेटा इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया जा रहा था। उन्होंने यह भी सूचित किया कि एसईजेड इकाईयों द्वारा अप्रैल 2019 के बाद शिपिंग बिलों के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया के लिए गए समय में काफी सुधार हुआ है।

एमईआईएस के लिए विकसित प्रणाली एक इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसे मैन्यूल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अत: संपूर्ण भारत के डेटा का विश्लेषण करने के अतिरिक्त 32 चयनित इकाईयों में स्क्रिप्स के नमूने प्राप्त करते हुए सीमित क्षेत्र लेखापरीक्षा की गई और स्क्रिप्स को जारी करने में अधिक विलंब के कारणों का विश्लेषण किया गया, जिस पर इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में लेखापरीक्षा परिणाम दिये गये हैं।

2.2 एमईआईएस स्क्रिप्स मूल्य और शिपिंग बिलों के अनुसार वास्तविक पात्रता के बीच त्रुटियां

रिवार्ड की प्राप्ति हेतु निर्यातक द्वारा किये गये आवेदन में स्वचालित एमईआईएस मोड्यूल को आवेदन में प्रत्येक शिपिंग बिल के लिए रिवार्ड की वास्तविक पात्रता को जोड़ना चाहिए और प्रत्येक ऐसे रिवार्ड के योग के लिए समान प्रोत्साहन स्क्रिप्स जारी करना चाहिए।

अप्रैल 2015 से अक्तूबर 2018 की अवधि के दौरान दिये गये एमईआईएस स्क्रिप्स पर संपूर्ण भारत के डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 39,184 स्क्रिप्स (कुल स्क्रिप्स का 6.70 प्रतिशत) में, जारी किये गये स्क्रिप्स का मूल्य आवेदन में एसबी की वास्तविक पात्रता के जोड़ से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप ₹13.37 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया (**विवरण** 2)।

वास्तविक पात्रता के प्रति स्क्रिप्स के अधिक जारी करने के मामले की पुष्टि करने के लिए उपर्युक्त उद्धधृत डेटा को चयनित इकाई के 355 भौतिक रिकॉर्ड से सह सम्बंधित किया गया।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (सितंबर 2019) कि "अंतिम पात्रता के आकंलन में हटाये गये शिपिंग बिलों के गैर-अद्यतन" से संबंधित सिस्टम में प्रोगरैमिंग बग की पहचान की गई थी और परिणाम स्वरूप, इसने जहां भी बकाया शेष है वहां पर आरए को वसूली करने को कहा गया।

2.3 विदेशी विनिमय दरों की गलत स्वीकृति

लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (एलईओ) की तारीख के अनुसार विनिमय दरों का उपयोग करके विदेशी मुद्रा को भारतीय रूपये[10] में परिवर्तित कर दिया जाना होता है।। समय-समय पर सीबीआईसी द्वारा इन दरों को प्रकाशित किया जाता है और डीजीएफटी द्वारा अपने ईडीआई सिस्टम में अद्यतित किया जाता है। ईडीआई शिपिंग बिलों के संबंध में, एफओबी को भारतीय रुपये में बदलने के लिए विनिमय दर को डीजीएफटी

[10] पैराग्राफ 9.12 (डी) के साथ पठित एचबीपी संस्करण 1 का पैराग्राफ 1.15

ईडीआई प्रणाली से लिया जाता है जो एलईओ तारीख को प्राप्त की गई और निर्यात प्रोत्साहन को एफओबी के प्रतिशत के रूप में सम्मानित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने आवलोकन किया कि सीमा शुल्क अधिसूचनाओं[11] के अनुसार विनिमय दरें डीजीएफटी प्रणाली में समय-समय पर अद्यतित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप प्रोत्साहन अधिक या कम जारी किये गये थे।

विनियम दरों को लागू करने के सम्बन्ध में, वि.व. 16 से वि.व. 19 (अक्तूबर 2018 तक) की अवधि हेतु एमईआईएस दावों के डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 8,218 आवेदनों से संबंधित 20,834 शिपिंग बिलों (एसबी) में, विनिमय दरों को गलत रूप से अपनाया गया जिसके परिणामस्वरूप 12,371 आवेदनों में 50,433 एसबी (कुल का 0.46 प्रतिशत) में ₹ 3.31 करोड़ के ड्यूटी क्रेडिट की कम स्वीकृति हुई **(विवरण 3)**।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि ऐसे अधिक दावों के लिए आवश्यक वसूली कार्रवाई की जानी थी और आरए को वसूली कार्रवाई आरंभ करने की सूचना दे दी गई थी। उन्होंने यह भी सूचित किया कि संपूर्ण रूप से, कुछ छोटे दावे भी थे और निवल अधिक राशि ₹ 0.09 करोड़ थी। आरए कोची और बैंगलुरू ने ₹ 0.12 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

अधिसूचनाओं के अद्यतन में विलंब से संबंधित डीजीएफटी द्वारा कोई विशेष उत्तर नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, निवल अधिक्य पर डीजीएफटी का तर्क सही नहीं था और अधिक्य और कम दावे दोनों ही अनियमित थे और स्वचालित प्रणाली में फोरैक्स दरों के समय पर अद्यतन करने से इससे बचा जा सकता था।

2.4 "लेट कट" के गलत उद्धग्रहण के कारण अधिक एमईआईएस लाभ जारी करना

एचबीपी के पैरा 9.02 के साथ पढ़े जाने वाले पैरा 3.15 के संदर्भ में, एमईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का दावा करने वाले आवेदनों को, शिपिंग बिलों की लैट एक्सपोर्ट ऑडर (एलईओ) तिथि से बारह महीने की अवधि के भीतर या ईडीआई पोर्ट्स के शिपिंग बिलों को डीजीएफटी सर्वर पर अपलोड करने के तीन महीने के भीतर , जो

[11] सी.शु.(एनटी) अधि.सं.97/2015, दिनांक 1 अक्टूबर 15; 52/2016 दिनांक 4 जून 2016, 119/2016 दिनांक 1 सितंबर 2016; 136/2015 दिनांक 3 दिसंबर 2015 और 22/2017, दिनांक 16 मार्च 2017।

भी बाद में हो, दायर किया जाएगा। जब भी आवेदन देय तिथि से परे प्राप्त होता है, तो नियत तारीख से छह महीने के भीतर प्राप्त होने पर 2 प्रतिशत का "लेट कट" लगाने के बाद विचार किया जा सकता है; 5 प्रतिशत लगाकर यदि नियत तारीख के छह महीने से एक साल के भीतर अगर मिलता है, 10 प्रतिशत लगाकर यदि तय तारीख के 12 महीने से 2 साल तक मिलता है।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2015 से अक्तूबर 2018 तक की अवधि हेतु एमईआईएस दावों के डेटा का विश्लेषण किया जिससे पता चला कि 32,591 एसबी में (6013 फाईलों में) सिस्टम ने "लेट कट" गलत ढंग से लागू किया था जिसके परिणामस्वरूप चयनित इकाईयों (**विवरण 4**) में ₹ 5.66 करोड़ के एमईआईएस ड्यूटी क्रेडिट की अधिक स्वीकृति प्रदान की गई जो यह दर्शाता है कि सिस्टम "लेट कट" को उचित ढंग से गणना के लिए संरेखित नहीं था।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (सितंबर 2019) की प्रणाली में "लेट कट" की गणना से संबंधित प्रोगैमिंग बग की पहचान की गई थी और जहां भी बकाया है वहां आरए को वसूली आरंभ किये जाने को कहा गया। आरए कोची ने ₹ 5.23 लाख की वसूली की सूचना दी।

2.5 निर्यात लाभ की आईएनआर वसूली पर एमईआईएस प्रोत्साहन की गलत अनुमति

एफटीपी 2015-20 के पैरा 2.52 के अनुसार, अग्रलिखित को छोड़कर, निर्यात आय को नीति के तहत लाभ का दावा करने के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में महसूस किया जाएगा:

- ईरान से निर्यात से आईएनआर में निर्यात लाभ वसूला गया था;
- एशियाई क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) या नेपाल या भूटान के सदस्य देश के अलावा किसी भी देश में स्थित एक अनिवासी बैंक के एक स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय वोस्त्रो खाते के माध्यम से रुपये में राशि प्राप्त हुई थी और वोस्त्रो खाते के माध्यम से रुपये का भुगतान खरीदार द्वारा उसके अनिवासी बैंक खाते में मुफ्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के खिलाफ होना चाहिए।

वि.व. 16 से वि.व. 19 (अक्तूबर 2018 तक) की अवधि के लिए एमईआईएस दावों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ₹ 21,802.08 करोड़ की राशि आईएनआर (₹ 24,52,036

करोड़ के एफओबी मूल्य में से) में प्राप्त हुई थी और डीजीएफटी द्वारा ₹ 643.33 करोड़ का रिवार्ड दिया गया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि न तो आरए के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र था कि निर्यात लाभ वोस्त्रो खाते के माध्यम से आईएनआर में प्राप्त हुए थे और न ही आरए ने निर्यातकों से कोई घोषणापत्र मांगा।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने एसीयू देशों से आईएनआर प्राप्तियों का विश्लेषण किया और यह पाया गया कि ₹ 48.90 करोड़ की राशि नेपाल और भूटान से आईएनआर में प्राप्त हुई थी और 690 एसबी (**विवरण 5**) के प्रति आठ इकाईयों[12] द्वारा ₹ 1.36 करोड़ का रिवार्ड दिया गया था। इसने नीति में परिकल्पित प्रतिबंधात्मक स्थिति के साथ एमईआईएस मॉड्यूल को संरेखित करने की विफलता का संकेत दिया। आरए कोची ने ₹ 1.92 लाख की वसूली की सूचना दी।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि प्रक्रिया में प्रणालीबद्ध सुधार सार्वजनिक सूचना 08 और ट्रेड नोटिस 15 (मई 2019) के अनुसार लागू था और जिसके अंतर्गत एमईआईएस की अनुमति से पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ वोस्त्रो भुगतान की आरए द्वारा जांच की जा रही थी।

2.6 एमईआईएस के लिए ई-कॉमर्स मोड्यूल को संचालन में विलंब जिसके परिणामस्वरूप ई-कॉमर्स निर्यात के लिए एमईआईएस रिवार्ड की अनुपलब्धता

परिशिष्ट 3 सी में अधिसूचित ₹25000 तक फ्री ऑनबोर्ड (एफओबी) मूल्य के माल के लिए, ई-कॉमर्स का उपयोग करके कूरियर या विदेशी डाकघर (एफपीओ) के माध्यम से माल के निर्यात के लिए एमईआईएस रिवार्ड अनुमत[13] हैं। ऐसा माल एफपीओ, नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई द्वारा मैन्यूअल मोड में निर्यात किया जा सकता है।

वि.व. 16 से वि.व. 18 की अवधि के लिए परिशिष्ट 3 सी में अधिसूचित माल के संबंध में ₹ 276.46 करोड़ के एफओबी मूल्य राशि का ई-कॉमर्स निर्यात एनसीटी, दिल्ली द्वारा किया गया। ये निर्यात एमईआईएस रिवार्ड के लिए योग्य थे। हालांकि,

---

[12] आरए अहमदाबाद, चेन्नै, सीएसईजेड कोच्चि, कोयंबटूर, दिल्ली, कोलकाता, पुणे और सीपेज मुंबई

[13] नीति 2015-20 के पैराग्राफ 3.05 के तहत,

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरए दिल्ली के संबंध में वि.व. 16 से वि.व. 18 के दौरान ई-कॉमर्स पर एमईआईएस के अंतर्गत कोई दावे/लाईसेंस जारी नहीं किये गये थे।

यह अग्रलिखित कारणों से हुआ:

- इस योजना के शुरू होने के लगभग 3 वर्षों के बाद 28 मार्च 2018 को कुरियर द्वारा ई-कॉमर्स के अंतर्गत एमईआईएस लाभ अनुमत करने के लिए कुरियर आयात और निर्यात (इलैक्ट्रॉनिक डैक्लेरेशन और प्रोसैसिंग) नियामक 2010 में उचित संशोधन किये गये थे।
- डीजीएफटी द्वारा एमईआईएस ई-कॉमर्स मोड्यूल का गैर-संचालन।

डीजीएफटी ने सूचित किया कि ई-कॉमर्स मोड्यूल 5 फरवरी 2019 से संचालित कर दिया गया है और राजस्व विभाग को रोलआउट में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया ।

इस प्रकार, ई-कॉमर्स मोड्यूल योजना के आरंभ होने के बाद लगभग चार वर्षों तक भी संचालित नहीं थी। निर्यातक लगभग ₹ 5.52 करोड़ (₹ 276.46 करोड़ मूल्य के ई-कॉमर्स निर्यात का 2 प्रतिशत) के उचित लाभ से वंचित हुए और छोटे ई-कॉमर्स निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन देने का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सका।

2.7 एमईआईएस लाईसेंस जारी करने से संबंधित अन्य त्रुटियां:

2.7.1 एक से अधिक लाईसेंस में शिपिंग बिलों की उपयोगिता

एकल शिपिंग बिल केवल एक लाईसेंस स्क्रिप्स तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और इसलिए सिस्टम को बहुल लाईसेंस तैयार करने के लिए एक ही शिपिंग बिल के उपयोग को रोकना चाहिए।

वि.व. 16 से वि.व. 19 (अक्तूबर 2018 तक) की अवधि के लिए एमईआईएस दावों के डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 13,040 मामलों में, समान एसबी विभिन्न लाइसेंस जारी करने के लिए उपयोग किये गये थे।

32 इकाईयों में इस मामले की जांच की गई और यह अवलोकन किया गया कि एसबी का बार-बार तब उपयोग हुआ जहां ऐसे एसबी वाले स्क्रिप्स विभिन्न कारणों से या तो निरस्त किये गये थे या सौंपे गये थे। इस निरस्त स्क्रिप्स से संबंधित एसबी दोबारा

दावे के लिए निर्यातक के लिए उपलब्ध कराने के लिए डीजीएफटी रिपोजटरी में निरस्त स्क्रिप्स को पुन:सक्रिय किया गया था।

ऐसे निरस्त/सौंपे गये स्क्रिप्स को छोड़ने के बाद भी, 482 फाईलों में 240 मामलों में एसबी के दोहरे उपयोग के मामले देखे गये थे। इनमें से 84 मामले ऐसे थे जहां विभिन्न इकाईयों जैसे दिल्ली, एफएसईजैड, पुणे और मुंबई द्वारा जारी किये गये स्क्रिप्स में एसबी का दोबारा उपयोग किया गया और विभिन्न पोर्ट पर पंजीकरण कराया गया जिनमें ₹ 6.95 लाख (**विवरण 6 और 7**) राशि के एमईआईएस रिवार्ड शामिल थे। यह स्पष्ट था कि दूसरी बार के लिए उपयोग किये गये एसबी के बारे में उपभोक्ता को सतर्क करने में सिस्टम असफल रहा।

आरए एसईजेड-फाल्टा ने ₹ 2.97 लाख वसूली की सूचना दी (दिसंबर 2018)।

2.7.2 अधिकार क्षेत्र के प्रावधानों के खिलाफ एमईआईएस लाइसेंस जारी करना

एचबीपी के पैरा 3.06 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक को एमईआईएस और एसईआईएस के अंतर्गत आवेदन/आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) पर वर्णित कॉर्पोरेट कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय / प्रधान कार्यालय/शाखा कार्यालय के आधार पर क्षेत्राधिकार आरए का चयन करने के लिए विकल्प होगा। यह विकल्प वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्रयोग किया जाना चाहिए। एक बार विकल्प का प्रयोग करने के बाद उस वर्ष के संबंध में दावों के लिए कोई परिवर्तन अनुमत नहीं होगा। इस संबंध में, डीजीएफटी ने कहा कि एमईआईएस आवेदन मोड्यूल में, आईईसी धारक जो आरए का आवेदन करता है, उसे एक वित्तीय वर्ष में केवल उसी आरए को आवेदन करने की अनुमति होती है।

वि.व. 16 से वि.व. 19 (अक्तूबर 2018) की अवधि के लिए संपूर्ण भारत आधार पर एमईआईएस डेटा के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि निर्यातकों ने प्रावधानों के अनुसार क्षेत्राधिकार शर्त का पालन नहीं किया और एक वित्तीय वर्ष (**विवरण 8**) में निर्यात के लिए विभिन्न आरए में आवेदन किया था। प्रावधानों के उल्लंघन में, समान वित्तीय वर्ष में निर्यात के लिए विभिन्न आरए में आवेदन करने वाले/लाइसेंस जारी हुए निर्यातकों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

तालिका 4

क्र.सं.	वर्ष	निर्यातकों की सं. (आईईसी)
1.	2015-16	199
2.	2016-17	224
3.	2017-18	173
4.	2018-19 (अक्तूबर 18तक)	34

डीजीएफटी ने कहा (सितंबर 2019) कि क्षेत्राधिकार मामला महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि वहां कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह लागू की गई नीति का स्पष्ट उल्लंघन था। एफटीपी के प्रावधानों में नियंत्रण एमईआईएस एप्लीकेशन मोड्यूल के अनुसार नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप नीति के विपरीत एमईआईएस लाइसेंस जारी किये गये।

एसईआईएस से संबंधित परिणाम

2.8 एसईआईएस स्क्रिप्स को अंतिम रूप देने में देरी

संपूर्ण भारत के एसईआईएस डेटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि अप्रैल 2016 से अक्तूबर 2018 की अवधि के दौरान जारी किये गये 10,003 स्क्रिप्स में से, 8,686 स्क्रिप्स (स्क्रिप्स का लगभग 87 प्रतिशत) निर्धारित 10 दिनों के समय के बाद जारी किये गये थे।

87 प्रतिशत स्क्रिप्स जारी करने में इस तरह के काफी अधिक विलंब ने एसईआईएस योजना में स्वचालन और व्यापार सुविधा के एकीकरण की कमी को दर्शाया, जिससे स्क्रिप्स जारी करने की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए एक स्वचालित प्रणाली के प्रयोजन के इरादे को हराया।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि एसईआईएस योजना के अंतर्गत आवेदन ऑन लाईन प्राप्त किये गये थे और प्रसंस्करण अभी भी स्वचालित नहीं था। यह भी कहा गया था कि दस्तावेजों की मैन्यूल जांच की गई थी और योग्यता और अन्य पूर्व आवश्यक शर्तों की पूर्णत: जाँच के बाद पात्रता प्रदान की गई।

एमईआईएस (जिसे आनलाईन प्रसंस्कृत किया जा रहा है) और एसईआईएस (जिसमें प्रोसैसिंग स्वचालित नहीं है) दोनों के लिए स्क्रिप्स जारी करने के लिए डीजीएफटी

सीटीजन चार्टर में निर्दिष्ट समय सीमा समान है जिसकी डीजीएफटी द्वारा समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

एसईआईएस के मामले में, केवल आवेदन की प्राप्ति ही स्वचालित है जबकि स्क्रिप्स जारी करने की प्रक्रिया काफी हद तक मैनुअल है। एसईआईएस के कार्यान्वयन में प्रणालीगत मुद्दे, जो कि 32 चयनित इकाइयों में परिमार्जन का एक नमूना खींचकर सीमित क्षेत्र के लेखापरीक्षा से निकले हैं, इस रिपोर्ट के अध्याय 3 में बताए गए हैं।

रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) से संबंधित परिणाम

2.9 आरएमएस की कार्यप्रणाली में विलंब और त्रुटियां

एफटीपी 2015-20 के पैराग्राफ 3.19 में परिकल्पित किया गया कि डीजीएफटी याद्रेच्छिक आधार पर और समय-समय पर डीजीएफटी द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर भी, आरएमएस द्वारा संवीक्षा के लिए प्रत्येक आरए के लिए प्रत्येक महीने जारी किये स्क्रिप्स के 10 प्रतिशत का चयन करेगा। इसके अनुसार आरए विस्तृत रूप से इसकी अतिरिक्त जांच के लिए ऐसे सभी चयनित मामलों में वास्तविक दस्तावेजों की मांग कर सकता है।

स्क्रिप्स के जारी करने की तिथि से कम से कम तीन वर्षों की अवधि हेतु या आरएमएस के अंतर्गत आरए द्वारा जारी किये गये संवीक्षा की पूर्णता, जो भी बाद में हो; ऐसे दस्तावेजों के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व आवेदकों का होगा।

लेखापरीक्षा ने 32 चयनित इकाईयों में आरएमएस की कार्यप्रणाली की जांच की। यह अवलोकन किया गया कि अक्तूबर 2018 तक आरए दिल्ली द्वारा कोई मामला आरएमएस के अंतर्गत नहीं लिया गया था। प्रतिक्रिया में, आरए दिल्ली ने सूचित किया कि डीजीएफटी ने केवल जनवरी 2018 से सितंबर 2018 तक आरएमएस मामलों की सूची दी थी (नवंबर 2018) और इस अवधि से पहले आरएमएस के लिए ये मामले प्राप्त नहीं हुए थे।

इसी प्रकार, डीजीएफटी से आरएमएस मामले आरए- चेन्नई, कोयम्बटूर, कोच्ची, हैदराबाद, विशाखापटनम, कटक, गोवाहटी, एसईजेड - चेन्नई, कोच्ची, विशाखापटनम, फाल्टा और नोयडा में भी प्राप्त नहीं हुए थे।

इसके अतिरिक्त, आरएमएस के विवरण अहमदाबाद, बैंगलुरू, भोपाल, इंदौर, राजकोट, मुंबई, पूणे, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, लुधियाना, पानीपत, गोआ और जयपुर आरए में और एसईजेड-मुंबई, कांडला द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किये गये/आंशिक रूप से प्रस्तुत किये गये।

आरए पुणे ने यादरेच्छिक रूप से आरएमएस के अंतर्गत पूरी की गई 49 फाईलें प्रस्तुत की थीं । यह देखा गया था कि 28 फाईलों में, सत्यापन किया जा चुका था और चालान, लैंडिंग प्रमाण पत्र,बीआरसी, पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई थी। हालांकि, शेष मामलों में आरएमएस को इस आधार पर सारांश तरीके से पूरा किया गया था कि पीएन न. 62 / 2015-2020 दिनांक 16 फरवरी 2018 में इनवॉइस के साथ मैचिंग विवरण की आवश्यकता को कम कर दिया था और इस पी.एन में निर्दिष्ट उन उत्पादों को छोड़कर किसी भी पिछले मामलों को फिर से खोलने और मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं थी।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया कि अप्रैल 2015 से दिसंबर 2016 तक की अवधि हेतु आरए को आरएमएस सूची दी गई थी। 4 मई 2016 (जब लैंडिंग प्रमाण-पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था) के बाद एमईआईएस के लिए आरएमएस के अंतर्गत संवीक्षा अपेक्षित नहीं थी क्योंकि एमईआईएस दावों की प्रस्तुतीकरण के लिए कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं था । इसके बाद, पूर्वोक्त पी .एन 62 के मद्देनजर, 1 जनवरी 2018 के बाद जारी किये गये स्क्रिप्स के लिए आरएमएस आरंभ किया गया था जबकि अधिकतर कोड के लिए एमईआईएस रिवॉर्ड एचएस कोड के आधार पर स्वत: चालित करने की अनुमति दी गई थी।

डीजीएफटी का तर्क अग्रलिखित कारणों से तर्क संगत नहीं था:

- यद्यपि डीजीएफटी ने कहा कि आरएमएस फाईलें दिसंबर 2016 तक की अवधि हेतु आरए को उपलब्ध कराई गई थी; कुछ आरए को छोड़कर डीजीएफटी से कई नमूनाकृत आरए को सूची प्राप्त नहीं हुई थी जैसा कि पहले बताया जा चुका है। इस प्रकार,आरएमएस कार्यान्वयन में कोई समान दृष्टिकोण नहीं था।
- एमईआईएस को मुख्य रूप से न्यूनतम मैन्यूअल बाधा/नियंत्रण के साथ किसी स्वचालित योजना बनने के लिए डिजाईन किया गया है ताकि निर्यातक जल्दी से

(तीन दिनों में) रिवार्ड प्राप्त कर सके। ऐसी स्वचालित प्रणाली में जोखिम कम करने के लिए, आरएमएस को डिजाईन किया गया था ताकि नमूना फाईलों की जांच से यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र निर्यातक ही रिवार्ड का दावा करता है। इस योजना के आरंभ होने से अब तक इसकी आवश्यकता थी। इस प्रकार, डीजीएफटी का तर्क कि मई 2016 के बाद आरएमएस की आवश्यकतता नहीं थी, ने दर्शाया कि आरएमएस के गैर-कार्यान्वयन के निहितार्थ पूर्णत: समझे नहीं गये थे।

- मुख्यत: निर्यातक द्वारा उद्घोषणा पर निर्भर होने के कारण और डीजीएफटी प्रणाली के तहत एमईआईएस में किसी डेटा वैधता के अभाव में, निर्यातकों द्वारा की गई उद्घोषणा की सत्यता पर विश्वास नहीं किया जा सकता था।
- डीजीएफटी अपने उत्तर में केवल एमईआईएस का संदर्भ देता है जबकि आरएमएस एसईआईएस पर भी लागू है।

अप्रैल 2015 से दिसंबर 2017 की अवधि के लिए एमईआईएस और एसईआईएस हेतु आरएमएस का गैर-क्रियान्वयन नीति प्रावधानों का उल्लंघन था और लगभग तीन वर्षो के लिए मुख्य जोखिम नियंत्रण उपाय की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आरए आरंभिक एप्लीकेशन स्तर पर विस्तृत रूप से आवेदन की संवीक्षा कर रहे थी जिसके कारण लाइसेंस जारी करने में विलंब हुआ जैसा कि इस अध्याय के पैरा 2.1 में विस्तृत विवरण किया गया है जिसके कारण आसान व्यापार और व्यापार सुविधा की योजना का मुख्य उद्देश्य समाप्त हो गया।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि आरएमएस प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है और जनवरी 2017 से सभी आरए को आरएमएस सूची (दिसंबर 2019 तक) उपलब्ध करा दी गई है।

2.10 प्रभावहीन आरएमएस के परिणाम

2.10.1 कमीशन/बीमा/मालभाड़ा (सीआईएफ) प्रभारों के जोड़ने के कारण एमईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स की अधिक्य अनुमति

एफटीपी के पैराग्राफ 3.04 के अनुसार, एमईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड की मात्रा निर्यात के फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य पर आधारित है। एफओबी मूल्य पर पहूंचने के लिए वसूले गये निर्यात लाभ से कमीशन/बीमा/मालभाड़ा (सीआईएफ) प्रभारों का भाग कम किये जाने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि शिपिंग बिल में उपलब्ध सीआईएफ शुल्कों के संबंध में डेटा को डीईएसएफटी सर्वर द्वारा एमईआईएस पात्रता की गणना के लिए कैप्चर नहीं किया गया था। आवेदक को यह डेटा मैन्यूल रूप से भरना था और यदि आवेदक यह डेटा नहीं भरता,इन प्रभारों को घटाये बिना वसूला गया पूर्ण एफओबी को एमईआईएस पात्रता समझा गया जिसके परिणामस्वरूप आवेदकों को अधिक लाभ प्राप्त हुआ। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 7 इकाईयों (आरए भोपाल, जयपुर, पूणे, कोलकाता, पटना, एसईजेड-इंदौर और एसईजेड -फाल्टा) में 95 मामलों में निर्यातकों द्वारा सीआईएफ प्रभारों को घोषित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46.46 लाख राशि का एमईआईएस रिवार्ड अधिक जारी किया गया (**विवरण** 9)।

डीजीएफटी ने कहा (सितंबर 2019) कि शिपिंग बिलों में निर्दिष्ट कमीशन के आंकड़ें सदैव सटीक नहीं थे। उन्होंने कहा कि अधिकतर यह आकंड़ा शून्य था और निर्यातक को आवेदन के समय ई-कॉमर्स मॉड्यूल में प्रत्येक शिपिंग बिल के लिए आंकड़े भरना अपेक्षित था । इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि उचित कमीशन राशि की सूचना निर्यातकों के पास ही उपलब्ध थी, जिन्हें बैंक को इसकी सूचना देनी थी और कि यह सूचना किसी अन्य दस्तावेज से सत्यापित नहीं की गई थी, इसलिए, सिस्टम निर्यातक/आवेदक द्वारा स्वयं-उद्घोषणा पर आधारित था।

एफओबीमूल्य का गलत दर्शाया जाना एमईआईएस रिवार्ड पर प्रत्यक्ष राजस्व निहितार्थ था। उत्तर से यह स्पष्ट था कि निर्यातकों द्वारा सीआईएफ शुल्क की अनिवार्य घोषणा और घोषित मूल्य की शुद्धता की जांच सुनिश्चित करने के लिए आरए द्वारा मौजूदा प्रणाली में सिस्टम अलर्ट सुविधा जैसी कोई नीति या निवारक उपाय नहीं थे। इसके अतिरिक्त, अधिक अनुदान के संबंध में वसूली भी प्रभावित होनी थी।

2.10.2 गलत-वर्गीकरण के कारण एमईआईएस रिवार्ड का गलत जारी करना

लेखापरीक्षा में माल के वर्गीकरण की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि माल के गलत वर्गीकरण के कारण उच्चतर दरों के एमईआईएस ड्यूटी स्क्रिप्स के दावे किये गये। निर्यात की अनुमति देने के समय पर शिपिंग बिलों, चालानों और पैकिंग सूची पर दिये गये मद विवरण के संदर्भ के साथ निर्यातित माल के आईटीसी/एचएस कोड़ की सटीकता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सीमा शुल्क विभाग का है। स्वचालित मोड्यूल में एमईआईएस दावों के प्रसंस्करण और अनुमोदन के समय, आरए की भूमिका, सार्वजनिक सूचना 62 / 2015-2020 दिनांक 16 फरवरी 2018 के अनुसार उत्पाद के मद विवरण के सत्यापन के बिना लाइसेंस उत्पन्न करना था। हालांकि, इस पी.एन से पहले, आरए को एमईआईएस रिवार्ड की स्वीकृति से पहले उत्पाद विवरण के साथ-साथ आईटीसी (एचएस) कोड का मिलान करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्पादों की 31 श्रेणियों में, आरए अहमदाबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोची, सीएसईजेड-कोची, एमएसईजेड- चेन्नई, मुंबई, सीप्ज-मुंबई, पुणे और कोलकाता (**विवरण 10** में पावरलूम से बना हुआ हैंडलूम के रूप में दावा किया गया और अन्य गलत वर्गीकरण के लिए **विवरण 11**) में निर्यातकों द्वारा ₹ 27.24 करोड़ की राशि के दावों को सिस्टम ने उच्चतर दरों पर अनुमत किया। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि उपरोक्त आईटीसी / एचएस कोड पी.एन 62/2015-2020 दिनांक 16 फरवरी 2018 में नहीं पाये गये जिसके कारण आईटीसी / एचएस कोड के साथ उत्पाद विवरण का मिलान अपेक्षित नहीं था और उक्त को उपरोक्त पी.एन में शामिल किये जाने की आवश्यकता थी।

उत्पादों के गलत वर्गीकरण और हैंडलूम उत्पादों पर लागू उच्चतर दरों की अनुमति के कारण रिवार्ड की अधिक अनुमति को रोकने में सिस्टम विफल रहा। आरए ने कार्रवाई न करने के लिए पी.एन को उद्घृत किया जो कि उचित नहीं था क्योंकि केवल इन आईटीसी कोड से संबंधित उपरोक्त पीएन के पैरा 3 में विगत मामलों का संदर्भ केवल परिशिष्ट में कवर किया गया था। सीरियल नंबर 2824 से 2826 में मेड-अप श्रेणी विवरण के तहत अलग से पावर लूम / हैंडलूम के विशिष्ट विवरण को शामिल न करने से प्रणाली में कमजोरी का संकेत मिलता है।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि माल के वर्गीकरण की जांच सीमा शुल्क बंदरगाह पर की जाने की आवश्यकता थी और ऑनलाईन प्रणाली एक मद के गलत-वर्गीकरण की व्याख्या नहीं कर सकी। यद्यपि, ₹ 20 लाख की वसूली आरए कोच्ची के संबंध में रिपोर्ट की गई थी, डीजीएफटी ने; जहां भी बकाया था,वहां वसूली कार्रवाई आरंभ करने के लिए आरए को सूचित करने के लिए आश्वासन दिया।

2.10.3 अयोग्य उत्पाद और श्रेणियों के लिए एमईआईएस स्क्रिप्स का गलत जारी करना

एफटीपी 2015-20 के पैरा 3.06 जो कि पी.एन 44/2015-20, दिनांक 5 दिसंबर 2017 द्वारा संशोधित किया गया है, में निर्यात श्रेणियां जो प्रोत्साहन के योग्य नहीं हैं जैसे निर्यात के लिए वर्जित / प्रतिबंधित, निर्यात शुल्क के योग्य निर्यात या न्यूणनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के लिए योग्य निर्यात, को दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया की आरएए, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई और अहमदाबाद में 250 फाइलों में आलू, प्याज, केकड़े, झींगा मछली, शार्क के पंख, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट जैसे अयोग्य उत्पादों के लिए स्क्रिप्स को मंजूरी दी गई थी, जो कि या तो एमईपी से थे याएमईआईएस प्रोत्साहन से हटा दिए गए थे या प्रतिबंधित श्रेणियों के अंतर्गत आते थे। 956 एसबी में ₹ 4.80 करोड़ की गलत राशि अनुमत की गई (**विवरण** 12)।

डीजीएफटी को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि क्या गलत वर्गीकरण के कारण गलत रिवार्ड दरों की यह संभावना नीति निर्माण के दौरान बनी हुई थी और क्या इस मामले को निपटाने के लिए कोई उपाय किये गये/अपेक्षित थे। डीजीएफटी ने सूचित किया कि व्यापार आसान करने में सुधार और विलंब कम करने के उद्देश्य के साथ,विशेष नियम के कुछ मामले जहां विवरण का अभी भी मिलान किया जाना है, को छोड़कर शिपिंग बिलों पर केवल आईटीसी (एचएस) कोड के आधार पर एमईआईएस दावों के प्रसंस्करण के लिए निर्देश जारी किये गये थे (फरवरी 2018)। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी ने सूचित किया कि पोर्ट पर सीमा शुल्क द्वारा माल के वर्गीकरण की जांच की गई थी।

उपरोक्त ने यह दर्शाया कि मुख्यत: निर्यातकों की उद्घोषणा के आधार पर ड्यूटी क्रेडिट दिये गये थे और सीमा शुल्क पोर्ट पर वर्गीकरण की ईमानदारी से जांच नहीं की गई थी।

एमईपी शासन के तहत निर्यात पर रिवॉर्ड के दावों को रोकने में प्रणाली विफल रही। एमईआईएस मॉड्यूल में सत्यापन नियंत्रण ऐसे उत्पादों को प्रोत्साहन के स्वचालित अनुदान से बचने के लिए अपर्याप्त थे और निर्यातकों ने अपने शिपिंग बिलों में आईटीसी (एचएस) को गलत तरीके से उद्धृत करके लाभ का दावा किया था। इस तरह की अयोग्य / प्रतिबंधित वस्तुओं को चिह्नित करने के लिए डिज़ाइन किए गए आरएमएस के गैर-कार्यान्वयन से भी कारण अधिक क्रेडिट के दावे हुये।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि ऐसे मामलों की सूची आवश्यक जांच हेतु आरए को सूचित की गई और सुनिश्चित किया गया कि ऐसे मदों के लिए एमईआईएस मोड्यूल में एमईपी माल के लिए वैधता नियंत्रण तैयार किये जाएंगे। आरए, कोयम्बटूर, कोच्ची ने ₹ 3.20 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

<u>निष्कर्ष</u>

स्वचालित यंत्रों के माध्यम से व्यापार सुगमता की एक आवश्यक पूर्व अपेक्षा, इनबिल्ट चेक के साथ एक प्रणाली थी जो योजना के प्रमुख नियमों, प्रक्रियाओं और शर्तों का विधिवत मानचित्रण करती। एमईआईएस और एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने में अधिक विलंब ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण और सरल व्यापार के लक्ष्य प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता को दर्शाया।

एमईआईएस के लिए विकसित प्रणाली एक इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली थी जिसे मैन्यूअल निहितार्थ की आवश्यकता थी। यदि प्रणाली को उचित ढंग से प्रोग्राम किया गया होता तो आईटी प्रणाली द्वारा आकलित अंकगणितीय सटीकता का मैन्यूअल सत्त्यापन आवश्यक नहीं होना चाहिए। श्रमबल की क्षति होने के साथ-साथ,स्वचालित प्रणाली में भी त्रुटियां है जिसके परिणामस्वरूप पूरी प्रक्रिया में विलंब हुआ और परिहार्य भौतिक इंटरफेस और नियंत्रण से संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों के अधिकारों का उपयोग किया जाएगा जैसा कि अध्याय 3 में चर्चा की गई है, इसलिए योजना के उद्देश्य समाप्त हो गये।

एमईआईएस मोड्यूल में स्क्रिप्स मूल्य और "लेट कट" आंकलन में कमियां थी जोकि डीजीएफटी द्वारा प्रोगरैमिंग बग के कारण बताई गई थी। प्रणाली में अद्यतन में विलंब के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय दरों की गलत स्वीकृति हुई। एमईआईएस

मोड्यूल ने आईएनआर में वसूली गई अयोग्य निर्यात प्राप्ति पर लाभ की अनुमति भी प्रतिबंधित नहीं की। इसके अतिरिक्त, प्रणाली ने योजना में निर्दिष्ट शर्ते और नियंत्रण जो एक से अधिक लाइसेंस में शिपिंग बिलों (एसबी) के उपयोग के संबंध में और क्षेत्राधिकारी प्रावधानों के सम्बन्ध में थे, उनको लागू नहीं किया ।

ई-कॉमर्स निर्यात से ₹ 5.52 करोड़ राशि का एमईआईएस लाभ का विस्तार ई-कॉमर्स मोड्यूल के नियामक और संचालनात्मकता में सुधार में विलंब के कारण लगभग चार वर्षों तक विलंबित रहा था।

एसईआईएस के मामले में, केवल आवेदन की प्राप्ति स्वचालित है जबकि स्क्रिप्स को जारी करने की प्रक्रिया काफी हद तक अब भी मैन्यूल है।

स्वचालित प्रणाली में जोखिम को कम करने के लिए,आरएमएस को डिजाईन किया गया था ताकि रिवार्ड नमूना फाईल की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जा सके कि केवल योग्य निर्यातक रिवार्ड का दावा करते हैं। अप्रैल 2015 से दिसंबर 2017 की अवधि हेतु एमईआईएस और एसईआईएस के लिए आरएमएस का गैर-कार्यान्वयन नीति प्रावधानों का उल्लंघन था और दो साल से अधिक के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम नियंत्रण उपाय की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अस्वीकृत कारक जैसे कमीशन,बीमा और माल भाड़ा (सीआईएफ) प्रभारों को न छोड़ते हुए वसूली गई सारी निर्यात प्राप्ति पर प्रणाली ने रिवार्ड अनुमत किया। प्रणाली उत्पादों के गलत वर्गीकरण के कारण रिवार्ड की अधिक अनुमति रोकने में विफल रही और हथकरघा उत्पादों पर लागू उच्च दरों की स्वीकृति दी गई। एमईआईएस मॉड्यूल में सत्यापन नियंत्रण ने न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) शासन के तहत निर्यात के लिए प्रोत्साहन के अनुदान को प्रतिबंधित नहीं किया और निर्यातकों ने अपने एसबी में आईटीसी (एचएस) को गलत तरीके से उद्धृत करके लाभ का दावा किया। ऐसे अयोग्य / प्रतिबंधित वस्तुओं को चिह्नित करने के लिए डिज़ाइन किए गए आरएमएस के गैर-कार्यान्वयन के कारण क्रेडिट के अतिरिक्त दावों की जाचं नहीं की जा सकी।

स्वचालन सुविधाओं के निहित लाभ केवल तब प्राप्त किये जा सकते हैं जब अनुमत स्क्रिप्स के गलत/धोखा-धड़ी वाले दावों के जोखिम समाप्त करने के लिए प्रक्रियाएं उचित रूप से परिभाषित की गई होती तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में समान रूप से अपनाई जाती । अपूर्ण स्वचालन और प्रसंस्करणों में कमी के साथ वे स्वचालित थे

जिसके कारण मैन्यूल हस्तक्षेप बना रहा, इस पर अध्याय 3 में लेखापरीक्षा परिणाम की चर्चा की गई।

<u>सिफारिशें</u>

1. सरकार के ई-प्रशासन पर शिफ्ट होने के प्रयत्न और स्वचालन में डीजीएफटी द्वारा प्राप्ते विशाल अनुभव के मद्देनजर, यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विदेश व्यापार प्रोत्साहन योजनाओं के प्रशासन की पूरी प्रणाली को फुल प्रूफ सिस्टम रोल आउट करके स्वचालित रूप से योजना प्रावधानों के लिए मैप किया गया है और आईसीएस, एसईजेड ऑनलाइन इत्यादि जैसे लिंक / बेस सिस्टम में पहले से उपलब्ध जानकारी का भी लाभ उठाया गया है, ताकि यह सत्य का एकल स्रोत बन जाए।

2. डीजीएफटी को एमईआईएस/एसईआईएस स्क्रिप्स की अनुमति की प्रक्रिया की समीक्षा और स्क्रिप्स को इलैक्ट्रॉनिक और मैन्यूसल वातावरण दोनों में अनुमत करने के लिए उपयुक्त् जांच सूची तैयार की जानी चाहिए।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि अब तक 99 प्रतिशत एचएस कोड से अधिक के लिए एमईआईएस का अनुमोदन करने के लिए प्रणाली को प्रचालित किया गया। एसईआईएस के लिए,यह कहा गया था कि नीति और प्रक्रियात्मक प्रावधान पहले से ही मौजूद थे और पहले से मौजूद प्रावधानों के लिए चेकलिस्ट जारी करना हालांकि उपयोगी था, ये भी साथ ही लाइसेंसिंग अधिकारियों को एक अवाछंनीय गुंजाईंश प्रदान करेंगे, जिससे कि दावे की सटीकता के लिए चेकलिस्ट की पूर्ति को ही पर्याप्त माना जा सकता है।

पुन: यह कहा गया कि आरए के लिए एसओपी या विस्तृत चैकलिस्ट यह सुनिश्चित करेगी कि दावों की पूर्ण विलंबता को समाप्त करने के अतिरिक्त आरए द्वारा समान रूप से सभी आधारभूत नियंत्रणों का पालन किया जा रहा है।

3. रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) को स्क्रिप्स जारी करने पर स्वचालित प्रणाली में कमी और खामियों को दूर करके सुदृढ़ किया जाना चाहिए। निर्यातकों द्वारा आयोग, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ) की घोषणा करने और डीजीएफटी के लिए निर्यातक / आवेदक की स्व-घोषणा की शुद्धता की जांच करने के लिए उचित नीति ढांचे और सिस्टम अलर्ट को लागू करने की आवश्यकता है ताकि सिस्टम

द्वारा चुने गए चुनिंदा मामलों में निर्यातक / आवेदक की स्व-घोषणा की जांच हो सके।

सिफारिश से सहमत होते हुए डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि आरएमएस को सुदृढ़ करना चाहिए था और एमईआईएस आवेदन हेतु प्रत्येक ऐसे शिपिंग बिलों की पहचान की जाएगी जिनमे शून्य मूल्य वाले कमीशन, बीमा और माल-भाड़ा दर्ज हैं तथा इन्हें आरएमएस सूची में उच्चतर वेटेज दी जाएगी।

अध्याय 3

मैन्युअल प्रोसैसिंग के दृष्टिकोण से सैंपलिंग पर आधारित नमूना जांच के परिणाम

स्वचालित यंत्रों द्वारा व्यापार सुगमता की महत्वपूर्ण आवश्यकता, योजना के मुख्य नियमों, प्रक्रियाओं और शर्तों को विधिवत मानने वाली अंतर्निहित नियंत्रण और संतुलन वाली एक प्रणाली होगी। लेखापरीक्षा ने स्वचालित मोड्यूल के साथ योजना की नीति और प्रक्रियाओं के एकीकरण में कुछ कमियों का अवलोकन किया जिसका विवरण अध्याय 2 में है। कई मध्यवर्ती प्रक्रियाएं अभी भी मैन्यूल रूप से नियंत्रित की जा रही थी। इसने आरए और डीसी कार्यालयों द्वारा किये जा रहे मैन्यूल नियंत्रणों की जांच करने के लिए चयनित इकाईयों में नमूना जांच को आवश्यक बना दिया है। नमूना जांच (25 आरए और 7 डीसी कार्यालयों) हेतु चयनित 32 इकाईयां के 95.19 प्रतिशत स्क्रिप्स के धन मूल्य को सम्मिलित करते हुए एमईआईएस/ एसईआईएस के 93.12 प्रतिशत को दर्शाया। याद्रेच्छिक नमूनाकरण के आधार पर इन 32 इकाईयों में 6205 स्क्रिप्स (5747 एमईआईएस स्क्रिप्स और 458 एसईआईएस स्क्रिप्स) के एक नमूना का चयन किया गया था। **चूंकि ऑडिट निष्कर्ष परीक्षण जांच पर आधारित होते हैं, इसलिए संभावना है कि भूल और चूक की ऐसी त्रुटियां अन्य मामलों में भी मौजूद हो सकती हैं। इसलिए विभाग बचे हुए सभी संव्यवहारों को इस अध्याय में रिपोर्ट किये गये लेखापरीक्षा परिणामों की तर्ज पर जाँच कर सकता है और उचित सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।**

इस प्रकार नमूना जांच से प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों को नीचे सारबद्ध किया गया है:

- ➢ एमईआईएस से संबंधित परिणाम:
  - मैन्यूल नियंत्रण आवश्यकता वाले अपूर्ण प्रणालीबद्ध नियंत्रण के कारण एमईआईएस स्क्रिप्स जारी करने में विलंब
  - एमईआईएस मोड्यूल की योजना के नियमों का अपर्याप्त अनुबंधन दर्शाती हुई कमियां
- ➢ एसईआईएस से संबंधित परिणाम:
  - गलत वर्गीकरण के कारण अयोग्य सेवाओं के लिए एसईआईएस प्रोत्साहन;
  - मोड-3 और मोड-4 प्रकार की सेवाओं के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स की गलत अनुमति;
  - गलत स्वयं-उद्घोषणा और चार्टड अकाउंटेंट (सी ए) प्रमाण पत्र के कारण एसईआईएस दावों में त्रुटियां;
  - आरए द्वारा अपूर्ण नियंत्रण के कारण एसईआईएस प्रोत्साहनों का अधिक जारी करना;

- एसईआईएस स्क्रिप्स के सापेक्ष आयातित माल के लिए आयात करों की छूट अनुमत करने के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना (2015 की संख्या16 दिनांक 1 अप्रैल 2015) में निर्दिष्ट पोर्ट द्वारा निर्यातों को प्रभावित करने की शर्त एसईआईएस प्रावधानों के अनुसार नहीं थी;
- डीजीएफटी को और आरबीआई को समान सेवाओं की अलग-अलग रूप से उद्घोषणा;
- एसईआईएस दावों के प्रसंस्करण में एक समान प्रक्रिया का अभाव

➢ नियंत्रण और मूल्यांकन से संबंधित परिणामः

- लेखापरीक्षा को डीजीएफटी द्वारा आरए के प्रदर्शन पर व्यवस्थित नियंत्रण के साक्ष्य नहीं मिल सके,
- वाणिज्य विभाग द्वारा किए गए एफ़टीपी की मध्यावधि समीक्षा सेवा क्षेत्र के निर्यात पर एसईआईएस के प्रभाव पर चुप थी। लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में योजनाओं के प्रदर्शन का आकलन डीजीएफटी द्वारा नहीं किया गया था,
- एमईआईएस / एसईआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल में मौजूद शिकायत निवारण प्रणाली तथा डीजीएफटी द्वारा अब तक एमईआईएस / एसईआईएस शिकायतों का कोई भी विलंबन विश्लेषण किया गया, को स्थापित करने के साक्ष्य अभिलेखों में नहीं पाए गये।

विस्तृत लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिए गए हैं:

एमईआईएस से संबंधित परिणाम

3.1 एमईआईएस स्क्रिप्स को जारी करने में विलंब का विश्लेषण

अप्रैल 2015 से अक्तूबर 2018 की अवधि के लिए संपूर्ण भारत के एमईआईएस डेटा के विश्लेषण से एमईआईएस लाइसेंस को जारी करने में काफी अधिक विलंब का पता चला जिसका विवरण अध्याय 2 के पैरा 2.1.1 में किया है। विलंब के लिए कारणों का विश्लेषण करने के लिए, चयनित इकाईयों से 926 एमईआईएस फाईलों की नमूना जांच की गई, और परिणाम नीचे सारबद्ध किये गये हैं:

❖ 433 फाईलों में से 380 फाईलें (88 प्रतिशत) में स्क्रिप्स के जारी करने में 10 दिनों से अधिक समय लिया गया जहां पर आरए द्वारा कोई भी त्रुटि पत्र जारी नहीं किये गये थे जबकि स्क्रिप्स तीन दिनों के अंदर ही जारी किये जाने चाहिए थे।

❖ 493 फाईलों में से 337 फाईलों (68 प्रतिशत) में, जहां पर त्रुटि पत्र जारी तो किये गये थे, परन्तु त्रुटि पत्र जारी करने में लिया गया समय तीन दिनों की निर्दिष्ट अवधि से अधिक था।

❖ इसके अतिरिक्त, 493 फाईलों में से 378 फाईलों (77 प्रतिशत) में, निर्यातकों से पूर्ण अनुपालन की पावती के बाद भी स्क्रिप्स जारी करने के लिए तीन दिनों से अधिक समय लिया गया था (**विवरण** 13)।

लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी से सुनिश्चित किया कि क्या एमईआईएस के अंतर्गत दावों के प्रसंस्करण के लिए आरए स्तर पर कोई भौतिक रिकॉर्ड अपेक्षित थे। डीजीएफटी ने सूचित किया कि यदि निर्यात इडीआई पोर्ट से होता है तो भौतिक रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, 11 सितंबर 2018 को जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार, आरए को प्रणाली चालित अनुमोदन तंत्र के आधार पर एमईआईएस आवेदनों को प्रसंस्कृत किया जाना था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि आरए फिर भी विभिन्न मामलों को सत्यापित कर रहा था जैसे:

- दस्तावेज की उपलब्धता जैसे पंजीकरण कम सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) और लैंडिंग प्रमाणपत्र,
- लेट कट की सटीकता और मद विवरण सहित वर्गीकरण आदि।

उपरोक्त नियंत्रण जैसे निर्याततित माल का वर्गीकरण, लैडिंग प्रमाणपत्र की उपलब्धता आदि, उचित ढंग से स्क्रिप्स जारी करने के लिए आवश्यक थे। ये नियंत्रण प्रणाली चालित नहीं थे जिसके कारण फिजिकल हस्तक्षेप हुआ और स्क्रिप्सके जारी करने में विलंब हुआ।

डीजीएफटी ने विलंब की कुछ घटनाएं को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2018) कि लगभग 85 प्रतिशत आवेदन स्वचालित रूप से प्रसंस्कृत किये गये थे और विलंब का कारण श्रम बल की कमी को बताया। उन्होंने कहा कि यद्यपि प्रणाली स्वचालित थी, आरए अपेक्षा से अधिक भूमिका की कल्पना करते हुए भौतिक फाईलों को पूछ सकता था। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि यद्यपि लाइसेंस को शीघ्रता से जारी करना एक प्राथमिकता था, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना था कि पात्रता उचित हो तथा कोई राजस्व घाटा ना हो। इसलिए, आरए द्वारा किए हए कुछ नियंत्रण न्यायसंगत थे जिसके कारण विलंब हुआ।

लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी के विचार की प्रशंसा की कि राजस्व हानि की रोकथाम महत्वपूर्ण है। तथापि, **आईटी प्रणाली द्वारा अंकगणितीय रूप से सटीक गणना का मैन्यूल सत्यापन आवश्यक था क्योंकि प्रणाली को उचित ढंग से प्रोग्राम नहीं किया गया था जैसा कि अध्याय 2 में बताया गया है।** ऐसे त्रुटिपूर्ण इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली के मद्देनजर, यह समझना कठिन नहीं था कि आरए नियंत्रण क्यों रख रहा था जोकि प्रणाली चालित होने चाहिए थे। **श्रमबल की कमी के साथ-साथ, स्वचालित प्रणाली में विद्धमान त्रुटियां के परिणामस्वरूप पूरी प्रक्रिया में विलंब हुआ और परिहार्य भौतिक हस्तक्षेप एवं नियंत्रणोंके विवेकाधिकार प्राधिकृत प्राधिकारियों के हाथ में होना योजना के उद्देश्य को विफल बनाता है।**

3.2 एमईआईएस मोड्यूल की योजना के नियमों में अपर्याप्त अनुबंधन को दर्शाती कमियां

चयनित स्क्रिप्स की नमूना जांच के दौरान, स्क्रिप्स की पाई गई अधिक अनुमति की घटनाओं ने दर्शाया कि योजना के नियम एमईआईएस मोड्यूल से पर्याप्त रूप से अनुबंधित नहीं है जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

3.2.1 एमईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड का दावा करने के लिए शिपिंग बिलों पर आशय की उद्घोषणा

एमईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड का दावा करने के लिए योग्यता होने के लिए, शिपिंग बिलों पर प्रभावी आशय की उद्घोषणा 1 जून 2015 से अनिवार्य थी। ईडीआई से तैयार किये गये शिपिंग बिलों में भी, निर्यातकों को एमईआईएस के अंतर्गत दावा करने या दावा न करने के मामले में रिवार्ड बॉक्स में 'हाँ' या 'नहीं' का चिन्ह लगाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी पब्लिक नोटिस (पीएन) सं. 40 दिनांक 9 अक्तूबर 2015 और पीएन सं. 47 दिनांक 8 दिसंबर 2015 के अनुसार, ईडीआई शिपिंग बिलों द्वारा 30 सितंबर 2015 से पहले किये गये निर्यात के लिए, यदि निर्यातक रिवार्ड बॉक्स में गलती से 'नहीं' मार्क कर देता है परंतु शिपिंग बिलों में अपनी ईच्छा सकारात्मक दर्शाता है, तो उक्त निर्यातक डीजीएफटी संव्यवहार के लिए अनुमत होगा; निर्यातकों को शिपिंग बिलों में उद्घोषणा के सत्यापन के लिए आरए को ऐसे शिपिंग बिलों की भौतिक निर्यात प्रोत्साहन (ईपी) प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(क) लेखापरीक्षा ने पाया कि 9 इकाईओं (आरए दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत, मुबई, एसईजेड - विसाखापटनम और एसईजेड - फाल्टा) ने 441

शिपिंग बिलों में ₹ 2.73 करोड़ का रिवार्ड अनुमत किया यद्यपि एमईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड दावे के लिए निर्दिष्ट प्रयोजन की उद्घोषणा शिपिंग बिलों में उपलब्ध नहीं थी **(विवरण 14)** आरए, जयपुर ने ब्याज सहित ₹3.88 लाख की वसूली की सूचना दी (दिसंबर 2018)।

(ख) शिपिंग बिलों के भौतिक सत्यापन के बिना 'सही' मार्क वाले आशय के साथ 167 शिपिंग बिलों सहित आरए कटक, दिल्ली, लुधियाना और पानीपत में ₹ 5.28 करोड़ राशि के रिवार्ड अनुमत किये थे **(विवरण15)**।

आरए दिल्ली ने स्वीकार किया (जनवरी 2019) कि शिपिंग बिल 'नहीं' मार्क वाले आशय के साथ प्रस्तुत किये गये थे और अन्य आरए ने यह सूचित किया कि मामले की जांच करके वसूली की जाएगी ।

(ग) लेखापरीक्षा ने आरए दिल्ली में पाया कि एक शिपिंग बिल से संबंधित एक आवेदन में आशय की उद्घोषणा के कॉलम ऑफिस नोट में उपलब्ध नहीं थे और ₹ 46.94 लाख राशि के एमईआईएस रिवार्ड बिना सत्यापन के अनुमत कर दिए **(विवरण 16)** । आरए दिल्ली ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि उन्होंने फर्म से आशय उद्घोषणा की मांग की थी। अंतिम परिणाम प्रतिक्षित है (मार्च 2020)।

3.2.2 गैर-हस्तशिल्प वस्तुओं पर उच्चतर एमईआईएस लाभ की गलत अनुमति

डीजीएफटी पब्लिक नोटिस सं. 27/2015-20 दिनांक 14 जुलाई 2015 द्वारा ए, बी और सी ग्रुप में निर्दिष्ट देशों के लिए उच्चतर दरों के साथ हस्तशिल्प निर्यात को प्रोत्साहन किया गया था।

आरए मुंबई ने ₹ 9.05 लाख राशि सहित दो या तीन प्रतिशत की दर पर अक्टूबर 2015 से अप्रैल 2016 की अवधि के दौरान ग्रुप बी और सी देशों से मानव निर्मित फैबरिक की पोशाक सामग्री के निर्यात के लिए एक निर्यातक को रिवार्ड अनुमत किये। हालांकि, उक्त अवधि के दौरान बी और सी ग्रुप के देश पात्र नहीं थे जबतक कि वे हस्तशिल्प सामान नहीं हो। चूंकि निर्यातक ने माल के साथ-साथ हस्तशिल्प पर निशान लगाया था, सिस्टम ने उच्चतर दरों की अनुमति दे दी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्यातक इकाई हस्तशिल्प निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसीएच) का सदस्य नहीं था, और उसने सिंथेटिक एंड रेयॉन टैक्सटाईल्स

निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसी) से आरसीएमसी प्रस्तुत की थी। एचबीपी के पैरा 2.94 में निर्दिष्ट किया गया है कि निर्यातक को निर्दिष्ट ईपीसी से आरसीएमसी प्राप्त करने के लिए आवेदन में अपने कारोबार की मुख्य धारा घोषित करनी होगी और परिषद से आरसीएमसी प्राप्त करनी होगी जोकि उसके कारोबार की मुख्य धारा के उत्पाद से संबंधित हो। इसलिए, न तो निर्यातक को हस्तशिल्प पर लागू दरें अनुमत करनी चाहिए थी, न ही हस्तशिल्प के अलावा कोई इकाई पात्र थी क्योंकि माल ग्रुप बी और सी देशों को निर्यातित थे। इस प्रकार, अनुमत लाभ अनियमित था और वसूल किया जाना चाहिए था।

इसी प्रकार, आरए कानपुर ने ग्रुप सी देशों से स्टील किचन बर्तन के अयोग्य निर्यात के लिए ₹ 0.47 लाख का रिवार्ड अनुमत किया (**विवरण** 17)।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर निदेशालय ने कुछ विशेष मामलों के लिए वसूली पहले ही आरंभ कर दी है और शेष मामलों के लिए, वसूली कार्रवाई आरए वार नियमानुसार की जाएगी।

3.2.3 अयोग्य श्रेणियों के एमईआईएस स्क्रिप्स जारी करना

विदेश व्यापार नीति 2015-20, के पैरा 3.06 के अनुसार, एसईजेड इकाईयों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) इकाईयों से की गई आपूर्ति एमईआईएस दावों के लिए योग्य नहीं है।

नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 8.29 लाख के एमईआईएस स्क्रिप्स की डीटीए इकाई द्वारा एसईजेड इकाईयों को आपूर्तियों पर आरए कोलकाता द्वारा अनुमति दी गई थी (**विवरण** 18)। इस प्रकार, एसईजेड इकाईयों को डीटीए इकाईयों द्वारा इन आपूर्तियों के संदर्भ में एमईआईएस स्क्रिप्स के जारी किये जाने को न तो सिस्टम द्वारा रोका जा सका, न ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्क्रिप्स अयोग्य श्रेणियों को जारी न किये गये हो, के लिए कोई नियंत्रण था। डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर निदेशालय ने कुछ विशेष मामलों के लिए वसूली पहले ही आरंभ कर दी है और शेष मामलों के लिए वसूली कार्रवाई आरए वार नियमानुसार की जाएगी।

3.2.4 एमईआईएस स्क्रिप्स का गलत उपयोग

एफटीपी 2015-20 के पैरा 3.02 (i) के अनुसार, एमईआईएस और एसईआईएस के अंतर्गत जारी किये गये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स एचबीपी के परिशिष्ट 3ए में सूचीबद्ध

मदों को छोड़कर पूंजीगत माल सहित माल के इनपुट को आयात पर सीमा शुल्क के भुगतान के लिए उपयोग किये जा सकते हैं। परिशिष्ट 3ए के क्र.सं 2, 3 और 4 के अनुसार, आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 8 और 9 के अंतर्गत 30 प्रतिशत से अधिक शुल्क वाले माल जैसे नारियल, सुपारी, संतरा, नींबू, ताजे अंगूर, सेब और नाशपाती और सभी अन्य फल तथा सभी मसाले एमईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स का उपयोग करते हुए आयात के लिए योग्य मद नहीं हैं। एसईजेड इकाई से डीटीए इकाईयों को बिक्री आयात नहीं है और इसलिए डीटीए बिक्री पर लागू सीमा शुल्क एमईआईएस स्क्रिप्स के सापेक्ष सेट ऑफ नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा ने पूर्वोक्त उद्धरत प्रावधानों का उल्लंघन वाले ₹ 6.47 करोड़ राशि के एमईआईएस स्क्रिप्स के गलत उपयोग के 323 मामलों का अवलोकन किया, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

i) लेखापरीक्षा ने एमईआईएस स्क्रिप्स की उपयोगिता के सत्यापन से यह अवलोकन किया कि पूर्वोक्त उद्धरत प्रावधानों के उल्लंघन वाले सात मामलों में ₹ 27.70 लाख सीमा शुल्क राशि हेतु एमईआईएस लाइसेंस के उपयोग द्वारा चेन्नै और तुतीकोरिन समुद्र सीमा शुल्क द्वारा 30 प्रतिशत से अधिक शुल्क के टैरिफ दर के साथ आयात मदों का आयात किया गया था ।

11 मामलों में, परिशिष्ट 3ए में निर्दिष्ट मद जैसे मसाले, तेल बीज, मटर हारवेस्टर मशीन और स्टेशनरी डीजल ईंजन, सीमा शुल्क पोर्टन्हावाशेवा से एमईआईएस लाइसेंस का उपयोग करते हुए आयात किये गये थे जो पूर्वोक्त प्रावधानों का उल्लंघन था। ₹ 33.95 लाख राशि के ड्यूटी क्रेडिट की उपयोगिता सही नहीं थी (**विवरण 19**)।

डीओआर ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि 5 मामलों में ब्याज सहित ₹ 20.20 लाख की वसूली की गई थी और लेखापरीक्षा में बताये गये शेष 13 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी। हालांकि, एमईआईएस स्क्रिप्स के गलत उपयोग से बचाने के लिए सिस्टम की वैद्यता के अभाव के विषय पर विभाग का उत्तर मौन है।

ii) एसईजेड-इंदौर में, यह देखा गया था कि एसईजेड इकाईयों से डीटीए इकाईयों की निकासी/बिक्री के समय पर ₹ 5.85 करोड़ (**विवरण 20**) की राशि के सीमा शुल्क के भुगतान हेतु 305 मामलों में एमईआईएस स्क्रिप्स का उपयोग किया गया था।

डीजीएफटी ने कहा (सितंबर 2019) कि विभाग में एसईजेड डिवीजन की सहमति से मामले की जांच की गई थी; क्योंकि इनमें एसईजेड नियमों की व्याख्या शामिल थी तथा अलग-अलग एसईजेड ने डीटीए सेल के लिए एमईआईएस स्क्रिप्स की योग्यता की व्याख्या अलग-अलग दी ।

एसईआईएस से संबंधित परिणाम :

3.3 गलत-वर्गीकरण के कारण अयोग्य सेवाओं को एसईआईएस का प्रोत्साहन

3.3.1 सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी/आईटीईएस)

भारत का 40 प्रतिशत से अधिक सेवाओं का निर्यात आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में है। डीजीएफटी ने स्पष्ट[14] किया (अप्रैल 2018) कि परिशिष्ट 3 डी आईटी/आईटीईएस के रूप में कोई सेवा निर्दिष्ट नहीं करता। आईटी/आईटीईएस प्लेटफार्म द्वारा अधिकतर सेवाएं जैसे कंप्यूटर संबंधित हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सीवीसी (यूनाईटेड नेशंस स्टैटिस्टिकस डिवीजन का केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण) प्रावधान कोड 841 से 849 के अंतर्गत अन्य डेटाबेस सेवाएं प्रदान की गई। हालांकि ऐसे कोड परिशिष्ट 3 डी में निर्दिष्ट नहीं हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 5 इकाईयों (आरए गोवा, मुंबई, पुणे, एसईजेड - कोच्ची और सीप्ज़-मुंबई) ने 28 दावों में सेवाओं के लिए औसत ₹130.83 करोड़ के गलत प्रोत्साहन अनुमत किये थे जिसके लिए परिशिष्ट 3 डी में सीपीसी कोड निर्दिष्ट नहीं थे।

नीचे तीन उदाहरण दिये गये है:

i) डीसी, सीप्ज़ मुंबई ने परिशिष्ट 3 डी में न शामिल तकनीक और विश्लेषण सेवाओं के लिए **मै.ए लिमि.** को ₹41.17 करोड़ के ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स अनुमत किये।

ii) डीसी एसईजेड कोची ने परिशिष्ट 3 डी में न शामिल अभियांत्रिक सेवाओं, तकनीकी जांच और विश्लेषण और प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए वर्ष 2015-16 के लिए ₹14.12 करोड़ राशि के **मै.बी लिमि.** की पांच इकाईयों को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स अनुमत किये थे, एसईजेड के निर्दिष्ट अधिकारी के सामने फाईल किये गये सॉफ्टैक्स भी आरबीआई डिस्टिंक्ट कोड के अंतर्गत सेवा के प्रकार को दर्शाते है, कोड 907

[14] वाईड ट्रेड नोटिस सं. 04/2018 दिनांक 25 अप्रेल 2018

सॉफ्टवेयर विकास को दर्शाते है जो सीपीसी 842 के अंतर्गत है पर यह परिशिष्ट 3डी में निर्दिष्ट नहीं थे ।

iii) **मै.सी लिमि.** ने आईटी सक्षम प्लेटफार्म में सॉफ्टवेयर डिलीवरी के रूप में विभिन्न टैस्टिंग सेवाऐं प्रदान की थी, जो सीपीसी कोड 842 के अंतर्गत आती है परन्तु परिशिष्ट 3डी में शामिल नहीं थी और इसलिए ये एसईआईएस के योग्य नहीं थी। यद्यपि, निर्यातक ने सीपीसी कोड 8676-'तकनीकी टैस्टिंग और विश्लेषण सेवाओं के अंतर्गत, सेवाओं का गलत वर्गीकरण किया और क्रमश: वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए कार्यालय डीसी, एसईजेड कोची से ₹ 6.21 करोड़ और ₹ 4.77 करोड़ एसईआईएस का रिवार्ड प्राप्त किया। रिवार्ड की अनुमति अनियमित थी।

3.3.2 अन्य सेवाएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ आवेदनों में निर्यातकों ने 4 इकाईयों (आरए बैंगलुरू, कोच्ची एसईजेड, मुंबई और पुणे) में, सेवाओं का गलत वर्गीकरण करके ₹ 41.89 करोड़ राशि **(विवरण 22)** का अधिक रिवार्ड प्राप्त किया यद्यपि प्राप्त की गई वास्तविक सेवाएं परिशिष्ट 3डी में निर्दिष्ट नहीं थी। आरए सीए प्रमाणपत्रों पर निर्भर रहा। अलग-अलग कोड में सेवाओं के विवरण की गलत व्याख्या और सेवाओं के अधिव्यापन ने निर्यातकों को अनायास लाभ भी प्रदान किए जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

i) पेटेंट और कॉपीराईट वितरण अधिकार

पेटेंट उपयोग के अधिकार व कॉपीराईट सामान के हेतु रॉयल्टी क्रमश: सीपीसी 8921 औेर 8923 के अंतर्गत आते है जोकि परिशिष्ट 3डी में निर्दिष्ट नहीं थे और इसलिए प्रोत्साहनों के लिए योग्य नहीं थे। परंतु आरए मुंबई और डीसी, एसईजेड-कोची ने पेटेंट और कॉपीराईट सामान पर रायल्टी अर्जन पर तीन निर्यातकों को ₹ 17.33 करोड़ राशि के स्क्रिप्स अनुमत किये।

ii) मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सेवाएं

मै.डी लिमि., ने सीपीसी 8432 (परिशिष्ट 3डी में शामिल नहीं) के अंतर्गत आने वाली मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सेवाएं प्रदान करते हुए 8675 'संबंधित मेडिकल टेक्नीकल सेवाओं' के अंतर्गत उन सेवाओं का गलत वर्गीकरण कर वित्तीय वर्ष 16 के लिए एसईआईएस का दावा किया। डीसी, एसईजेड-कोची ने निर्यातक द्वारा किये गये दावे के रूप में ₹ 19.56 लाख का गलत रिवार्ड अनुमत किया था।

iii) वित्तीय मध्यस्थता और बैंकिंग की सहायक सेवाएं

मै.ई लिमि., ने प्रबंधन परामर्श सेवाओं (सीपीसी 865) और लेखांकन, लेखापरीक्षण और बुक किपिंग सेवा (सीपीसी 862) के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा किया।

डीसी, एसईजेड-कोच्ची ने 22 विभाजित एसईआईएस स्क्रिप्स में निर्यातक को ₹ 16.95 करोड़ के स्क्रिप्स अनुमत किये। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि सीपीसी 865 और 862 के अंतर्गत दावा की गई सेवाएं वास्तव में सीपीसी[15] के अंतर्गत आने वाली बैंकिग और वित्तीय सेवाओं से संबंधित थे जो कि परिशिष्ट 3 डी में निर्दिष्ट नहीं थी। इस प्रकार,अयोग्य सेवाओं को स्क्रिप्स की अनुमति अनियमित थी।

iv) सौंदर्य देख-भाल उत्पादों की जांच और विश्लेषण सेवाएं

आरए, मुंबई ने संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्श सेवाओं (सीपीसी 8675) के अंतर्गत सौंदर्य उत्पादों से संबंधित विपणन और संबंधित सेवाओं (सीपीसी 865) और तकनीकी जांच और मूल्यांकन सेवाओं के अंतर्गत सेवाओं को वर्गीकरण करते हुए वित्तीय वर्ष 16 और वित्तीय वर्ष 17 के दौरान अर्जित एनएफई के सापेक्ष **मै. एफ लिमि.** को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स अनुमत किये थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि सीपीसी 8675 के साथ कोड किये गये 'संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्श सेवाओं' का वर्गीकरण संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्श सेवाओं की अभियांत्रिकी के बारे में था। निर्यातक की सेवाएं सौंदर्य उत्पादों की तकनीकी जांच और मूल्यांकन से संबंधित थी, और इसलिए सीपीसी 8675 के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप दो वर्षों के लिए ₹ 7.06 करोड़ की सीमा तक स्क्रिप्स की गलत अनुमति दी गई।

v) एयर ट्रांसपोर्ट सेवाओं से असंबंधित सेवाएं

आरए, बैंगलुरू ने परिशिष्ट 3 डी के अंतर्गत र न आने वाले मानव रहित एरियल व्हीकल (यूएवी) या ड्रोन से संबंधित तकनीकी; संस्थापन और सहायता सेवाएं प्राप्त करने के लिए **मै. जी लिमि.** को ₹ 35.24 लाख के दो एसईआईएस स्क्रिप्स जारी किये और इसलिए ये पात्र नहीं थे।

---

[15] सीपीसी 81-वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं और सहायक सेवाएं इसीलिए; 8111- मौद्रिक मध्यवर्तियों की सेवा, 8132- प्रतिभूति बाजार से संबंधित सेवाएं, 8133- अन्य वित्तीय मध्यस्थता के लिए सहायक सेवाएं और 8425- प्रणाली अनुरक्षण सेवाएं और 8439- अन्य डेटा प्रसंस्करण सेवाएं

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (सितंबर 2019) कि नीति ने प्रोवीजनल सीपीसी कोड में निर्दिष्ट सभी चालन/सेवा समझौते को अनिवार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रोवीजनल सीपीसी को सेवा श्रेणियों के साथ प्रोत्साहनात्मक श्रेणी के अंतर्गत सेवाओं की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि परिशिष्ट 3 डी में कुछ सेवा श्रेणियां थी, जैसे साऊंड रिकॉर्डिंग और ग्राऊंड हैंडलिंग जिसमें अनुकूल प्रोवीजनल सीपीसी कोड अधिसूचित नहीं था।

डीजीएफटी का उत्तर तर्कपूर्ण नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा में इंगित की गई एसईआईएस की गलत अनुमति सेवा के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप थी जबकि प्राप्त की गई वास्तविक सेवा परिशिष्ट 3 डी में अधिसूचित नहीं की गई थी।

3.4 अयोग्य सेवाओं (मोड-3 और मोड-4) को एसईआईएस स्क्रिप्स की गलत अनुमति

एसईआईएस स्क्रिप्स अधिसूचित सेवाओं के निर्यातक को अनुमत[16] किये जाएंगे जिसने मोड 1 (किसी अन्य देश को भारत से सेवा की आपूर्ति) और मोड 2 (भारत में अन्य देश के सेवा उपभोक्ता को भारत से सेवा की आपूर्ति) सेवाओं के अंतर्गत निर्दिष्ट सेवाएं प्राप्त की और इन सेवाओं के निर्यात से निवल विदेशी विनिमय अर्जित किया हो।

योजना इन सेवा प्रदाताओं जिन्होंने किसी अन्य देश में वाणिज्यिक उपस्थिति द्वारा (वाणिज्यिक उपस्थिति-मोड 3) या किसी अन्य देश में वास्तविक व्यक्ति की उपस्थिति द्वारा भारत से सेवा की आपूर्ति (वास्तविक व्यक्ति की उपस्थिति-मोड 4) की सेवा उपलब्ध कराते हैं, को रिवार्ड उपलब्ध नहीं करती।

स्वयं उद्घोषणा और सीए प्रमाण पत्र एसईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड देने की सेवाओं की योग्यता के बारे में विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अपर्याप्त थी। परंतु विभाग रिवार्ड अनुमत करने के लिए इन स्वयं-उद्घोषणाओं और सीए प्रमाणपत्रों पर ही निर्भर रहा। आरए योग्य (मोड 1 और 2) और अयोग्य (मोड 3 और 4) सेवाओं के बीच अंतर करने और पृथक करने और ए अयोग्य सेवाओं को रिवार्ड नकारने में विफल रही।

तेरह निर्यातकों के ठेकेदारी समझौतों कार्य आदेशों या चालानों के विवरण की नमूना जांच से, सामान की आपूर्ति, जांच-पडताल, परिवहन, सजावट, संस्थापन और साईट

[16] एफटीपी, 2015-20 के पैराग्राफ 3.08 से 3.12 के संदर्भ में

पर किये गये परियोजना के पर्यवेक्षण की जानकारी मिली। इसमें निर्यातकों के कार्मिकों के बार-बार विदेशी दौरे, उनकी विदेश यात्रा की वसूली, रहन-सहन का व्यय भी जोड़ा गया जिससे यह इंगित हुआ कि कुछ हद तक सेवा की आपूर्ति के स्वरूप जैसे किसी अन्य देश में वास्तविक व्यक्तियों द्वारा सेवाएं मोड 4 आपूर्ति के अंतर्गत आएंगे।

लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि छ: निर्यातकों ने उनके ग्रुप/संबंधित कंपनियों द्वारा उनके ग्राहकों को सेवा प्रदान की। सभी चालान ऐसी विदेश स्थित कंपनियों और ऐसी ग्रुप कंपनियों (सेवा के मोड 3 स्वरूप) से प्राप्त विदेश विनिमय से तैयार किये गये थे।

यद्यपि आरए के पास ऐसी सूचना थी, उन्होंने किसी भी फाईल में प्राप्त की गई सेवा के स्वरूप को अभिलेखित नहीं किया। सीए प्रमाण-पत्र जिस पर दावा निर्धारित होगा, उसने मोड -3 और मोड-4 सेवा के स्वरूप के शामिल होने पर कोई प्रकाश नहीं डाला। सभी विदेशी विनिमय प्राप्तियां को मोड-1 द्वारा प्राप्त किया गया बताया गया और एसईआईएस लाभ दिये गये।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 4 इकाईयों (आरए कोलकाता, मुंबई, पुणे और सीप्ज-मुंबई) ने 13 सेवा प्रदाताओं को ₹ 57.52 करोड़ का रिवार्ड प्रदान किया जिसमें वर्तमान प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सेवाओं **(विवरण 23)** के मोड-3 और मोड-4 स्वरूप शामिल थे।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर निदेशालय ने कुछ विशेष मामलों के लिए वसूली पहले ही आरंभ कर दी है और शेष मामलों के लिए, वसूली कार्रवाई आरए वार नियमानसार की जाएगी।

3.5 गलत स्वयं-उद्घोषण और सीए प्रमाण-पत्र के कारण एसईआईएस दावों में त्रुटियां

एचबीपी वी1 के पैरा 3.04(बी) के अनुसार, प्राप्त की गई योग्य सेवा के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स की अनुमति के लिए एक आवेदन डिजीटल हस्ताक्षर के अंतर्गत वार्षिक आधार पर ऑनलाईन फाईल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त पैरा 3.10 के अनुसार, आरए आवेदन की तथा साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंटस् द्वारा हस्ताक्षरित परिशिष्ट में सूचना की अपेक्षित संवीक्षा के बाद आवेदन को प्रसंस्कृत करेंगें।

इस प्रकार आरए को चार्टर्ड अकाउंटेंटस् द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन और इसके परिशिष्ट संवीक्षा पर आधारित स्क्रिप्स अनुमत करने पड़ते हैं। अतिरिक्त दस्तोवेजों की संवीक्षा पर आगे के निर्देशों के अभाव में स्क्रिप्स को अनुमति के लिए आवेदक की स्वयं उद्घोषणा और चार्टर्ड अकाउंटेंटस् प्रमाण-पत्रों पर ही निर्भर रहना होगा।

लेखापरीक्षा ने अग्रलिखित खामियों के कारण ₹ 40.74 करोड़ (**विवरण 24**) राशि के स्क्रिप्स गलत जारी किये गये 62 आवेदनों में सेवाओं पर अनियमित रिवार्ड अनुमति का अवलोकन किया:

3.5.1 योजना के शुरू होने से पहले ही प्राप्त की गई सेवाओं के लिए स्क्रिप्स की अनियमित अनुमति

एफटीपी के पैरा 3.12 के अनुसार, एसईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड, नीति की अधिसूचना की तिथि से या के बाद किये गये निर्यात/प्राप्त की गई सेवाओं के लिए स्वीकार्य होंगे।

लेखापरीक्षा द्वारा 24 आवेदनों में 8 इकाईयों द्वारा (आरए अहमदाबाद, चेन्नै, कोयम्बटूर, मुंबई, पूणे, एसईजेड-कंडला, सीप्ज्-मुंबई और एसईजेड-कोची) द्वारा अप्रैल 2015 से पहले प्राप्त की गई सेवाओं के लिए ₹ 26.02 करोड़ की अनियमित अनुमति पाई गई। सीए प्रमाण-पत्र इस त्रुटि को ढूंढने में असफल रहे जिसके आधार पर स्क्रिप्स अनुमत किये गये थे।

डीसी, केएएसईज़ैड और आरए चेन्नै ने ब्याज सहित ₹ 81.36 लाख की वसूली की सूचना दी।

3.5.2 गलत निवल विदेशी विनिमय (एनएफई) मूल्य के कारण अधिक अनुमति

15 आवेदनों में, पांच आरए (अहमदाबाद, चेन्नै, कोच्ची, कोलकाता और जयपुर) ने अग्रलिखित के कारण ₹ 4.31 करोड़ के अधिक रिवार्ड जारी किये थे:

- विदेशी विनिमय पर व्यय सहित एनएफई की गणना में त्रुटियां,
- चालान मूल्य या वास्तविक पावतियों के बीच कम मूल्य का स्वीकार न करना,
- अनुपयुक्त विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र (एफआईआरसी) और
- सेवाओं का गलत विचार

आरए कोची ने एक मामले में ब्याज सहित ₹ 8.31 लाख की वसूली की सूचना दी।

3.5.3 सरकारी करों के प्रति ऐसी संगत राशि सहित एनएफई पर स्क्रिप्स की गलत अनुमति

डीजीएफटी ने स्पष्ट[17] किया कि संबंधित सरकारों की ओर से उपभोक्ताओं से सेवा प्रदाता द्वारा संग्रहित केंद्रीय/राज्य सरकारों के कर सेवा प्रदाता की आय नहीं है और इस प्रकार ऐसे करों पर निर्यात प्रोत्साहन उपयुक्त नहीं है।

आरए जयपुर, कोच्ची और मुंबई ने आठ आवेदनों में ₹ 2.35 करोड़ राशि के कर पर रिवार्ड गलत से अनुमत किये थे।

आरए कोच्ची ने चार मामलों में ब्याज सहित ₹ 9.90 लाख की वसूली की सूचना दी (सितंबर 2018)।

3.5.4 कर कटौती व्यय को न छोड़ने के कारण स्क्रिप्स की गलत अनुमति

एफटीपी के पैरा 3.08 (डी) के अनुसार, अर्जित निवल विदेशी विनिमय पर अधिसूचित दर पर प्रोत्साहन अनुमत किया गया है, जो कि विदेशी विनिमय के एकल अर्जन से विदेशी विनिमय में कुल व्यय/भुगतान/प्रेषण को कम करके आंका गया है। विदेशी विनिमय में प्राप्तियां लाभ की अनुमति हेतु बैंक द्वारा जारी किये गये एफआईआरसी से प्रमाणित की गई हैं। जब ऐसी राशि बाहरी देश से देय कर काटने के बाद प्राप्त की जाती है, एफआईआरसी में दिखाई गई निवल राशि रिवार्ड की अनुमति के लिए मानी जाएगी।

आरए, मुंबई और सीप्ज् मुंबई ने बाहरी देशों के कर कटौती के प्रति भुगतान की गई राशि सहित एनएफई पर स्क्रिप्स जारी किये थे इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.21 करोड़ के अधिक रिवार्ड की अनुमति दी गई।

आरए सीप्ज् मुंबई ने ₹ 0.68 लाख की वसूली की सूचना दी (मई 2019)।

3.5.5 गलत विनिमय दरों के अपनाने के कारण स्क्रिप्स की अधिक अनुमति

आवेदन के परिशिष्ट ए, यूएसडी में तिथि वार विदेशी विनिमय अर्जन और यूएसडी के अतिरिक्त प्राप्त लाभ के मामले में, संव्यवहार की तिथि पर उनके समान यूएसडी,

---

[17] व्यापार नोटिस नंबर11/2015-20 दिनांक 21 जुलाई 2016 द्वारा

सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार विनिमय दर लागू करते हुए संव्यवहार के विवरण प्राप्त करता है।

एसईजेड कांडला में **मै. एच लिमि.** द्वारा फाईल किये गये परिशिष्ट ए की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि निर्यातकों ने संव्यवहार की तिथि (चालान तिथि) तक लागू सीमा शुल्क अधिसूचित विनिमय दरों को नहीं अपनाया था जिसके परिणामस्वरूप गलत एनएफई की घोषणा की गई और परिणामत: ₹ 2.53 करोड़ तक अधिक रिवार्ड अनुमत किया गया। एसईजेड कांडला ने ₹ 2.5 करोड़ के अनुप्रयुक्त लाईसेंस को निरस्त करने और ₹ 2.13 लाख की शेष राशि के नकद भुगतान करने के रूप में वसूली की सूचना दी (मई 2019)।

इसी प्रकार, **मै. आई लिमि.** ने संव्यवहार तिथि पर मौजूदा दरों के स्थान पर विदेशी मुद्रा वसूली के समय पर लागू विनिमय दरों को गलत रूप से अपनाया, परिणामस्वरूप आरए सीप्ज्-मुंबई द्वारा ₹ 1.39 लाख की राशि का अधिक रिवार्ड जारी किया गया।

3.5.6 अयोग्य प्रेषण को प्रोत्साहन की गलत अनुमति

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि चार आरए (बैंगलुरू, गोवा, जयपुर और कोच्ची) में ग्यारह आवेदनों में अयोग्य प्रेषण जैसे गैर-अधिसूचित सेवाओं और ऐसे मामले जहां ऐसे मुद्रा अर्जन हेतु सेवा की प्रकृति ज्ञात नहीं है, से अर्जन पर ₹ 2.32 करोड़ का रिवार्ड अनुमत किया गया था। एक मामले में, सीए ने फोरैक्स प्राप्तियों को जोकि एसईआईएस रिवार्ड के लिए प्रेषण की योग्यता के लिए आवश्यक थी, के साथ बिल/चालान के सहसंबंध को प्रमाणित नहीं किया था।

उपरोक्त अवलोकन को डीजीएफटी (सितंबर 2019) के ध्यान में लाया गया और डीजीएफटी ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर, निदेशालय ने कुछ मामलों हेतु पहले ही वसूली हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी थी और शेष मामलों हेतु, आरए वार नियमानुसार वसूली कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

3.6 आरए और सिस्टम द्वारा अपूर्ण नियंत्रण के कारण एमईआईएस रिवार्ड का अधिक जारी करना

स्क्रिप्स जारी करने की प्रक्रिया सिस्टम और मैन्यूल इंटरवेंशन दोनों सहित अर्द्ध-स्वचालित है। नियंत्रणों की सीमा जो कि एसईआईएस के अंतर्गत स्क्रिप्स के जारी करने से पहले आरए द्वारा प्रयोग की जानी आवश्यक थी वह स्पष्टत: निर्दिष्ट नहीं की गई थी।

34 आवेदनों में, लेखापरीक्षा द्वारा लेट कट की गैर-कटौती, आरसीएमसी/आईइसी के बिना जारी किये गये स्क्रिप्स, भारतीय कंपनियों से प्राप्त की गई सेवाएं, ₹13.02 करोड़ की एनएफई राशि की गलत स्वीकृति **(विवरण 25)** के कारण स्क्रिप्स की गलत अनुमति पाई गई।

कुछ मामलों की नीचे चर्चा की गई है:

3.6.1 निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त एसईआईएस आवेदनों में लेट कट की कटौती न करना

लेखापरीक्षा ने छः इकाईयों/आरए अहमदाबाद, चेन्नै, दिल्ली, मुंबई, एसईजेड-कोची और सीप्ज - मुंबई) में प्रस्तुत किए गए 24 एसईआईएस आवेदनों में लेट कट को लागू न करने का अवलोकन किया, यद्यपि वे निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुई थी। ₹5.49 करोड़ का लेट कट वसूली योग्य था।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर, निदेशालय ने कुछ मामलों हेतु पहले ही वसूली हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी थी और शेष मामलों हेतु, आरए वार नियमानुसार वसूली कार्रवाई की जाएगी।

3.6.2. आरसीएमसी/आईईसी के बिना एसईआईएस स्क्रिप्स को अनियमित रूप से जारी करना

एफटीपी का पैरा 3.08 (एफ) निर्दिष्ट करता है कि सेवाएं; जिनके लिए रिवार्ड ्स का दावा किया गया है, प्राप्त करने के समय पर सक्रिय आयात निर्यात कोड (आईईसी) सेवा प्रदाता के पास होगा। इसके अतिरिक्त, पैरा 2.56 प्रासंगिक निर्यात समितियों से वैध आरसीएमसी की आवश्यकता निर्दिष्ट करता है।

(i) लेखापरीक्षा ने पाया कि आरए दिल्ली ने वैध आरसीएमसी के बिना दो आवेदनों में ₹ 4.07 करोड़ के स्क्रिप्स अनियमित रूप से जारी किये।

(ii) तीन आवेदनों में, आरए कोची और चेन्नै ने सेवाएं प्राप्त करने के समय पर आईईसी के बिना सेवा प्रदाता को ₹ 85.33 लाख राशि के स्क्रिप्स अनियमित रूप से जारी किये।

आरए, दिल्ली और कोची ने नोटिस जारी करने और स्क्रिप्स वापस किये तथा आरए कोची द्वारा ₹ 43.63 लाख की वसूली की भी सूचना दी।

3.6.3. भारतीय कंपनियों से प्राप्त सेवाओं पर एसईआईएस लाभ की गलत अनुमति

परिशिष्ट 3ई में विनिर्दिष्ट समुद्रतटीय परिवहन सेवाओं के मामले में विदेशी यात्री-पोत (या कर्मी दल के साथ समुद्री जहाज के किराय में शामिल सेवाओं के मामले में विदेशी ईकाई से अधिप्राप्त) से सीमा शुल्क अधिसूचित क्षेत्रों में प्राप्त की गई सेवाएं विदेशी विनिमय में प्राप्त की गई सेवाएं समझी जाएंगी और विदेशी विनिमय में अर्जित मानी जाएंगी और भारत योजना से सेवा निर्यात के अंतर्गत रिवार्ड जारी करने के लिए योग्य होंगी। तद्नुसार, विदेशी नौ-परिवहन यात्री-पोत को पोर्ट टर्मिनल सेवाएं प्रदान कर रही कोई इकाई रिवार्ड के लिए योग्य है।

लेखापरीक्षा ने आरए मुंबई में अवलोकन किया कि आवेदक **मै. जे लिमि.** ने चार भारतीय कंपनियां/शिपिंग लाईनों से आंशिक रूप से ऐसी सेवाएं प्राप्त की थी। चूंकि सेवा उपभोक्ता भारतीय हैं, विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.5 (i) के अनुसार भारतीय उपभोक्ता से प्राप्त राशि पर कोई लाभ अनुमत नहीं होगा। तद्नुसार, ₹ 175.58 लाख (₹ 35.12 करोड़ का 5 प्रतिशत) के जारी किये गये स्क्रिप्स अनियमित थे, जो कि सेवा प्रदाता से वसूल किये जाने थे।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर, निदेशालय ने कुछ मामलों हेतु पहले ही वसूली हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी थी और शेष मामलों हेतु, आरए वार नियमानुसार वसूली कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

3.6.4 एनएफई की गलत स्वीकृति पर एसईआईएस रिवार्ड की अनुमति

दो आवेदनों में, आरए, सीप्ज - मुंबई और इंदौर ने 'ऑनलाइन आवेदन' और सीए प्रमाण-पत्रों में एनएफई घोषणाओं में भिन्नता की पुष्टि किए बिना ₹7.96 लाख का अतिरिक्त रिवार्ड प्रदान किया।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर, निदेशालय ने कुछ मामलों हेतु पहले ही वसूली हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी थी और शेष मामलों हेतु, आरए वार नियमानुसार वसूली कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

3.6.5 क्षेत्राधिकार अनुशासन का न रखा जाना

डीजीएफटी पीएन 30/2015-20 दिनांक 26 अगस्त 2015 और 58/2015-20 दिनांक 10 फरवरी 2017 के साथ पठित एचबीपी के पैरा 3.06 के अंतर्गत एसईजेड/ईओयू में इकाईयों में आईईसी धारक परिशिष्ट 1 ए में दिये गये एसईजेड के संबंधित डीसी को आवेदन करेगा।

आरए, मुंबई ने एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित **मै. के लिमि.** एक मुक्त व्यापार और वेयरहाऊसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजैड) इकाई को ₹ 76.52 लाख के एसईआईएस स्क्रिप्स अनुमत किये थे। इस प्रकार, डीसी,सीप्ज, मुंबई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली इकाई के वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किये गये फोरैक्स अर्जन पर रिवार्ड की अनुमति अनियमित थी।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर, निदेशालय ने कुछ मामलों हेतु पहले ही वसूली हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी थी और शेष मामलों हेतु, आरए वार नियमानुसार वसूली कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

3.6.6 पोर्ट सेवाओं के अंतर्गत एसईआईएस का अधिक भुगतान

डीजीएफटी ने स्पष्ट[18] किया कि पोर्ट सेवाओं के मामले में एसईआईएस लाभ वास्तविक सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने के लिए उनके माध्यम से आसानी से

[18] नीति परिपत्र संख्या 06 दिनांक 22 मई 2018 और 08 दिनांक 21 जून 2018 द्वारा

अर्जन कर रही सेवाओं के संयोजक की अपेक्षा वास्तविक सेवा प्रदाताओं को दिये जायेंगे। सेवाओं के संयोजक (पोर्ट) वृहद रूप से उनके द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के लिए एसएफआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र होंगे जिसके लिए विदेशी विनिमय अर्जन (या योजना के अंतर्गत अनुमत किये गये आईएनआर भुगतान) प्राप्त किये हो और उनको इस संबंध में रखे गये हैं।

आारए, मुंबई, ने **मै. एल लिमि.** के मामले में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतटीय परिवहन से जुड़ा था, इसने अंतर्राष्ट्रीय चार्टर से प्राप्त मालभाड़ा और विलंबन प्रभारों पर विदेशी विनिमय अर्जन के लिए रिवार्ड अनुमत किये थे। हालांकि, समुद्रतटीय परिवहन मालभाड़ा राशि में पोर्ट पर लोडिंग, अनलोडिंग और भंडारण प्रभार की टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज (टीएचसी) शामिल होते हैं। इसलिए आईएनआर में वास्तव में मालभाड़ा का भाग उन वास्तविक सेवा प्रदाता को जाता जो टर्मिनल हैंडलिंग सेवाऐं जैसे पोर्ट, लोडिंग और अनलोडिंग एजेसियों, प्रदान करते हैं,

इस प्रकार, इस मामले में शिपिंग लाईनर्स, मालभाड़ा भाग पर लाभ; जो कि वास्तविक सेवा प्रदाताओं को अदा किये गये टीएचसी और भंडारण प्रभारों का दर्शाता है; के दावे के योग्य नहीं हैं। ये भुगतान शिपिंग लाईनर दावे से अलग नहीं किए गये थे चूंकि आवेदक द्वारा आईएनआर में किये गये व्यय के घटाने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

इसी प्रकार से, **मै. एम लिमि.** ने वित्तीय वर्ष 16 और 17 के दौरान भारतीय हवाई अड्डों में विदेशी एयरक्राफ्ट को मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं आपूर्ति की थी। संबंधित सेवा चालानों में 13 से 32.50 प्रतिशत की रेंज में उद्ग्रहण और संग्रहण के प्रभार दर्शाये गयेजो कि संयोजक द्वारा प्रतिधारित थी। चूंकि, अंतत: ये उद्ग्रहण संयोजक से संबंधित हैं, ऐसे उद्ग्रहण पर आनुपातिक लाभ मै. एम लिमि. को अनुमत नहीं किया गया था।

डीजीएफटी ने सूचित किया (मार्च 2020) कि मुंबई आरए ने मुख्यालय में प्राप्त विशेष डीआरई संदर्भ के आधार पर आवेदनों की जांच करने और संवीक्षा करने के लिए कहा है।

3.7 नीति और अधिसूचना के बीच असंगति

सीबीआईसी ने एफटीपी के पैराग्राफ 3.08 के साथ पठित पैराग्राफ 3.10 में निर्दिष्ट शर्तों के मद्देनजर आरए द्वारा जारी किये गये एसईआईएस स्क्रिप्स के प्रति आयातित माल को आयात ड्यूटी से छूट प्रदान करते हुए अधिसूचना सं. 25/2015-सी.शु. दिनांक 8 अप्रैल 2015 जारी की। ऐसी दो शर्तें हैं:

(1) विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात फॉर्मस् (एएनएफ) के परिशिष्ट 3डी में सूचीबद्ध अधिसूचित सेवाओं के निर्यात के प्रति भारत में स्थित सेवा प्रदाता को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स जारी किया जाए;

(2) कि अधिसूचना सं. 16/2015-सीमा शुल्क दिनांक 1 अप्रैल 2015 में दी गई तालिका 2 में विनिर्दिष्ट समुद्रीपत्तन, हवाईजहाज या इंलैंड कंटेनर डिपो या स्थल सीमा शुल्क स्टेशनों द्वारा या विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन में आयात और निर्यात किया गया:

इसके बावजूद, आयुक्त सीमा शुल्क अपने क्षेत्राधिकार में किसी अन्य समुद्री पोर्ट, एयरपोर्ट, इंलैंड कंटेनर डिपो से या किसी स्थल सीमा शुल्क स्टेशन से विशेष आदेश या सार्वजनिक अधिसूचना और उनके द्वारा निर्दिष्ट की गई ऐसी शर्तों के अनुसार, आयात और निर्यात की अनुमति दे सकता है।

i) आरए मुंबई और पूणे ने 16 सेवा आपूर्तिकर्ताओं जिन्होंने सेवाएं जैसे अभियांत्रिकी डिजाईन सेवाएं, विधिक और अटार्नी सेवाएं, प्रबंधन परामर्श, बुक किपिंग, लेखाकरण और लेखा परीक्षण सेवाएं, निर्माण संबंधी सेवाएं; या हॉटल और हॉस्पीटल उद्योग में भारत में विदेशी उपभोक्ताओं को आपूर्त की गई सेवाओं के लिए, एसईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स जारी किये। ये सेवा निर्यात सीमा शुल्क अधिसूचना की क्र. सं. 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी पोर्ट द्वारा नहीं किये गये थे, परंतु या तो डेटा-लिंक्स या हॉटल और हॉस्पीटल परिसर में उपभोग द्वारा निर्यातक कार्यालयों से प्रत्यक्ष रूप से निर्यात किये गये थे। आरए कार्यालय में कोई प्रमाण नहीं था कि सेवाएं निर्दिष्ट किसी पोर्ट से निर्यात की गई थी।

ii) आरए, मुंबई ने डीजीएफटी की सार्वजनिक सूचना सं. 7/2015-20 दिनांक 4 मई 2016 द्वारा परिशिष्ट 3ई में अधिसूचित मानी गई निर्यात सेवाओं के लिए दो

आपूर्तिकर्ताओं को भी स्क्रिप्स जारी किये थे। ये सेवाएं मुख्यत: पोर्ट क्षेत्र में समुद्रतटीय परिवहन और सहायता सेवाओं से संबंधित थीं जहां सेवाओं का कोई वास्तविक निर्यात नहीं हुआ था । पोर्ट क्षेत्रों में विदेशी यात्री-पोत से प्राप्त सेवाएं सीमा शुल्क अधिसूचना; जोकि निर्दिष्ट पोर्ट से निर्यात करने पर छूट के लिए योग्य बनाने के लिए परिशिष्ट 3डी में सूचीबद्ध सेवाओं को अनुमत करती है, की शर्तों को पूरा नहीं किया।

इस प्रकार, दिनांक 8 अप्रैल 2015 की अधिसूचना की शर्तें एसईआईएस प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं। यद्यपि, ऐसी सेवाओं से संबंधित 33 स्क्रिप्स जवाहरलाल नेहरू सीमा शुल्क भवन (जेएनसीएच) मुंबई में पंजीकृत किये गये हैं और आयात ड्यूटी के भुगतान के लिए उपयोग किये गये हैं **(विवरण 26)**।

डीओआर ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2019) कि सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 25/2015 दिनांक 8 अप्रैल 2015 एसईआईएस प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी और वे विसंगति समाप्त करने में प्रक्रियारत थे।

3.8 डीजीएफटी और आरबीआई को समान सेवाओं की अलग-अलग उद्घोषणा

लेखापरीक्षा ने डीसी, कोचिन एसईजेड-कोची, सीप्ज -मुंबई और एसईजेड-कांडला में फाईल किये गये तीन आवेदनों का अवलोकन किया कि निर्यातकों ने परिशिष्ट 3डी के अनुसार अभियांत्रिकी सेवाओं (सीपीसी कोड 8672) के रूप में अपनी सेवाओं की घोषणा की। सॉफ्टैक्स रिटर्न[19] द्वारा आरबीआई को फाईल किये गये विदेशी विनिमय अर्जन की उद्घोषणा में समान सेवा को सॉफ्टवेयर विकास और अलग-अलग क्रमश: कोड 907 और 908 के अंतर्गत अन्य सॉफ्टवेयर के रूप में घोषित किया था। इस प्रकार, एक प्राधिकरण (डीजीएफटी) को, सेवाएं तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाओं/अभियांत्रिकी सेवाओं के रूप में तथा दूसरे प्राधिकरण (आरबीआई) को, यही सेवाएं सॉफ्टवेयर विकास के रूप में वर्गीकृत की गई थी।

एसईजेड इकाईयों के प्रशासक के रूप में डीसी के पास निर्दिष्ट प्राधिकृत संचालनों के लिए अनुमोदन पत्र जारी करने के प्राधिकार हैं। ये संचालन सामान्यत: सॉफ्टैक्स रिटर्न में घोषित किये जाते हैं। डीसी एसईआईएस के अंतर्गत उनके निर्यात के लिए

[19] विदेशी विनिमय प्रबंधन (वस्तु एवं सेवा का निर्यात) विनियम 2000 के विनियम 3 और 6 के अनुसार,

रिवार्ड अनुमत करने के लिए भी प्राधिकृत है। समान निर्यात के लिए समान निर्यातक से सेवाओं की प्रकृति की अलग-अलग घोषणाएं स्क्रिप्स जारी करने से पहले डीसी कार्यालयों द्वारा जांची जा सकती थी।

इसके अतिरिक्त, समान सेवा और विक्रेताओं के लिए मौजूद विभिन्न वर्गीकरण कोड समान सेवाओं के लिए अलग-अलग प्राधिकरणों के लिए अलग-अलग कोड विद्धमान हैं।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि निदेशालय जीएसटी सेवा लेखांकन कोड (एसएसी) के अनुसार कोड को अधिसूचित करेगा, ताकि वर्ष 2020-21 से फर्म स्तर पर विभिन्न प्राधिकरणों की सेवा श्रेणियों की रिपोर्ट करते समय एक अंतर्निहित नियंत्रण होंगा और प्रक्रियाओं तथा नीति पैराग्राफों के अनुसार उपयुक्त उपाय शामिल किये जाएंगे।

3.9 एसईआईएस दावों के प्रसंस्करण में एक समान प्रक्रिया का अभाव

एचबीपी की टिप्पणी 3.04 (सी) के अनुसार, "आरए संवीक्षा के बाद ऑनलाईन प्राप्त आवेदन को प्रसंस्कृत करेगा"। यद्यपि, यह अवलोकन किया गया था कि एसईआईएस स्वीकृति से पहले संवीक्षा के भाग के रूप में अपनाये गये नियंत्रण के संबंध में आरए को डीजीएफटी द्वारा कोई दिशा-निर्देश नहीं दिये गये थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि आरए या डीसी कार्यालयों से एसईआईएस दावों के प्रसंस्करण के लिए प्रक्रिया में कोई समानता नहीं थी। उदाहरणतः, पांच आरए (मुंबई, कोलकाता, पूणे, अहमदाबाद, कोच्ची) में, आवेदन नमूना चालान, एफआईआरसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) प्रमाण-पत्र आदि के सत्यापन के आधार पर प्रसंस्कृत किये गये थे। दो डीसी कार्यालयों (कोचिन एसईजेड-कोची और सीप्ज-मुंबई) में, एसईआईएस दावे एसईआईएस दावे के सटीकता और ग्राहयता के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के प्रमाण-पत्र पर पूर्णतः निर्भर रहते हुए बिना किसी क्रॉस वेरिफिकेशन के स्वीकृति प्रदान की जा रही थी।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि सीए प्रमाण-पत्र वह दस्तावेज था जिसके आधार पर वर्तमान में दावे प्रसंस्कृत किये जा रहे थे और किसी विशिष्ट मामले के विशेष परिदृश्य के आधार पर जिनमें सेवा का वर्गीकरण सही नहीं था, में आरए द्वारा

अतिरिक्त दस्तावेज की मांग की जा रही थी। यह कहा गया कि ऐसा गलत वर्गीकरण पर या किसी अयोग्य श्रेणी हेतु दावे की अनुमति रोकने के लिए किया जा रहा था। विशेष दिशा-निर्देशों के अभाव में, स्क्रिप्स जारी करने से पहले अपनाई गई अपेक्षित संवीक्षा के संबंध में आरए द्वारा अलग-अलग पद्धतियां अपनाई जा रही थी।

निगरानी और मूल्यांकन:

3.10 योजना का निगरानी तंत्र

यह अनिवार्य है कि प्रमुख योजना जैसे एमआईएस/एसईआईएस के लिए, निर्धारित निष्पादन मानदंड पर आरए के निष्पादन की आवधिक निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए कि योजना को डिजाईन के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है। लेखापरीक्षा (जनवरी 2019) द्वारा निरीक्षण/निगरानी तंत्र के विवरण तथा संबंधित फाईलें मांगी गई जो डीजीएफटी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा को डीजीएफटी द्वारा आरए के निष्पादन पर प्रणालीबद्ध नियंत्रण के प्रमाण नहीं मिले।

डीजीएफटी ने सूचित किया (मार्च 2020) कि जनवरी 2017 से, एमईआईएस/एसईआईएस आवेदनों के प्रसंस्करण में विलंब की निगरानी जैस्पर रिपोर्टिंग मोड्यूल द्वारा की जा रही थी और आरएमएस भी पूर्णत: क्रियाशील था तथा आरए को विलंबित कार्य को निपटाने को कहा गया था।

डीजीएफटी का उत्तर केवल 2017 से दावों के विलंबन की निगरानी से संबंधित था और आरए के योजना कार्यान्वयन तथा समग्र निष्पादन की निगरानी पर मौन था।

3.11 योजनाओं का मूल्यांकन

एमईआईएस/एसईआईएस योजनाएं, सरकार के निहितार्थ महत्वपूर्ण राजस्व छुट के साथ एफटीपी 2015-20 के अंतर्गत मुख्य व्यापार सुगम योजनाएं हैं। योजना के आवधिक मूल्यांकन से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि योजना के उद्देश्य पूरे हो गये हैं और किसी त्रुटि के मामले में मध्य अवधि सुधार भी कर दिया जाए।

यह अवलोकन किया गया कि लक्ष्यों की प्राप्ति के रूप में योजना का निष्पादन डीजीएफटी द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था (फरवरी 2019)।

लेखापरीक्षा ने जानकारी प्राप्त (जनवरी 2019) कि क्या एमईआईएस और एसईआईएस योजनाओं हेतु कोई विशेष लक्ष्य/ध्येय निर्धारित किये गये थे और यदि निर्धारित किये गये थे तो क्या उनका मूल्यांकन किया गया था। डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2019) कि संभव नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले से ही किये गये निर्यात पर आधारित प्रोत्साहन प्रदान किये और वे निर्यात प्राप्ति के लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, निर्यात वृद्धि बहुल-कारक मामला था और यह केवल एमईआईएस पर निर्भर नहीं था। डीजीएफटी ने कहा कि निर्यात अंतर्राष्ट्रीय कारकों जैसे वैश्विक मांग, मुंद्रा अस्थिरता, निर्यात के मौसमीपन की भिन्नता पर आधारित थे और इस प्रकार, कोई कारण-प्रभाव विश्लेषण नहीं किया गया। एमईआईएस लाभ हेतु एक बार शामिल किये गये उत्पाद स्थायी व्यवस्था हेतु एक निश्चित अवधि तक शामिल रहेंगे। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा योजनाओं पर एक अध्ययन, प्रगति पर है और अन्य कोई अध्ययन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्यात वृद्धि बहुल-कारक मामला है और केवल व्यापार सुविधा योजना पर आधारित नहीं थी। इसके साथ-साथ ही यह भी चिंता का विषय है कि ऐसी मुख्य योजनाएं (₹ 25,000 करोड़ से अधिक वार्षिक राजस्व छूट के आंकडें के साथ) बिना किसी निष्पादन मैट्रिक्स के कार्यान्वित की जा रही हैं।

वाणिज्य विभाग द्वारा किये गये एफटीपी के मध्य-अवधि समीक्षा, सेवा क्षेत्र निर्यात पर एसईआईएस के प्रभाव पर मौन थी। एसईआईएस में जोडी गई नई विशेषताएं जैसे प्रोत्साहन विस्तार 'भारतीय सेवा निर्यातक' के सापेक्ष 'भारत में स्थित सेवा प्रदाताओं' सभी के लिए; सेवा के स्वरूप मोड-1 और मोड-2 के रिवार्ड पर प्रतिबंध, का मूल्यांकन नही किया और नहीं टिप्पणी की गई थी। ड्यूटी छुट, -क्षेत्रवार सेवाओं और सेवा निर्यात में क्षेत्रीय वृद्धि पर इसके प्रभाव की कोई आवधिक समीक्षा नहीं थी। एसएफआईएस के पूर्व संस्करण से एसईआईएस के विचलन के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए भारत में स्थित विदेश सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राप्त किये गये रिवार्ड और भारतीय सेवा निर्यातकों द्वारा प्राप्त किये गये रिवार्ड पर मध्य-अवधि समीक्षा मौन थी।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि नीति आयोग ने एमईआईएस योजना की समीक्षा की तथा एसईआईएस के लिए निगरानी समिति बैठकों में नियमित रूप से राजस्व छुट की निगरानी की गई थी।

सेवा क्षेत्र निर्यात पर एसईआईएस के प्रभाव के गैर-मूल्यांकन और डीजीएफटी द्वारा योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा में इसके पहले के एसएफआईएस संस्करण की तुलना में एसईआईएस में लाये गये प्रावधानों के प्रभाव के बारे में उत्तर मौन था।

3.12 शिकायत निवारण तंत्र

एमईआईएस और एसईआईएस के लिए आवेदकों की शिकायत के निवारण के लिए उपलब्ध प्रावधान/मोडस् की लेखापरीक्षा में जांच की गई थी। यह देखा गया था कि आनलाईन मोड्यूल में एमईआईएस और एसईआईएस के लिए विशेष शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। लेखापरीक्षा जांच में, डीजीएफटी ने सूचित किया कि आवेदक (i) ई-मेल (ii) केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण तथा निगरानी तंत्र (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल और (iii) Contact@DGFT द्वारा शिकायत का निवारण करा सकते हैं। हालांकि पहले दो, सरकार में सामान्य शिकायत निवारण तंत्र थे, Contact@DGFT सर्विस सभी विदेश व्यापार संबंधी मामलों के लिए सिंगल प्वाईंट कॉन्टैक्ट के रूप में 6 सितंबर 2017 को लागू की गई थी। आयातक/निर्यातक या तो प्रत्यक्ष रूप से डीजीएफटी (मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय) द्वारा या केंद्र या राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों द्वारा विदेश व्यापार संबंधित मामलों का हल निर्दिष्ट ईमेल या टॉल फ्री नंबर का से प्रयोग करके करा सकता था।

यह देखा गया था कि एमईआईएस और एसईआईएस के संबंध में वित्तीय वर्ष 16 से वित्तीय वर्ष 17 की अवधि के दौरान कुल सुलझायी गई शिकायतों और शिकायतों के मामलों की कुल संख्या के संबंध में विवरण डीजीएफटी द्वारा अनुरक्षित नहीं किये गये थे। वित्तीय वर्ष 18 के लिए केवल Contact@DGFT के संबंध में विवरण लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 5: शिकायत निवारण

	प्राप्त शिकायतों के मामलों की कुल संख्या	5 दिनों में सुलझाये गये मामले	मार्च 2018 तक लंबित मामलों की संख्या
एमईआईएस/एसईआईएस-अध्याय. 3	868	815	53
एमईआईएस आवेदन-ईडीआई	3189	3023	166
एसईआईएस आवेदन-ईडीआई	182	133	49

लेखापरीक्षा द्वारा Contact@DGFT के अंतर्गत मामलों के लंबित होने के कारणों को अभी तक भी प्रस्तुत नहीं (जनवरी 2019) किया गया। Contact@DGFT की अपेक्षा अन्य माध्यमों द्वारा शिकायतों के विवरण तथा उन शिकायतों की स्थिति भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

सभी प्रासंगिक रिकार्ड/डेटा के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं थी कि क्या निर्यातकों की शिकायत समय पर उचित ढंग से सुलझाई गई थी।

<u>निष्कर्ष</u>

एमईआईएस स्क्रिप्स के जारी करने में काफी विलंब मैन्यूल इंटरवेंशन वाले अपूर्ण प्रणाली चालित नियंत्रण के कारण थे। एमईआईएस स्क्रिप्स के जारी करने के लिए अपेक्षित नियंत्रणों की सीमा के बारे में क्षेत्र स्तर के आरए को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिये गये थे। आरए ने विभिन्न मामलों की जांच की। प्रणाली चालित अनुमोदन तंत्र होने के बावजूद, आरए लेट कट की सटीकता जैसे मामलों की जांच कर रहे थे। आईटी प्रणाली द्वारा अंकगणितीय रूप से सटीक गणना का मैन्यूल सत्यापन आवश्यक था चूंकि प्रणाली को उचित ढंग से प्रोग्राम नहीं किया गया था जैसा कि अध्याय 2 में बताया गया है। ऐसी त्रुटिपूर्ण इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली के मद्देनजर, यह समझना कठिन नहीं था कि आरए नियंत्रण क्यों रख रहा था जो कि आईटी प्रणाली द्वारा चालित होने चाहिये थे।

नमूना जांच से एमईआईएस में प्रणालीगत नियंत्रण की असफलता का भी पता चला जिसके कारण रिवार्ड की गलत अनुमति दी गई यद्यपि शिपिंग बिलों में रिवार्ड दावे के आशय की उद्घोषणा नहीं थी/अनुपलब्ध थी, हस्तशिल्प उत्पादों को लागू उच्चतर दरों की अनुमति दी गई और स्क्रिप्स के गलत उपयोग हुआ ।

एसईआईएस विभिन्न आरए द्वारा दावों के प्रसंस्करण में अर्द्ध-स्वचालन और समानता की कमी से ग्रसित थे। निर्यातकों ने गलत वर्गीकृत सेवाओं के मामले में रिवार्ड प्राप्त किये यद्यपि प्राप्त की गई वास्तविक सेवाएं परिशिष्ट 3डी में विनिर्दिष्ट नहीं की गई थीं और सीए प्रमाण-पत्रों पर निर्भरता रखते हुए 37 मामलों में 7 आरए द्वारा इन सेवाओं के संबंध में ₹ 172.72 करोड़ राशि के लाभ अनुमत किये थे। स्वयं-उद्घोषणा और सीए प्रमाण-पत्र एसईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड की अनुमति के लिए सेवाओं और प्रेषण की योग्यता के बारे में विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अपर्याप्त थे। हालांकि, विभाग रिवार्ड अनुमत करने के लिए इन उद्घोषणाओं और सीए प्रमाण-पत्रों पर अत्यधिक निर्भर रहा। आरए योग्य (मोड 1 और 2) तथा अयोग्य (मोड 3 और 4) सेवाओं के बीच अंतर करने तथा विभाजित करने तथा अयोग्य सेवाओं के लिए रिवार्ड मना करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में 13 सेवा प्रदाताओं को ₹ 57.52 करोड़ का अधिक रिवार्ड दिया गया। गलत स्वयं उद्घोषणा तथा सीए प्रमाण-पत्रों के कारण 62 मामलों में ₹ 40.47 करोड़ राशि के दावों में त्रुटियां देखी गई थीं। आरए और सिस्टम द्वारा अपूर्ण नियंत्रण के कारण 34 मामलों में ₹ 13.02 करोड़ राशि के अधिक रिवार्ड जारी किये गये, ऐसा देखा गया।

पोर्ट सेवाओं के लिए एसईआईएस प्रावधानों में स्पष्टता की कमी थी जैसे वास्तविक सेवा प्रदाता लाभ कैसे प्राप्त करेगें जबकि वे प्रत्यक्ष रूप से विदेशी उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान नहीं कर रहे थे।

एसईआईएस स्क्रिप्स के सापेक्ष आयातित माल के लिए आयात ड्यूटी की छूट अनुमत करने के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना (2015 की 16 दिनांक 1 अप्रैल 2015) में विनिर्दिष्ट पोर्ट द्वारा निर्यात प्रभावित करने वाली शर्त एसईआईएस प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

निर्यातकों ने के लिए सॉफ्टैक्स रिटर्न में सेवाओं की अलग-अलग प्रकृति की घोषणा की और उसी निर्यात के लिए एसईआईएस दावे किए। स्क्रिप्स के जारी करने से पहले डीसी कार्यालयों द्वारा इसकी जांच की सकती थी परंतु ऐसा नहीं किया गया।

एसईआईएस संस्वीकृति से पूर्व संवीक्षा के रूप में की जाने वाली जांच के संबंध में आरए को डीजीएफटी द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये थे और आरए या डीसी

कार्यालयों में एसईआईएस दावों के प्रसंस्करण के लिए अपनाये जाने वाली प्रक्रिया में कोई समानता नहीं थी।

एसईजेड इकाईयों के संबंध में काफी अधिक खामियां थी, जो कि पहली बार निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत लाई गई थी तथा स्क्रिप्स उचित संवीक्षा के बिना प्रसंस्कृत किये गये थे।

लेखापरीक्षा को डीजीएफटी द्वारा आरए के निष्पादन पर प्रणालीबद्ध निगरानी के प्रमाण नहीं मिले। डीजीएफटी ने कहा कि एमईआईएस/एसईआईएस आवेदनों के प्रसस्करण में विलंब की निगरानी जैस्पर रिपोर्टिंग मोड्यूल द्वारा की गई थी। हालांकि, आरए की योजना कार्यान्वयन और समग्र निष्पादन की कोई निगरानी नहीं की गई थी। योजना का आवधिक मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि योजना के उद्देश्य प्राप्त कर लिये गये और किन्हीं खामियों के मामले में मध्य-अवधि सुधार भी किये गये थे। एफटीपी की वाणिज्य विभाग द्वारा की गई मध्यावधि समीक्षा सेवा क्षेत्र निर्यात पर एसईआईएस के प्रभाव पर मौन थी। डीजीएफटी द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में योजना के निष्पादन का आकलन नहीं किया गया था।

यह प्रमाणित करने का कोई अभिलेख नहीं मिला कि एसईआईएस/एसईआईएस के ऑनलाईन मोड्यूल में मौजूद शिकायत निवारण तंत्र था और कि एमईआईएस/एसईआईएस शिकायतों का कोई विलंबन विश्लेषण अभी तक डीजीएफटी द्वारा किया गया था।

<u>सिफारिशें</u>

हम सिफारिश करते हैं कि

4. **अध्याय 3 में रिपोर्ट किये गये अधिक प्रोत्साहन की अनुमति पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष वर्तमान मैन्यूल सत्यापन के मद्देनजर यादरेच्छिक सैंपलिंग का उपयोग करते हुए नमूनाकृत मामलों पर की गई नमूना जांच पर आधारित थे। यह संभावना है कि अन्य मामलों में ऐसी भूल और चूक जैसी त्रुटियां हो सकती हैं। विभाग अध्याय 3 में रिपोर्ट किये गये लेखापरीक्षा परिणामों के अनुसार भी शेष संव्यवहारों की जाचं कर सकता है।**

5. हैंडलूम श्रेणी के अंतर्गत पॉवरलूम उत्पादों के गलत-वर्गीकरण की आशंका से बचने के लिए, पावरलूम और हैंडलूम प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्टत: निर्दिष्ट किया जा सकता है।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि माल के वर्गीकरण को सीमा शुल्क पोर्ट पर जांच किये जाने की आवश्यकता थी। ऑनलाईन प्रणाली केवल एचएस कोड की पहचान कर सकता है और किसी मद के गलत वर्गीकरण की व्याख्या हेतु मद विवरण को नहीं पढ़ा जा सकता। आरए को जहां भी आवश्यकता हो, वसूली कार्रवाई आरंभ करने के लिए सूचित किया जायेगा।

6. योग्य सेवाओं पर अस्पष्टता से बचने के लिए और अधिक स्पष्टता लाने के लिए, डीजीएफटी केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण (सीपीसी) कोड और मोड, जिसके अंतर्गत यह आते हैं; योग्य सेवा की सूची की केवल क्रम संख्या बताने की अपेक्षा, सेवा के उचित वर्गीकरण के लिए सीए प्रमाण-पत्र पर विचार कर सकते हैं। उन आवेदक की उद्घोषणा और सीए प्रमाण-पत्रों में पाई गई कमियों पर योजना लाभ और दंडात्मक प्रावधानों के लिए उपलब्ध कोड और मोड के संबंध में उचित स्पष्टता प्रणाली में लाई जा सकती है। सीए का उत्तरदायित्व भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और उनके स्तर पर विफल होने पर उपयुक्त प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए।

डीजीएफटी, ने सिफारिश को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2020) कि यदि एसईआईएस जारी रहा तो, इसे अगले एफटीपी में लागू किया जाऐगा। कुछ मामलों में, जहां भी सीए गलत- वर्गीकरण के आधार पर गलत-घोषणा/प्रमाण देते पाये गये क्षेत्रीय प्राधिकरण हैं उन्हें विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम,1992 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

किसी ऐसी योजना जहां सीए प्रमाण-पत्रों पर निर्भरता है, वहीं इस सिफारिश पर विचार किया जा सकता है ।

7. डीजीएफटी एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने से पहले अपेक्षित आधारभूत नियंत्रण के बारे में आरए को स्पष्ट निर्देश जारी कर सकता है। आवेदक की उद्घोषणाओं और सीए प्रमाण-पत्रों में पाई गई कमियों पर दंडात्मक प्रावधान लागू करना अनिवार्य किया जा सकता है।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि यदि एसईआईएस जारी रहता है तो अगले एफटीपी में इस सिफारिश को कार्यान्वित करने की जांच की जाएगी।किसी ऐसी योजना जहां सीए प्रमाणपत्रों पर निर्भरता है, वहीं इस सिफारिश पर विचार किया जा सकता है।

8. डीजीएफटी को चार प्रकार की सेवाओं के विभाजन पर नीति तथा प्रकियाओं में स्पष्टता लानी चाहिए। सेवाओं के वर्गीकरण पर आवेदक के उद्घोषणा और सीए प्रमाण-पत्रों को सेवाओं के अंतर को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जानी चाहिए।

सिफारिश को स्वीकार करते हुए डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि एएनएफ 3 बी, एक प्रविष्टि जोड़ने के लिए संशोधित किया जाएगा जिसमें सीए प्रमाणित कर सकेगा कि एसईआईएस के तहत दावा की जाने वाली सेवाएं मोड 1 और मोड 2 के तहत विशेष रूप से सेवा की प्रत्येक श्रेणी के लिए दावा की जाएंगी।

9. डीजीएफटी पोर्ट सेवाओं के संबंध में तंत्र तैयार कर सकता है ताकि वास्तविक सेवा प्रदाताओं के रिवार्ड अनुमत करने के प्रयोजन को सेवाओं के संयोजकों के दावों के सापेक्ष सुरक्षित हो और सीमा शुल्क अधिसूचना में छूट की शर्तें एसईआईएस योजना के प्रावधानों के साथ समक्रमिक की जा सके।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि सेवा पोर्ट पर प्राप्त की गई थी परंतु क्योंकि यह विदेशी यात्री-पोत के लिए थी, यह श्रेणी मोड 2 में आएगी और ऐसी सेवाओं हेतु रूपये भुगतान रिवार्ड के लिए योग्य थे।

उत्तर, सिफारिश के रूप में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामले से संबंधित नहीं था जो कि सेवा प्रदाताओं और संयोजकों के कारण रिवार्ड के बीच अंतर रखने के लिए तंत्र के बारे में थी।

10. विभिन्न एजेंसियों *(डीजीएफटी, आरबीआई, सीमा शुल्क आदि)* द्वारा सेवाओं का वर्गीकरण, जो कि सीपीसी कोड पर आधारित है; किसी दुरूपयोग से बचने के लिए यूएनएसडी के केंद्रीय उत्पाद वर्गीकृत (सीपीसी) कोड के साथ संरेखित किये जाने की आवश्यकता है।

सिफारिश को स्वीकार करते हुए, डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि यदि एसईआईएस लागू रहता है तो जीएसटी एसएसी कोड के साथ संरेखित करके इसे अगले एफटीपी में लागू किया जायेगा।

11. एक तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया जाना चाहिए कि समान निर्यात हेतु विभिन्न प्राधिकरण (डीजीएफटी, आरबीआई, सीमा शुल्क आदि) को सेवा प्रदाताओं द्वारा रिपोर्ट करते हुए सेवा के वर्गीकरण की वैधता की पुष्टि, क्षेत्राधिकार विकास आयुक्त करता है।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि बहुल संगठन जोकि सेवा की समान प्रकार हेतु अलग-अलग रिपोर्टिंग प्रारूप का उपयोग करते हैं, से सेवाओं की रिपोर्टिंग का सत्यापन योजना को गैर-कार्यान्वयन योग्य बना देगा। लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग प्रारूप के संदर्भ में नहीं थी परन्तु विभिन्न एजेसियों को रिपोर्ट किये गये वर्गीकरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र से संबंधित थी। विभाग को विभिन्न एजेंसियों को समान सेवाओं की रिपोर्टिंग हेतु प्रयुक्त वर्गीकरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए आसान तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में इंगित किये गये मामले एसईजेड से संबंधित है जहां पर क्षेत्राधिकार विकास आयुक्त एसईआईएस अनुमत करने के लिए प्राधिकारी थे और एसईजेड का प्रशासनिक नियंत्रण भी रखते थे है। इस प्रकार, समान सेवाओं हेतु विभिन्न वर्गीकरण की रिपोर्टिंग की नमूना जांच के आधार पर कम से कम एक जांच की जा सकती है।

12. आरए को सॉफ्टैक्स फॉर्म पर जोर देना चाहिए जो डेटा लिंक्स द्वारा सेवाओं की आपूर्ति विदेशी विनिमय प्रबंधन (माल और सेवाओं का निर्यात) नियामक 2000 के अंतर्गत एक अनिवार्य उद्घोषणा थी, उन मामलों में जहॉ मोड-1 श्रेणी के अंतर्गत सेवाएं वर्गीकृत/उद्घोषित की गई थी।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि सॉफ्टैक्स फार्म की आवश्यकता के परामर्श पर विचार किया जाएगा, हालांकि, यह योजना हेतु दस्तावेज आवश्यकताओं को बढ़ा देगा और यह एक अंतर्वेधी उपाय होगा, क्योंकि आरबीआई से भी सॉफ्टैक्स की पुष्टि करने की गुंजाईश हो सकती है।

सॉफ्टैक्स, डेटा लिंक के माध्यम से प्राप्त की गई मोड 1 प्रकार की सेवाओं में विदेश विनिमय प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) के अंतर्गत पहले ही अनिवार्य की गई है। इन फार्म को एक्सेस देने की आरए की सिफारिश सॉफ्टवेयर और संबंधित सेवाओं में मोड-1 सेवाओं के लिए अतिरिक्त पुष्टि प्रदान करेगा जो एसईजेड और एसटीपीई इकाईयों द्वारा पहले ही अपनाया जा रहा है।

13. व्यापार आसान करने के लिए, हमने सिफारिश की कि डीजीएफटी शिकायत निवारण के लिए एक अंतनिर्हित प्रणाली पर विचार कर सकती है। योजना को सुधारने के लिए उक्त के विश्लेषण को फीडबैक तंत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे मानदंडों जैसे दावों के प्रसंस्करण में लिया गया समय, आरएमएस संवीक्षा आदि, पर योजना कार्यान्वयन में आरए के निष्पादन के आकंलन के लिए योजना की निगरानी की जा सकती थी।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस योजना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के बैकबोन का पुनजीर्वित करना प्रक्रियाधीन था और कुछ मामलों जैसे दावों के प्रसंस्करण में लिया गया समय, आरएमएस आदि को निपटाने के लिए निगरानी डेशबोर्ड का निर्माण किया जा रहा था। उन्होंने सूचित किया कि डीजीएफटी मुख्यालय में जैस्पर प्रणाली द्वारा वर्तमान में एमईआईएस और एसईआईएस दावों के लंबन की निगरानी की जा रही थी।

लेखापरीक्षा ऐसे पुन: अभियांत्रिकीपूर्ण सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म लाने के डीजीएफटी के प्रयास की सराहना करती है हालांकि अंतनिर्हित मात्रात्मक मैट्रिक्स, डैशबोर्ड आदि के साथ ऐसे सॉफ्टवेयर को व्यापक विशेषताओं के साथ विकसित किया जाना चाहिए था ताकि डीजीएफटी द्वारा मौजूदा सभी और आने वाली परिकल्पित योजनाओं के लिए उपयोगी हो सके। ऐसा समाधान लागत प्रभावी नहीं होगा बल्कि सामान्य मानदंडों के प्रति सभी संबंधित योजनाओं के मूल्यांकन/तूलना हेतु आधार भी प्रदान करेगा।

14. हम सिफारिश करते है कि डीजीएफटी योजना के मुख्य उद्देश्यों को प्रस्तुत करने वाली ऐसी किसी भी योजना की उपलब्धियों के मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन आरंभ करने पर विचार कर सकता है।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि चूंकि एफटीपी 2015-20 का 31 मार्च 2020 से बंद होना अपेक्षित था, इसका मध्यावधि मूल्यांकन शायद संभव नहीं होगा।

लेखापरीक्षा की सिफारिशें सामान्य थीं क्योंकि योजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता था कि इनके इच्छित उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा था और किन्हीं भी कमियों के मामले में मध्यवार सुधार किया जा सकता था।

नई दिल्ली
दिनांक: 13 जुलाई 2020

(संदीप लाल)
महानिदेशक (सीमा शुल्क)

अधोहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 15 जुलाई 2020

(राजीव महर्षि)
(भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक)

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1 (संदर्भ पैराग्राफ 1.3.2)

सीमा-शुल्क के विभिन्न अध्यायों के तहत किए गए कुल निर्यातों के लिए एमईआईएस के तहत निर्यात के प्रतिशत का दावा किया गया

पहले दो अंकों को शामिल करने वाली सीटीएच के तहत धारा	विवरण	कुल निर्यात (₹ करोड़ में) वित्त17	कुलनिर्यात (₹ करोड़ में) वित्त 18	एमईआईएस के तहत निर्यात का दावा (₹ करोड़ में) वित्त 17	एमईआईएस के तहत निर्यात का दावा (₹ करोड़ में) वित्त18	एमईआईएस के तहत निर्यात का % दावा वित्त 17	एमईआईएस के तहत निर्यात का % दावा वित्त 18	क्या परिशिष्ट 3 बी (हा/नही) के तहत शामिल किया गया है
XII (सीटीएच 64-67)	जूते टोपी छाते सूरज की छतरियां चलने की छड़ियां सीटों के लाठी चाबुक घुडसवारी फसलों और उसके हिस्सों को पंख और सामग्री ने तैयार किया जिसमें मानव बाल के कृत्रिम फूलों के सामग्री बने	20516.81	19995.43	17379.56	18757.51	84.71	93.81	हाँ
VIII (सीटीएच 41-43)	कच्ची खाल और खाल चमड़ा फर खाल और सामग्री उसके काठी और सामग्री यात्रा का सामान हैंडबैग और इसी तरह के कंटेनर पशु आंत की सामग्री (रेशम-कृमि आंत के अतिरिक्त)	21752.09	21345.14	16659.4	19669.33	76.59	92.15	हाँ
XV (सीटीएच 72-83)	आधार धातु और आधार धातु की सामग्री	152251.19	187657.36	86800.73	164628	57.01	87.73	हाँ
VI (सीटीएच 28-38)	रासायनिक या संबद्ध उद्योगों के उत्पाद	230208.34	254876.05	173586.9	211202.1	75.4	82.86	हाँ
XX (सीटीएच 94-96)	विविध निर्मित सामग्री	14493.68	15178.92	10268.57	12483.78	70.85	82.24	हाँ

पहले दो अंकों को शामिल करने वाली सीटीएच के तहत धारा	विवरण	कुल निर्यात (₹ करोड़ में) विव17	कुलनिर्यात (₹ करोड़ में) विव 18	एमईआईएस के तहत निर्यात का दावा (₹ करोड़ में) विव 17	एमईआईएस के तहत निर्यात का दावा (₹ करोड़ में) विव18	एमईआईएस के तहत निर्यात का % दावा विव 17	एमईआईएस के तहत निर्यात का % दावा विव 18	क्या परिशिष्ट 3 बी (हा/नही) के तहत शामिल किया गया है
XVII (सीटीएच 86-89)	वाहन विमान जहाज और संबंधित परिवहन उपकरण	154726.97	147906.14	89904.48	105494.6	58.11	71.33	हाँ
X (सीटीएच 47-49)	लकड़ी की लुगदी या बरामद अन्य रेशेदार सेल्यूलोसी सामग्री (अपशिष्ट और स्क्रैप) कागज या पेपरबोर्ड कागज और पेपरबोर्ड और उसके सामग्री	9814.03	10974.04	5464.607	7761.309	55.68	70.72	हाँ , सीटीएच47 के अतिरिक्त
XI (सीटीएच 50-63)	वस्त्र और वस्त्रो की सामग्री	244664.06	236813.65	122786.1	159155.1	50.19	67.21	हाँ
I (सीटीएच 01-05)	जीव जंतु पशु उत्पाद	66985.45	74656.54	32521.64	46052.21	48.55	61.69	हाँ
IV (सीटीएच 16-24)	तैयार खाद्य सामग्री पेय पदार्थ स्पिरिट और सिरका तंबाकू और तंबाकू निर्मित पदार्थ	40310.26	40012.95	17324.17	24136.47	42.98	60.32	हाँ , सीटीएच24 (तंबाकू)
IX (44-46)	लकड़ी और लकड़ी की सामग्री लकड़ी का कोयला कॉर्क और कॉर्क की सामग्री एस्पार्टो के पुआल का विनिर्माण या अन्य व्यावर्तन सामग्री बास्केटवेयर और विकरवर्क	2780	2765.86	1559.34	1641.463	56.09	59.35	हाँ

पहले दो अंकों को शामिल करने वाली सीटीएच के तहत धारा	विवरण	कुल निर्यात (₹ करोड़ में) विव17	कुलनिर्यात (₹ करोड़ में) विव 18	एमईआईएस के तहत निर्यात का दावा (₹ करोड़ में) विव 17	एमईआईएस के तहत निर्यात का दावा (₹ करोड़ में) विव18	एमईआईएस के तहत निर्यात का % दावा विव 17	एमईआईएस के तहत निर्यात का % दावा विव 18	क्या परिशिष्ट 3 बी (हा/नही) के तहत शामिल किया गया है
XVIII (सीटीएच 90-92)	ऑप्टिकल फोटोग्राफिक सिनेमैटोग्राफिक मापने जांचने शुद्धता चिकित्सा या सर्जिकल उपकरण और तंत्र घड़ियों और घड़ियों संगीत वाद्ययंत्र भाग और उसके सामान	18733.5	19946.38	6820.256	11775.76	36.41	59.04	हाँ
VII (सीटीएच 39-40)	प्लास्टिक और उसकी सामग्री रबर और उसकी सामग्री	52220.23	60019.05	26423.55	35289.23	50.6	58.8	हाँ
XVI (सीटीएच 84-85)	मशीनरी और यांत्रिक उपकरण विद्युत उपकरण और उसके पुर्जों ध्वनि रिकार्डर और पुन: पेश करने वाले टेलीविजन छवि और ध्वनि रिकॉर्डर और पुन: पेश करने वाले और ऐसे सामग्री के कुछ भाग और सहायक उपकरण	149706.81	175300.61	59640.15	96352.13	39.84	54.96	हाँ
XIII (सीटीएच 68-70)	पत्थर की सामग्री प्लास्टर सीमेंट अदह अभ्रक या इसी तरह की सामग्री सिरेमिक उत्पाद कांच और कांच के बने पदार्थ	20822.42	21945.32	8224.249	9703.622	39.5	44.22	हाँ
II (सीटीएच 06-14)	वनस्पति उत्पाद	102209.97	113907.22	37181.33	43785.57	36.38	38.44	हाँ

पहले दो अंकों को शामिल करने वाली सीटीएच के तहत धारा	विवरण	कुल निर्यात (₹ करोड़ में) विव17	कुलनिर्यात (₹ करोड़ में) विव 18	एमईआईएस के तहत निर्यात का दावा (₹ करोड़ में) विव 17	एमईआईएस के तहत निर्यात का दावा (₹ करोड़ में) विव18	एमईआईएस के तहत निर्यात का % दावा विव 17	एमईआईएस के तहत निर्यात का % दावा विव 18	क्या परिशिष्ट 3 बी (हा/नही) के तहत शामिल किया गया है
XXI	संग्रहकर्ताओं की कलाकृतियाँ टुकड़े और प्राचीन वस्तुएँ	2524.85	1168.87	83.66649	153.2737	3.31	13.11	हाँ
XIX (सीटीएच 93)	हथियार और गोला बारूद और सामान	694.15	637.59	26.59567	66.33586	3.83	10.4	हाँ
III (सीटीएच 15)	पशु या वनस्पति वसा और तेल और उनके विदलन उत्पादों द्वारा तैयार खाद्य वसा पशु या वनस्पति मोम	5983.57	8146.91	57.18372	232.8161	0.96	2.86	केवल 03 उत्पाद
XIV (सीटीएच 71)	प्राकृतिक या परिष्कृत मोती कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर कीमती धातुओं कीमती धातु के साथ पहने और सामग्री उसके नकली आभूषण का सिक्का	292313.53	269115.51	845.8011	915.0153	0.29	0.34	हाँ, नकली आभूषण के अतिरक्त

परिशिष्ट 2 (संदर्भ पैराग्राफ 1.5)						
अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2018 की अवधि के लिए एमईआईएस / एसईआईएस स्क्रिप और मूल्य का विवरण						
वर्ष	पैन इंडिया		चयनित इकाईयां		% क्षेत्र	
	स्क्रिप	मूल्य करोड़ों में	स्क्रिप	मूल्य करोड़ों में	संख्यानुसार	मूल्यानुसार
एमईआईएस						
2015-16	31375	4104	28546	3779	90.98	92.08
2016-17	159446	18117	148017	17189	92.83	94.88
2017-18	218402	25994	203353	24673	93.11	94.92
2018-19 (10/18 तक)	175427	22274	163887	21218	93.42	95.26
कुल	**584650**	**70489**	**543803**	**66859**	**93.01**	**94.85**
एसईआईएस						
2015-16	2015-16 के आंकड़े नहीं दिये गये					
2016-17	1396	561	1381	559	98.93	99.64
2017-18	5500	3475	5469	3456	99.44	99.45
2018-19 (10/18 तक)	3107	1891	3073	1869	98.91	98.84
कुल	**10003**	**5927**	**9923**	**5884**	**99.20**	**99.27**
एमइआईएस और एसइआईएस के लिए अंतिम योग	**594653**	**76416**	**553726**	**72743**	**93.12**	**95.19**

परिशिष्ट 3 (संदर्भ पैराग्राफ 1.5)

चयनित कार्यालयों का विवरण

क्र.सं.	आरएएस/एसइजेडएस	क्र.सं.	आयुक्तालय
1	आरएलए, अहमदाबाद	1	अहमदाबाद आयुक्तालय के तहत आईसीडी खोडियार के सीमा शुल्क उप आयुक्त
2	आरएलए, राजकोट	2	सीमा शुल्क उप आयुक्त का कार्यालय, पिपावाव (जामनगर आयुक्तालय) और मुंद्रा (मुंद्रा आयुक्तालय)
3	डीसीकेएएसइजेड	3	आईसीडी थार ड्राई पोर्ट जोधपुर, सीमा शुल्क उप आयुक्त का कार्यालय
4	आरएलए, जयपुर	4	सीमा शुल्क आयुक्तालय विमानपत्तन और एयर कार्गो, बेंगलुरु
5	आरएलए बेंगलुरु	5	सीमा शुल्क आयुक्तालय, शहरी आयुक्तालय, बेंगलुरु
6	आरएलए, चंडीगढ़	6	सीमा शुल्क आयुक्तालय, नई सीमा शुल्क सभा, मंगलुरु
7	आरएलए, लुधियाना	7	सीमा शुल्क आयुक्तालय कांकोर, कानेच
8	आरएलए, पानीपत	8	सीमा शुल्क आयुक्तालय जीआरएफएल
9	क्षेत्रीय/संयुक्त डीजीएफटी, चेन्नई	9	सीमा शुल्क आयुक्तालय कांकोर लुधियाना
10	क्षेत्रीय/संयुक्त डीजीएफटी, कोयंबटूर	10	सीमा शुल्क के आयुक्तालय का कार्यालय [समुद्र], चेन्नई
11	क्षेत्रीय/संयुक्त डीजीएफटी, कोच्ची	11	सीमा शुल्क के आयुक्तालय का कार्यालय, तूतीकोरिन
12	डीसी, चेन्नई	12	सीमा शुल्क के आयुक्तालय का कार्यालय, कोच्ची
13	डीसी, कोच्ची	13	प्रधान आयुक्त का कार्यालय (सीमा शुल्क), हैदराबाद
14	आरएलए, हैदराबाद	14	सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, विशाखापत्तनम
15	आरएलए, विशाखापत्तनम	15	सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निवारक), भुबनेश्वर
16	आरएलए, कटक	16	सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता पत्तन
17	डीसी, वीएसइजेड	17	सीमा शुल्क आयुक्तालय का कार्यालय, कोलकाता विमानपत्तन
18	आरएलए, कोलकाता	18	सीमा शुल्क आयुक्तालय का कार्यालय, कोलकाता निवारक
19	आरएलए, गुवाहाटी	19	सीमा शुल्क आयुक्तालय का कार्यालय (निवारक), लखनऊ
20	डीसी, एसइजेड, फालता	20	सीमा शुल्क आयुक्तालय का कार्यालय, नोइड़ा
21	आरएलए, कानपूर	21	सीमा शुल्क आयुक्तालय का कार्यालय, पटना
22	आरएलए, मुरादाबाद	22	सीमा शुल्क आयुक्तालय का कार्यालय, आईसीडी, पनकी
23	आरएलए, पटना	23	सीमा शुल्क आयुक्तालय का कार्यालय, आईसीडी, लोनी
24	एनएसइजेड, नॉएडा	24	सीमा शुल्क आयुक्तालय का कार्यालय, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, रक्सौल

क्र.सं.	आरएएस/एसइजेडएस	क्र.सं.	आयुक्तालय
25	आरएलए, मुंबई	25	सीमा शुल्क आयुक्तालय का कार्यालय, जेएनसीएच
26	आरएलए प्राधिकरण, पुणे	26	सीमा शुल्क आयुक्तालय का कार्यालय, एसीसी
27	आरएलए, गोवा	27	सीमा शुल्क आयुक्तालय का कार्यालय, एनसीएच, मुंबई
28	डीसी, सीपेज, मुंबई	28	सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय, आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
29	आरएलए, दिल्ली	29	सीमा शुल्क के आयुक्त का कार्यालय, आईसीडी, पड़परगंज और अन्य आईसीडीएस
30	आरएलए, भोपाल	30	सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय, एयर कार्गो आयत, एनसीएच, नई दिल्ली
31	आरएलए, इंदौर	31	सीमा शुल्क के आयुक्त का कार्यालय, इंदौर
32	डीसी, एसइजेड, इंदौर	32	सीमा शुल्क आयुक्तालय का कार्यालय, न्यू कूरियर टर्मिनल, एनसीएच, दिल्ली
		33	सीमा शुल्क आयुक्तालय का कार्यालय, विदेशी डाकघर नई दिल्ली

विवरण

विवरण 1 (संदर्भ पैराग्राफ 2.1.1)										
अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2018 की अवधि के लिए एमईआईएस स्क्रिप जारी करने में देरी										
वर्ष	प्राप्त आवेदन	जारी किये गए लाइसेंस	**10 दिनों से अधिक के लिए जारी किए गए स्क्रिप की संख्या**					**10 दिनों के बाद कुल लाइसेंस**	**विलंब %**
			10 दिन के बाद -1 महीने	**1-3 महीने विलंब**	**3-6 महीने विलंब**	**6-12 महीने विलंब**	**12 महीने से अधिक की देरी**		
2015-16	28352	28546	8509	3067	388	31	7	12002	42.33
2016-17	147036	148017	40607	23307	6996	2252	158	73320	49.87
2017-18	202346	203353	43037	22434	7022	4616	1662	78771	38.93
2018-19 (अक्टूबर 2018 तक)	163395	163887	16761	9347	3116	2028	1634	32886	20.13
कुल	**541129**	**543803**	**108914**	**58155**	**17522**	**8927**	**3461**	**196979**	**36.40**

विवरण 2 : स्क्रिप मूल्य और वास्तविक पात्रता के बीच विसंगति

(संदर्भ पैराग्राफ सं. 2.2)

क्र.सं.	आरए	आरए कोड	मामलों की संख्या	वास्तविक पात्रता	प्रदत्त लाइसेंस मूल्य	अधिक (₹)
1	कोलकाता	2	2446	1744180418	1754819496	10639078
2	मुंबई	3	8200	7753754416	7780587915	26833499
3	चेन्नई	4	1995	2188391033	2192292800	3901767
4	नई दिल्ली	5	6336	5606580726	5621194177	14613451
5	कानपूर	6	1311	1148814196	1152047244	3233048
6	बेंगलुरु	7	1412	1366467600	1370823681	4356081
7	अहमदाबाद	8	1843	1738010533	1743068013	5057480
8	हैदराबाद	9	561	1076721740	1078946993	2225253
9	कोचीन	10	863	504345232	507622329	3277097
10	भोपाल	11	59	46964056	47032126	68070
11	अमृतसर	12	100	51547869	51593807	45938
12	जयपुर	13	1358	1012086024	1014162749	2076725
13	गुवाहाटी	14	8	1604352	1604884	532
14	वाराणसी	15	419	256056333	256557119	500786
15	गोवा	17	29	25136877	25242207	105330
16	जम्मू	18	3	4755731	4762561	6830
17	पटना	21	2	703214	705667	2453
18	चंडीगढ़	22	164	146548933	146769907	220974
19	कटक	23	11	18903231	18938276	35045
20	राजकोट	24	903	821398058	822668552	1270494
21	पुदुच्चेरी	25	14	7028263	7048790	20527
22	विशाखापत्तनम	25	77	211424020	222546300	11122280
23	सीपेज मुंबई	27	538	1352531650	1358283773	5752123
24	मुरादाबाद	29	1193	841662699	844200682	2537983
25	लुधियाना	30	1431	745624827	748904335	3279508

क्र.सं.	आरए	आरए कोड	मामलों की संख्या	वास्तविक पात्रता	प्रदत्त लाइसेंस मूल्य	अधिक (₹)
26	पुणे	31	1059	1369500015	1375232823	5732808
27	कोइम्बतुर	32	3246	1773698759	1777584294	3885535
28	पानीपत	33	690	750603048	751939405	1336357
29	वडोदरा	34	470	310830103	312478592	1648489
30	मदुरै	35	376	203465042	204154575	689533
31	कांडला एफटी	37	84	136569330	136748162	178832
32	चेन्नई एसइजेड	38	477	613620091	614312869	692778
33	कोचीन एसइजेड	39	265	409752364	410142547	390183
34	फालता एसइजेड	40	36	29073459	29121128	47669
35	नॉएडा एसइजेड	41	42	62043470	77373631	15330161
36	वीएसइजेड	46	20	65113395	65113472	77
37	नागपुर	50	64	49424233	49448191	23958
38	सूरत	52	251	212173207	213970962	1797755
39	त्रिवेन्द्रम	53	345	117068744	117265203	196459
40	श्रीनगर	55	68	24193806	24219590	25784
41	इंदौर	56	202	164442034	164641442	199408
42	देहरादून	61	78	49475681	49542942	67261
43	रायपुर	63	8	4180048	4188504	8456
44	इंदौर एसइजेड	64	98	243726462	243887521	161059
45	बेलगावी	65	11	5995681	6012966	17285
46	विजयवाड़ा	66	18	15527223	15570847	43624
	कुल		**39184**	**35281718226**	**35415374049**	**133655823**

(संदर्भ पैराग्राफ सं. 2.3)

क्र.सं.	आरए कोड	आरए	अधिक स्वीकृति					
			अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2018			अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2018		
			एसबीएस की सं.	आवेदन की सं.	राशि	एसबीएस की सं.	आवेदन की सं.	राशि
1	05	दिल्ली	762	357	804127	5248	638	13063396
2	08	अहमदाबाद	162	107	444260	28	6	41116
3	37	कांडला	98	38	113349	201	81	110258
4	24	राजकोट	61	29	79482	73	47	114943
5	13	जयपुर	49	38	67182	56	21	94743
6	07	बेंगलुरु	3457	1182	2379439	1949	303	407593
7	10	कोचीन	95	56	260307	0	0	0
8	38	एमएसइजेड चेन्नई	50	20	99193	0	0	0
9	39	डीसी सीएसइजेड	548	124	1865417	0	0	0
10	32	कोयंबटूर	156	21	131557	0	0	0
11	02	डीजीएफटी कोलकाता	365	218	596357	286	82	287091
12	40	एफएसइजेड कोलकाता	17	8	27657	0	0	0
13	17	गोवा	36	20	102922	206	64	105999
14	27	सीपेज मुंबई	1108	497	4952617	3968	949	3982705
15	31	पुणे	2785	1090	7030378	6438	1475	4037759
16	03	मुंबई	10681	4146	14428183	31903	8675	10825876
17	22	चंडीगढ़	41	23	88917	0	0	0
18	30	लुधियाना	159	105	151331	0	0	0
19	33	पानीपत	74	55	59311	0	0	0
20	46	डीसी वीएसइजेड हैदराबाद	27	17	99329	1	1	177
21	23	अति. डीजीएफटी कटक	0	0	0	1	1	5999
22	26	संयु. डीजीएफटी विशाखापत्तनम	6	5	23036	4	1	4839

क्र.सं.	आरए कोड	आरए	अधिक स्वीकृति					
			अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2018			अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2018		
			एसबीएस की सं.	आवेदन की सं.	राशि	एसबीएस की सं.	आवेदन की सं.	राशि
23	**09**	अति. डीजीएफटी हैदराबाद	34	21	57133	1	1	451
24	**11**	संयु. डीजीएफटी भोपाल	7	2	13582	0	0	0
25	**64**	डीसी एसइजेड इंदौर	2	2	2597	0	0	0
26	**56**	एक्सटेंशन ऑफिस बीपीएल, इंदौर	7	6	13183	3	3	6939
27	**41**	एनएसइजेड नॉएडा	12	7	32375	54	14	15590
28	**21**	संयु. डीजीएफटी पटना	0	0	0	0	0	0
29	**29**	संयु. डीजीएफटी मुरादाबाद	19	14	17138	5	4	401
30	**06**	संयु. डीजीएफटी कानपूर	16	10	27712	8	5	28812
		कुल	**20834**	**8218**	**33968071**	**50433**	**12371**	**33134687**

विवरण 4: लेट कट का गलत आवेदन

(संदर्भ पैराग्राफ सं. 2.4)

क्र. सं.	आरए	एसबी की सं.	दी गई पुरस्कार राशि (बिना लेट कट के या लेट कट के साथ)	वास्तविक लेट कट के बाद दी जाने वाली पुरस्कार राशि	अत्यधिक पुरस्कार राशि	लेट कट के संबंध में शिपिंग बिलों की संख्या					
						2%	राशि	5%	राशि	10%	राशि
1	दिल्ली	15567	640337066	616473839	23863227	7445	6562241	6459	9839433	1663	7461553
2	अहमदाबाद	637	40197905	39244383	953522	508	667660	97	220110	32	65752
3	कांडला	270	9875668	9669427	206241	256	181644	14	24597	0	0
4	राजकोट	424	21298107	20530580	767527	136	264214	197	242008	91	261305
5	जयपुर	560	21012333	20423164	589168	292	290322	220	265958	48	32888
6	बेंगलुरु	1058	24955656	24348834	606822	804	393484	160	125018	94	88320
7	कोचीन	858	27639212	26883202	756010	517	427744	174	233603	167	94663
8	एमएसइजेड चेन्नई	103	4199636	4115643	83993	103	83993	0	0	0	0
9	डीसी सीएसइजेड	1156	68049546	63223084	4826462	515	731846	446	919073	195	3175543
10	कोयंबटूर	165	3028219	2948734	79485	94	35056	62	38651	9	5778
11	डीजीएफटी कोलकाता	747	92435256	89874102	2561154	575	1459556	123	688843	49	412755
12	एफएसइजेड कोलकाता	162	1456544	1427375	29169	155	29089	5	35	2	45
13	गोवा	4	240593	235721	4872	4	4872	0	0	0	0
14	स्पीज़ मुंबई	729	64438508	62512182	1926326	499	981846	202	824024	28	120456
15	पुणे	648	29949479	29271406	678073	626	646730	22	31343		
16	मुंबई	3869	258983915	253107038	5876877	3658	4660213	168	549695	43	666969
17	चंडीगढ़	36	1711237	1671244	39993	19	24332	16	15408	1	253
18	लुधियाना	223	11402481	11134159	268322	163	183862	49	60505	11	23955
19	पानीपत	301	24295530	22890998	1404532	223	221755	52	55171	26	1127606

क्र. सं.	आरए	एसबी की सं.	दी गई पुरस्कार राशि (बिना लेट कट के या लेट कट के साथ)	वास्तविक लेट कट के बाद दी जाने वाली पुरस्कार राशि	अत्यधिक पुरस्कार राशि	लेट कट के संबंध में शिपिंग बिलों की संख्या					
						2%	राशि	5%	राशि	10%	राशि
20	डीसी वीएसइजेड हैदराबाद	3	229201	223292	5909	2	3899	1	2010	0	0
21	अति. डीजीएफटी कटक	1	159325	156139	3187	1	3187	0	0	0	0
22	संयु. डीजीएफटी विशाखापत्तनम	13	1366286	1305633	60653	4	2935	4	28600	5	29118
23	अति. डीजीएफटी हैदराबाद	5	152718	149233	3485	3	2243	2	1242	0	0
24	संयु. डीजीएफटी भोपाल	49	3723067	3551593	171474	28	37797	14	23258	7	110419
25	डीसी एसइजेड इंदौर	1137	231583482	225553722	6029760	990	4171239	91	267653	56	1590868
26	एक्सटेंशन ऑफिस बी.पी.एल., इंदौर	814	21159725	21069590	90135	140	74765	13	15370	0	0
27	एनएसइजेड नॉएडा	590	27600737	26423789	1176948	उपलब्ध नही है					
28	संयु. डीजीएफटी मुरादाबाद	1375	39019909	37796346	1223563						
29	संयु.डीजीएफटी कानपुर	1002	49925582	47670063	2255519						
30	गुवाहाटी	2	169563	165285	4278	1	1617	1	2661	0	0
31	चेन्नई संयु. डीजीएफटी	83	2688646	2617382.82	71263.18	31	32234	39	24545	13	14484
	कुल	**32591**			**56617950**						

विवरण 5: नेपाल और भूटान से किए गए निर्यात के लिए भारतीय रुपये में निर्यात प्राप्ति (संदर्भ पैराग्राफ सं. 2.5)

क्र.सं.	आरएलए	आरएलए कोड	एसबी की संख्या	एफओबी एस.बी. इन ₹	एमईआईएस में क्रेडिट की अनुमति दी ₹	वसूली गई मुद्रा	निर्यात के देश	
							नेपाल	भूटान
1	कोलकाता	2	3	15512310	314169	आईएनआर	3 एसबी	0 एसबी
2	मुंबई	3	382	271109875	7355191	आईएनआर	375 एसबी	7 एसबी
3	चेन्नई	4	106	104401525	3099889	आईएनआर	106 एसबी	0 एसबी
4	दिल्ली	5	173	60005680	1715584	आईएनआर	164 एसबी	9 एसबी
5	अहमदाबाद	8	10	4288881	124380	आईएनआर	10 एसबी	0 एसबी
6	मुंबई	27	1	728855	20771	आईएनआर	1 एसबी	0 एसबी
7	पुणे	31	5	9178590	252805	आईएनआर	5 एसबी	0 एसबी
8	कोयंबटूर	32	7	1048751	29487	आईएनआर	6 एसबी	1 एसबी
9	कोचीन इपीजेड	39	3	22682532	680473	आईएनआर	3 एसबी	0 एसबी
		कुल	**690**	**488956999**	**13592749**			

विवरण 6 : रद्द किए गए लाइसेंस को छोड़कर शिपिंग बिल का दोहरा उपयोग

(संदर्भ पैराग्राफ सं. 2.7.1)

क्र.सं.	आरए	आरए कोड	एसबीएस की संख्या	दो बार उयोग की गयी एसबीएस की संख्या	इएनटीटी_1	इएनटीटी_2
1	डीजीएफटी कोलकाता	2	32	16	4875393	4874302
2	मुंबई	3	57	28	3873762	3875190
3	चेन्नई	4	55	27	3170145	3171656
4	दिल्ली	5	60	30	2650411	2650411
5	कानपुर	6	12	6	712874	712874
6	बेंगलुरु	7	32	16	3191472	3173904
7	अहमदाबाद	8	43	22	2616305	2616305
8	सिकन्द्राबाद	9	4	2	105477	105477
9	कोचीन	10	6	3	333600	333600
10	भोपाल	11	4	2	227903	232262
11	जयपुर	13	14	7	621524	623296
12	चंडीगढ़	22	2	1	145936	145936
13	राजकोट	24	10	5	449105	449105
14	स्पीज़ मुंबई	27	6	3	601537	601537
15	मुरादाबाद	29	22	11	497652	497652
16	लुधियाना	30	6	3	279108	279108
17	पुणे	31	21	10	935447	934019
18	कोयंबटूर	32	47	24	2661088	2661088
19	पानीपत	33	12	6	690780	690780
20	वड़ोदरा	34	8	4	891071	891071
21	कांडला एफटी	37	2	1	33694	33694
22	चेन्नई एसइजेड	38	5	2	21429	21137
23	कोचीन एसइजेड	39	8	4	145435	145435
24	फालता एसइजेड	40	2	1	14733	14733
25	नॉएडा एसइजेड	41	2	1	91452	91452
26	सूरत	52	2	1	240034	240034
27	इंदौर	56	8	4	476580	472221
	कुल		**482**	**240**	**30553947**	**30538279**

विवरण 7: पोर्ट विवरण के साथ शिपिंग बिल का दोहरा उपयोग (संदर्भ पैराग्राफ सं. 2.7.1)						
क्र.सं.	**आरए**	**आरए कोड**	**मामलो की संख्या**	**स्वीकृत एमईआईएस1**	**स्वीकृत एमईआईएस2**	**पंजीकरण का पोर्ट**
1	दिल्ली	5	1	43459	44346	आईएनडीइएल4
2	एफएसइजेड	40	80	553930	542806	आईएनडीइएल4
3	मुंबई	3	1	29679	29679	मुंद्रा
4	पुणे	31	2	78423	78423	दिग्ही, इंन्सा1
		कुल	**84**	**705491**	**695254**	

विवरण 8: समान वित्तीय वर्ष से संबंधित एसबी के लिए एक से अधिक आरए से पहले समान पार्टी फाइलिंग (संदर्भ पैराग्राफ सं. 2.7.2)		
क्र.सं.	**वर्ष**	**निर्यातको की सं. (आईइसी)**
1	2015-16	199
2	2016-17	224
3	2017-18	173
4	2018-19 (अक्टुम्बर 18 तक)	34
	कुल	**630**

विवरण 9 : कमीशन/बीमा/मालभाड़ा (सीआईएफ) शुल्क शामिल करने के कारण एमईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की अधिक अनुमति (संदर्भ पैराग्राफ सं. 2.10.1)						
क्र.सं.	**आरएलए**	**आरएलए कोड**	**जारी स्क्रिप की सं.**	**स्वीकृत रिवार्ड राशि**	**दी जाने वाली रिवार्ड राशि**	**कम/अतिरिक्त रिवार्ड राशि (₹)**
1	डीजीएफटी कोलकाता	2	24	37937417	35576473	2360944
2	डीजीएफटी भोपाल	11	7	13917839	13868029	49810
3	जयपुर	13	7	12145787	10905566	1240221
4	पटना	21	3	810644	762256	48388
5	पुणे	31	19	2926896.61	2511905.21	414991.4
6	एफएसइजेड कोलकाता	40	31	12856648	12450461	406187
7	डीसी(एसइजेड) इंदौर	64	4	2535434	2409965	125469
	कुल		**95**	**83130665.61**	**78484655.21**	**4646010.4**

विवरण 10: हथकरघा उत्पादो के रूप में दावा किए गए पावर लूम मेड अप और फैब्रिक
(संदर्भ पैराग्राफ सं. 2.10.2)

क्र.सं.	आरए कोड	आरए	फाइलो की सं.	एसबीएस की सं.	एमईआईएस दर की अनुमति	दी गई दर की अनुमति	रुपये में दी गई एमईआईएस	रुपये में दी जाने वाली एमईआईएस	रुपये में दी गई अधिक राशि
1	4	चेन्नई	101	476	5	0/2	15678956	5375982	10302974
2	3	मुंबई	505	1363	5	0/2	143991005	52311845	91679160
3	32	कोयंबटूर	371	1515	5	0/2	51431497	20198551	31232945
4	31	पुणे	2	12	5	0/2	1320244	171257	1148987
		कुल	**979**	**3366**			**212421702**	**78057635**	**134364066**

विवरण 11 : अन्य गलत वर्गीकरण
(संदर्भ पैराग्राफ सं. 2.10.2)

क्र.सं.	आरए कोड	आरए	फाइलों की सं.	एसबी की सं.	एमईआईएस दर की अनुमति	दी गई दर की अनुमति	रुपये में दी गई एमईआईएस	रुपये में दी जाने वाली एमईआईएस	रुपये में दी गई अधिक राशि
1	3	मुंबई	331	826	3,5,20	0,2,3,5	39743848	11833547	27910301
2	10	कोच्ची	192	425	3,5,10	0,2,3,6	26038545	11788293	14250249
3	39	सीएसइजेड, कोच्ची	102	286	3,5	0,2,3	23909770	14455263	9468741
4	13	जयपुर	3	5	3	2	144184	96124	48059
5	27	सीप्ज़, मुंबई	77	808	10	0	102576765	26047927	76528837.8
6	2	कोलकाता	2	5	5	0	385636	0	385636
7	4	चेन्नई	22	177	5	2	212073	84864	127209
8	32	कोयंबटूर	5	15	5	2	3908738	1563507	2345231
9	38	एमएसइजे, चेन्नई	11	68	10	7	24416094	17911495	6508973.45
10	31	पुणे	11	22	2	0	496751	0	496751
11	8	अहमदाबाद	2	3	2	0	594	0	594
		कुल	**758**	**2640**			**221832998**	**83781020**	**138070582**

विवरण 12 : अपात्र निर्यात का गलत वर्गीकरण
(संदर्भ पैराग्राफ सं. 2.10.3)

क्र.सं.	आरए कोड	आरए	एसबीएस की सं.	एमईआईएस दर की अनुमति	दी गई दर की अनुमति	रुपये में दी गई एमईआईएस	रुपये में दी जाने वाली एमईआईएस	रुपये में दी गई अधिक राशि
1	3	मुंबई	90	2,3,5	0	1139256	0	1139256
2	4	चेन्नई	220	3,5	0	2994790	0	2994790
3	10	कोच्ची	282	5	0	35067092	0	35067092
5	32	कोयंबटूर	246	3	0	4142933	0	4142933
9	8	अहमदाबाद	111	3	0	2750762	0	2750762
10	10	जेडीजीएफटी, कोच्ची	7	5	0	1907999	0	1907999
		कुल	**956**			**48002832**	**0**	**48002832**

विवरण 13 : एमईआईएस स्क्रिप के जारी करने में देरी के कारण

(संदर्भ पैराग्राफ सं. 3.1)

क्र.सं.	आरए	आरए कोड	मामलों की सं.	मामले जहां डीएम जारी नहीं किए गए	10 दिनों से अधिक की देरी जहां डीएम जारी नहीं किए गए	मामले जहां डीएम जारी किए गए	मामले जहां डीएम जारी करने में 3 दिन से अधिक की देरी हुई	डीएम को जवाब मिलने के बाद लाइसेंस जारी होने में 3 दिनों से अधिक की देरी
1	अहमदाबाद	8	67	55	55	12	12	10
2	भोपाल	11	22	0	0	22	20	17
3	कांडला एफटी	37	2	2	2	0	0	0
4	राजकोट	24	7	1	1	6	3	3
5	आरए बेंगलुरु	7	62	9	9	53	48	45
6	चंडीगढ़	22	20	0	0	20	9	18
7	चेन्नई	4	20	10	10	10	6	8
8	चेन्नई इपीजेड	39	20	18	18	2	1	2
9	कोचीन	10	21	0	0	21	12	19
10	कोचीन इपीजेड	39	21	21	18	0	0	0
11	कोयंबटूर	32	20	15	15	5	4	4
12	कटक	23	100	94	63	6	4	6
13	इंदौर एसइजेड	64	20	9	9	11	11	8
14	दिल्ली	5	15	2	2	13	12	12
16	डीजीएफटी कोलकाता	2	90	42	42	48	39	35
17	एफएसइजेड	40	23	15	15	8	8	8
18	इंदौर	56	17	0	0	17	12	7
19	जेडीजीएफटी जयपुर	13	43	11	11	32	22	28
20	कानपुर	6	20	8	7	12	2	2
21	लुधियाना	30	46	0	0	46	23	34
22	मुंबई	3	22	2	2	20	0	19
23	मुरादाबाद	29	19	7	3	12	3	2
24	नॉएडा इपीजेड	41	20	17	16	3	3	2

क्र.सं.	आरए	आरए कोड	मामलों की सं.	मामले जहां डीएम जारी नहीं किए गए	10 दिनों से अधिक की देरी जहां डीएम जारी नहीं किए गए	मामले जहां डीएम जारी किए गए	मामले जहां डीएम जारी करने में 3 दिन से अधिक की देरी हुई	डीएम को जवाब मिलने के बाद लाइसेंस जारी होने में 3 दिनों से अधिक की देरी
25	पानीपत	33	34	0	0	34	30	33
26	पटना	21	77	18	18	59	42	55
27	पुणे	31	20	0	0	20	10	0
28	सिकंदराबाद	9	45	44	44	1	1	1
29	विशाखापत्तनम	26	33	33	20	0	0	0
	कुल		**926**	**433**	**380**	**493**	**337**	**378**

विवरण 14: एमईआईएस स्क्रिप जारी करना जहां 30.09.2015 तक निर्यात की एसबी की भौतिक प्रतियों में कोई इंटैंट घोषणा नहीं मिली।
(संदर्भ पैराग्राफ सं. 3.2.1 (अ))

क्र.सं.	आरए	आरए कोड	एसबीएस की सं.	(राशि रुपए में) स्वीकृत साख
1	एफएसइजेड कोलकाता	40	176	408193
2	डीजीएफटी कोलकाता	2	54	2571318
3	पानीपत	33	20	1526980
4	लुधियाना	30	7	60327
5	जयपुर	13	16	274593
6	दिल्ली	5	2	108941
7	कानपुर	6	19	847489
8	वीएसइजेड	46	144	21307035
9	मुंबई	3	3	179095
	कुल		**441**	**27283971**

विवरण 15: ऐसे मामले जहां रिवार्ड आइटम बॉक्स में 'नहीं' का निशान है, लेकिन एसबी की भौतिक प्रतियां उपलब्ध नहीं थीं
(संदर्भ पैराग्राफ सं. 3.2.1(ब))

क्र.सं.	आरएलए	कोड	एसबी की सं.	रुपये में दी गई एमइआईएस राशि
1	पानीपत	33	90	4769428
2	लुधियाना	30	1	46944
3	दिल्ली	5	1	60617
4	कटक	23	75	47881365
	कुल		**167**	**52758354**

विवरण 16: प्रयोजन की घोषणा कार्यालय नोट पर उपलब्ध नहीं है (संदर्भ पैराग्राफ सं. 3.2.1 (स))				
क्र.सं.	आरएलए	कोड	एसबी की सं.	रुपये में दी गई एमइआईएस राशि
1	दिल्ली	5	1	**4693907**

विवरण 17 : गैर-हस्तकला वस्तुओं को अधिक लाभ का गलत अनुदान (संदर्भ पैराग्राफ सं.3.2.2)						
क्र.सं.	आरएलए	आरएलए कोड	स्क्रिप की सं.	अनुमत रिवार्ड राशि	अनुमत कह जाने वाली रिवार्ड राशि	अधिक रिवार्ड राशि
1	मुंबई	3	68	904705	0	904705
2	कानपुर	6	41	46775	0	46775
3	गोवा	17	1	431	0	431
	कुल		**110**			**951911**

विवरण 18: अयोग्य श्रेणियों में एमईआईएस स्क्रिप (संदर्भ पैराग्राफ सं. 3.2.3)								
क्र.सं.	आरए	आरए कोड	रिवार्ड राशि	उत्पाद कोड	उत्पाद विवरण	पोर्ट का पंजीकरण	अयोग्यता की प्रकृति या एफटीपी के क्र.सं.परिच्छेद 3.06 को निर्दिष्ट करें	टिप्पणियाँ
1	डीजीएफटी कोलकाता	02	829356	53101013, 63051030	हेसियन क्लॉथ, बर्लेप प्लेन हेसियन क्लॉथ	आईएनएफएलटी6	क्र.सं.VI	डीटीए इकाई के माध्यम से एसईजेड इकाई का निर्यात

विवरण 19: अयोग्य मदों के लिए एमईआईआईएस / एसईआईएस स्क्रिप की उपयोगिता (संदर्भ पैराग्राफ सं. 3.2.4(i))						
क्र.सं.	**आरए**	**आरए कोड**	**बीइ की सं.**	**एमइआईएस/ एसइआईएस लाइसेंस की प्रकृति**	**पोर्ट का पंजीकरण**	**डेबिट राशि (₹)**
1	जेडीजीएफटी चेन्नई	4	5	एमइआईएस	आईएनएमएए1	2078968
2	कोलकाता	2	2	एमइआईएस	आईएनटीयूटी1	690959
3	बेंगलुरु	7	1	एमइआईएस	जेएनसीएच	125474.40
4	पुणे	31	1	एमइआईएस	जेएनसीएच	428260.20
5	पानीपत	33	1	एमइआईएस	जेएनसीएच	53489.20
6	मुंबई	3	6	एमइआईएस	जेएनसीएच	2477914.10
7	सीपेज	27	2	एमइआईएस	जेएनसीएच	309463.05
		कुल	**18.00**			**6164527.95**

विवरण 20: अयोग्य कर्तव्यों ड्यूटी के भुगतान के लिए एमईआईआईएस स्क्रिप की उपयोगिता (संदर्भ पैराग्राफ सं. 3.2.4(ii))							
क्र.सं.	**आरए**	**आरए कोड**	**बीइएस की सं.**	**लाइसेंस की प्रकृति- एमइआईएस/ एसइआईएस**	**पोर्ट का पंजीकरण**	**डेबिट किए गए अयोग्य शुल्क के प्रकार**	**डेबिट की गई राशि (करोड़ में)**
1	आईएसइजेड- इंदौर	64	305	एमइआईएस	आईएनआईडीआर6	डीटीए बिक्री के लिए एसइजेड	5.85

विवरण 21 : सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
(संदर्भ पैराग्राफ सं. 3.3.1)

क्र.सं.	आरए	आरए कोड	निर्यातकों की सं.	अनुमत रिवार्ड राशि	दी गई अनुमत रिवार्ड राशि	अधिक रिवार्ड राशि (₹)
1	सीपेज	27	2	451417699	36312977.3	415104721.6
2	पुणे	31	4	143010284	97101127.5	45909156.16
3	डीसी, सीएसइजेड	39	20	1027139222	191057766	836081456
4	मुंबई	3	1	786833	0	786833
5	गोवा	17	1	12662604.2	2270635.67	10391968.57
कुल			**28**	**1635016642**	**326742507**	**1308274135**

विवरण 22: परिशिष्ट 3 डी में निर्दिष्ट न की गई सेवाओं के लिए प्रोत्साहन
(संदर्भ पैराग्राफ सं. 3.3.2)

क्र.सं.	आरए	आरए कोड	निर्यातकों की सं.	अनुमत रिवार्ड राशि	दी गई अनुमत रिवार्ड राशि	अधिक रिवार्ड राशि (₹)
1	मुंबई	3	3	65185263.52	9856295.1	55328968.42
2	डीसी, सीएसइजेड	39	3	352369748	27656748	324713000
3	पुणे	31	1	37804305	2491349	35312956
4	आरएलए बेंगलुरु	7	2	3635325	111642	3523683
	कुल		**9**	**458994642**	**40116034**	**418878607**

विवरण 23 : अयोग्य (मोड 3 और 4) सेवाएं
(संदर्भ पैराग्राफ सं. 3.4)

क्र.सं.	आरए	आरए कोड	निर्यातकों की सं.	अनुमत रिवार्ड राशि	दी गई अनुमत रिवार्ड राशि	अधिक रिवार्ड राशि (₹)	टिप्पणियाँ
1	मुंबई	3	3	26.43	0	26.43	मोड -3 और मोड 4 सेवाएं
2	सीपेज	27	2	4.18	2.47	1.71	
3	पुणे	31	4	33.07	11.42	21.65	
4	कोलकाता	2	4	57.39	49.66	7.73	सेवा प्रदाता पॉलिसी के पैरा 9.51 (iii) और अधिसूचित सेवा के तहत परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत आता है।
			कुल	**121.07**	**63.55**	**57.52**	

विवरण 24: दावों में त्रुटियों की जांच में स्वयं-उद्घोषणा और सीए प्रमाण-पत्र की विफलता (संदर्भ पैराग्राफ सं. 3.5)						
अप्रैल, 2015 से पहले निर्यात के लिए 24(i) एसईआईएस लाभ						
क्र.सं.	आरए	आरए कोड	निर्यातकों की सं.	अनुमत रिवार्ड राशि	दी गई अनुमत रिवार्ड राशि	अधिक रिवार्ड राशि (₹)
1	जेडीजीएफटी, चेन्नई	4	5	30448736	0	7330575
2	जेडीजीएफटी कोयंबटूर	32	1	12433445	0	937108
3	डीसी, सीएसइजेड	39	2	243657240	0	15570835
4	मुंबई	3	2	434815622	0	219821245
5	पुणे	31	2	33703889.68	30373870.16	3330019.46
6	अहमदाबाद	8	7	44289112.18	38205616.18	6083496
7	कांडला एफटी	37	1	32044915	27631982	4412933
8	सीपेज मुंबई	27	4	91851515.34	89166003.43	2685511.91
	कुल		**24**			**260171723.4**
24(ii) गलत एनएफइ						
9	जेडीजीएफटी चेन्नई	4	4	136997357	102191577	34805780
10	डीजीएफटी कोलकाता	2	1	3443618	2496326	947292
11	जेडीजीएफटी, कोच्ची	10	2	3049927.96	52841.55	2997086.41
12	अहमदाबाद	8	2	476927726	473323507	3604219
13	जयपुर	13	6	27971146.15	27257033.10	714113.05
	कुल		**15**			**43068490.33**
24(iii) स्थानीय करों सहित एफओबी						
14	मुंबई	3	2	82504572	59721541	22182879
15	जयपुर	13	1	1185250.45	1007462.88	177787.57
16	जेडीजीएफटी, कोच्ची	10	5	17263870.71	16128002.71	1135868
	कुल		**8**			**23496534.57**

24(iv) रोके गए कर सहित एफओबी पर दावे						
17	मुंबई	3	1	222315622	0	22663478
18	सीपेज	27	1	9475522	0	9475522
	कुल		**2**			**32139000**
24(v) गलत विदेशी मुद्रा रूपांतरण दर को अपनाया गया						
19	सीप्ज़	27	1	117791678.4	117652377.1	139301.33
20	कांडला एफटी	37	1	436139346	410926231.5	25213114.5
	कुल		**2**			**25352415.83**
24(vi) अयोग्य प्रेषण पर लाइसेंस अनुमति						
21	आरएलए बंगलौर	7	4	16552325	0	758309
22	गोवा	17	2	41950827	0	2602216
23	जयपुर	13	3	3362453	0	3362453.00
24	जेडीजीएफटी, कोच्ची	10	2	9238888	0	16470927
	कुल		**11**			**23193905**

विवरण 25: आरए और प्रणाली द्वारा अपूर्ण नियंत्रण के कारण अधिक रिवार्ड जारी करना (संदर्भ पैराग्राफ सं. 3.6)						
25 (i) एसईआईएस पर लेट कट लागू नहीं किया गया/गलत तरीके से लागू किया गया						
क्र.सं.	आरए	आरए कोड	निर्यातकों की सं.	अनुमत रिवार्ड राशि (लेट कट सहित या रहित)	वास्तविक लेट कट के बाद अनुमत की जाने वाली रिवार्ड राशि	अधिक रिवार्ड राशि (राशि रूपये में ₹)
1	अहमदाबाद	8	6	493735654.5	469438216.5	24297438
2	जेडीजीएफटी चेन्नई	4	1	31772624	30183993	1588631
3	डीसी, सीएसइजेड	39	4	80702842	78978112	1724730
4	दिल्ली	5	2	35067185	34365842	701343
5	मुंबई	3	1	6904234	6766149	138085
6	सीपेज	27	10	623272776	453275469	26454842
			24			**54905069**
25 (ii) एसईआईएस जारी करने से संबंधित अमान्य आरसीएमसी/आईइसी						
क्र.सं.	आरए	आरए कोड	निर्यातकों की सं.	अनुमत रिवार्ड राशि (लेट कट सहित या रहित)	वास्तविक लेट कट के बाद अनुमत की जाने वाली रिवार्ड राशि	अधिक रिवार्ड राशि (राशि रूपये में ₹)
7	दिल्ली	5	2	55540322	14825917	40714405
8	चेन्नई	4	1	6777614	2607538	4170076
9	कोच्ची	10	2	4363238.57	0	4363238.57
			5			**49247719.57**
25 (iii) लाभ की गलत अनुमति जबकि सेवाएं भारतीय कंपनियों के प्राप्त की						
क्र.सं.	आरए	आरए कोड	निर्यातकों की सं.	अनुमत रिवार्ड राशि (लेट कट सहित या रहित)	वास्तविक लेट कट के बाद अनुमत की जाने वाली रिवार्ड राशि	अधिक रिवार्ड राशि (राशि रूपये में₹)
10	मुंबई	3	1	227458867	209900867	**17558000**

25 (iv) एनएफइ के गलत अपनाये जाने पर रिवार्ड की अनुमति						
क्र.सं.	आरए	आरए कोड	निर्यातकों की सं.	अनुमत रिवार्ड राशि (लेट कट सहित या रहित)	वास्तविक लेट कट के बाद अनुमत की जाने वाली रिवार्ड राशि	अधिक रिवार्ड राशि (राशि रूपये में₹)
11	सीप्ज़	27	2	24432048	23684046	748002
12	इंदौर	56	1	129000	80625	48375
			3			**796377**
25 (v) क्षेत्राधिकार अनुशासन का पालन न होना						
क्र.सं.	आरए	आरए कोड	निर्यातकों की सं.	अनुमत रिवार्ड राशि (लेट कट सहित या रहित)	वास्तविक लेट कट के बाद अनुमत की जाने वाली रिवार्ड राशि	अधिक रिवार्ड राशि (राशि रूपये में₹)
13	मुंबई	3	1	7651845	0	**7651845**
					कुल	**130159010.6**

विवरण 26: एसईआईएस नीति और सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में विसंगति (संदर्भ पैराग्राफ सं. 3.7)					
सेवाओं को प्राधिकृत पोर्ट के माध्यम से परिशिष्ट 3 डी सेवाएं निर्यात न किया जाना					
क्र.सं.	आरए	आरए कोड	निर्यातकों की सं.	आयात शुल्क के भुगतान के लिए उपयोग किए जाने वाले स्क्रिप की संख्या	पोर्ट का पंजीकरण
1	मुंबई	3	13	13	न्हावा शेवा समुद्र
2	पुणे	31	3	3	न्हावा शेवा समुद्र
सेवाओं को प्राधिकृत पोर्ट के माध्यम से परिशिष्ट 3 ई सेवाएं निर्यात न किया जाना					
1	मुंबई	3	2	17	न्हावा शेवा समुद्र
			कुल	**33**	

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

2020 की रिपोर्ट संख्या 5 – संघ सरकार (राजस्व विभाग–अप्रत्यक्ष कर–सीमा शुल्क)